संशोधित प्रति
28.7.2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

NIEPA DC
D11496

जनपद - गोरखपुर

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11496
Date ..... 09-07-2002.

गोरखपुर

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–4
2.	शैक्षिक परिदृश्य	5–18
3.	नियोजन प्रक्रिया	19–29
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	30–33
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	34–38
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	39–43
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	44–57
8.	ठहराव में वृद्धि	58–74
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	75–119
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	120–143
11.	परियोजना लागत	144-157
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	158-167
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

गोरखपुर

अध्याय–1

जनपद का सामान्य परिचय

गोरखपुर नगर महासरयू की एक वेणी अचिरावती (आधुनिक नाम राप्ती) के तट पर बसा हुआ मध्ययुगीन रमतायोगी तथा नाथ परम्परा के वाहक विलक्षण संत साधक गोरखनाथ की पीठस्थली के कारण देश देशान्तर में विख्यात है। यह उत्तरी पूर्वी भाग में रोहिणी एवं राप्ती नदी के संगम पर 26°45' उत्तरी अक्षांश तथा 83°22' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 280 कि0मी0 उत्तर पूर्व और वाराणसी से 210 कि0मी उत्तर में है।

जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मानचित्र की पूर्वी सीमान्त पर स्थित देवरिया, कुशीनगर एवं उत्तर में नेपाल राष्ट्र की सीमा बनाते महाराजगंज जनपद से जुड़ा हुआ प्राचीन एवं विश्वविख्यात नगर है। यहाँ धार्मिक पुस्तकों के लिये विख्यात "गीता प्रेस" एवं नाथ सम्प्रदाय के गुरू गोरखनाथ की तपस्थली होने के साथ ही साथ इस मण्डल में बौद्ध तीर्थ "कुशीनगर", जैन तीर्थ "पावा" तथा तथा पश्चिमी सीमान्त पर सन्त कबीर की निर्वाण–स्थली "मगहर" जैसे प्रसिद्ध स्थल है। जहाँ आदमी दूर–दूर से प्रेरणा प्राप्त करने आते हैं। हिन्दी के सशक्त हस्ताक्षर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, उर्दू के प्रसिद्ध शायर "फिराक" एवं कथा सम्राट "मुंशी प्रेमचन्द" की कर्मस्थली होने तथा स्वतन्त्रता संग्राम में "चौरी–चौरा", "छावनी" जैसे स्थानों की सहभागिता के कारण गोरखपुर राष्ट्रीय मानचित्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ एक विश्वविद्यालय, एक इन्जीनियरिंग कालेज भी है, जो पूर्वांचल में गोरखपुर को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होने के कारण रेल मानचित्र में भी गोरखपुर का एक प्रमुख स्थान है। गोरखपुर के मुख्य दर्शनीय स्थल महायोगी गुरू गोरक्षनाथ की तपःस्थली "गोरखनाथ मन्दिर", धार्मिक एवं अध्यात्मिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वाली – "गीता प्रेस" गोरखपुर का वृन्दावन "गीता वाटिका" "विष्णु मन्दिर", "इमामबाड़ा" "सूर्यकुण्ड" बौद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित – "रामगढ़ताल" परियोजना हे जो जनपद के बाहर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

जनपद के भटहट विकास क्षेत्र के औरंगाबाद क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध टेराकोट उद्योग विकसित है जिसमें उस क्षेत्र के महिलाएं बच्चे भी सहयोग करते हैं। जबकि नगर के

उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र गोरखनाथ व हुमायूँपुर से सटे क्षेत्रों में उच्चकोटि के हैण्डलूम के वस्त्रों का उत्पादन होता है जो वहाँ के लोगों की जीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है।

जनपद गोरखपुर का क्षेत्रफल 3483.6 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसंख्या 1991 में 3062396 थी। जो जनगणना 2001 के अनुसार 3784720 हो गयी है इसमें लगभग 1852958 महिलाएं तथा 1931762 पुरूष हैं। 0–6 वर्ग की आयु में जनसंख्या 684484 है, जो 18.08 प्रतिशत है। यहाँ की आबादी का लगभग 83 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कुल जनसंख्या में 41.08 प्रतिशत कृषि श्रमिक है। लगभग 02 प्रतिशत लोग परिवारिक उद्योग में एवं 04 प्रतिशत लोग गैर पारिवारिक उद्योगों में संलग्न है। व्यापार एवं वाणिज्य में लगभग 7–8 प्रतिशत आबादी संलग्न है।

जनपद गोरखपुर हिन्दी भाषी क्षेत्र है। यहाँ 95.33 प्रतिशत हिन्दी भाषी, 4.51 प्रतिशत उर्दू, 0.07 प्रतिशत पंजाबी एवं 0.04 प्रतिशत बंगाली भाषा बोलने वाले लोग हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात गोरखपुर परिक्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्व बना हुआ है। गोरखपुर जनपद का उत्तरी भाग वन सम्पदाओं से युक्त होने के कारण भू–सामाजिक लाभ तो प्रदान करता है किन्तु वनाच्छादित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। जिससे यहाँ की जलवायु नम रहती है। तथा मलेरिया एवं नाना प्रकार के संक्रामक रोगों का प्रकोप इस क्षेत्र के निवासियों को झेलना पड़ता है। हिमालय से दूरी कम होने के कारण इसका उत्तरी क्षेत्र तराई भू–भाग हैं। इस परिक्षेत्र में होकर बहने वाली नदियों में प्रमुख नदियाँ अचिरावती अर्थात् राप्ती, सरयू, रोहिणी, अमरावती अर्थात् आमी व कुआनो है जो यहाँ के जल निकासी का मुख्य स्रोत भी है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण वर्षा ऋतु में नदी नाले विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तथा प्रायः बाढ़ आती रहती है। वर्ष 1998 में जनपद में इतनी भीषण बाढ़ आ गयी थी कि पूरे जनपद का लगभग 3/4 भाग जलमग्न हो गया था जिसमें शहर का दक्षिणी भी सम्मिलित था। उस समय भारी धन–जन की हानि हुई थी। इस प्रकार गोरखपुर को आकार देने में बाढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्र में स्थित यह जनपद सम्प्रति प्रगति की ओर प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर है। औद्योगिक रूप से पिछड़े इस मण्डल को गीडा क्षेत्र की स्थापना से एक प्रकाश स्तम्भ प्राप्त हुआ है। आशा है कि इस प्रयास से औद्योगिक रूप से भी इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा।

प्रशासनिक इकाईया :

गोरखपुर जनपद उ0प्र0 के पूर्वांचल का प्रमुख जनपद है। इसमें कुल 7 तहसीलें, 19 विकास खण्ड, एक नगरीय क्षेत्र गोरखपुर नगर निगम एवं कुल 7 टाउन एरिया हैं। जिनका विवरण नीचे तालिका में है :–

सारणी – 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ

	संख्या
तहसील	7 (कैम्पियरगंज, सहजनवां, खजनी, गोला, सदर, चौरीचौरा, बाँसगांव।)
विकासखण्ड	19
न्याय पंचायत	191
ग्राम पंचायत	1244
राजस्व ग्राम	3319
आबाद ग्रामों की संख्या	2876
नगरीय क्षेत्र	8
नगर निगम	1 (गोरखपुर)
नगरपालिका	–
टाउन एरिया	7 (गोला, सहजनवां, पिपराइच, पीपीगंज, बड़हलगंज, बाँसगांव, मुण्डेरबाजार।)
वार्ड	160

स्रोत : जिला सांख्यिकी पत्रिका 1998

जनांकिकीय विवरण:

गोरखपुर जनपद की जनसंख्या: 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 30.62 लाख है। जनसंख्या का घनत्व जनपद में 923 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है। महिला पुरूष अनुपात 1000:925 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 22.05 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में 491 अनु. जनजाति के लोग थे। इस सन्दर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि इस जनपद में अनु. जनजाति वर्ग का कोई स्थाई निवासी नहीं है। जनपद में अनु. जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उरूवा विकास क्षेत्र में है, जो 31.39 प्रतिशत है तथा दूसरे नम्बर पर गोला विकास खण्ड में 31.12 प्रतिशत है जबकि सबसे कम जनसंख्या कैम्पियरगंज विकास खण्ड में 16.63 प्रतिशत है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 3784720 है। जिसमें 1852958 महिलायें तथा 1931762 पुरुष हैं। 0–6 आयु वर्ग में जनसंख्या 684484 है जो कुल जनसंख्या का 18.08 प्रतिशत है। 1991 से 2001 के मध्य तनपद की वार्षिक वृद्धि दर 2.1 प्रतिशत रही है।

विकासखण्ड वार 1991 की जनसंख्या तथा 2001 की अनुमानित जनसंख्या नीचे की सारणी में उल्लिखित है: –

सारणी – 1.2

विकासखण्ड वार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या			1991 की कुल अनु0 जाति की जनसंख्या			2001 की कुल अनुमानित अनु0 जाति की जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	पाली	55548	50238	105786	69049	62448	131497	13120	11991	25111	16309	14905	31214
2.	सहजनवा	65350	59788	125138	81350	74319	155669	17174	15994	33168	21348	19881	41229
3.	पिपरौली	67852	63456	131308	84343	78879	163222	12479	12031	24510	15512	14955	30467
4.	जं0 कौड़िया	88768	78409	167177	110343	97466	207809	17241	15380	32621	21431	19118	40549
5.	चरगावां	71237	62277	133514	88551	77413	165964	15037	13523	28560	18692	16810	35502
6.	भटहट	65500	59030	124530	81420	73377	154797	12890	11566	24456	16023	14377	30400
7.	पिपराइच	66110	59652	125762	82178	74150	156328	14212	13010	27222	17666	16172	33838
8.	सरदार नगर	64675	58966	123641	80394	73298	153692	17431	16026	33457	21668	19921	41589
9.	खौराबार	64726	58695	123421	80458	72961	153419	16823	15605	32428	20912	19398	40310
10.	ब्रह्मपुर	65692	63721	129413	81658	79208	160866	15711	15396	31107	19530	19138	38668
11.	कौड़ीपुर	63385	64127	127485	78757	79713	158470	15604	15767	31371	19397	19599	38996
12.	वासगांव	59863	60031	119894	74413	74622	149035	17864	17895	35759	22206	22244	44450
13.	उरुवा	65758	66484	133242	81740	82643	164383	20828	20998	42826	23890	26102	49992
14.	गगहा	63879	64515	128394	79405	80195	159600	16878	16690	33598	20980	20747	41727
15.	खजनी	66981	64672	131653	73261	80391	163652	18089	17760	35849	22486	22077	44563
16.	बेलघाट	64133	64508	128641	79721	80187	159908	17960	17983	35943	22325	22354	44679
17.	गोला	58136	58491	116690	72344	72707	145051	18122	18193	36315	22527	22615	45142
18.	बड़हलगंज	64023	62595	126618	79564	77809	157393	13874	13472	27346	17246	16746	33992
19.	कैम्पियरगंज	98950	85823	184813	123000	106682	229682	16340	14460	30743	20311	17975	38286
20.	नगरीय क्षेत्र	309741	265536	575276	385024	330199	715223	39636	34280	73916	49269	42612	91881
	योग	1590343	1472053	3062396	1976993	1828667	3805660	347313	327967	675280	429728	407746	837474

स्रोत : 1991 की जनसंख्या जिला सांख्यिकी पत्रिका

वर्ष 2001 की जनगणना के विकास खण्डवार व जातिवार सारिणी अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

साक्षरता दरः जनपद की कुल साक्षरता दर 43.30 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 37.25 तथा नगर क्षेत्र की 68.54 है। ग्रामीण / नगरीय क्षेत्र की साक्षरत प्रतिशत निम्न सारणी में दिया गया है।

सारणी – 2.1

साक्षरता सम्बन्धी विवरण

जनपद की साक्षरता दर (1991)	जिले की स्थिति
1. कुल साक्षरता	43.30
2. ग्रामीण साक्षरता	37.25
3. नगरीय साक्षरता	68.59
4. कुल पुरूष साक्षरता	60.61
5. कुल महिला साक्षरता	24.49
6. ग्रामीण पुरूष साक्षरता	56.09
7. ग्रामीण महिला साक्षरता	17.23
8. नगरीय पुरूष साक्षरता	78.52
9. नगरीय महिला साक्षरता	56.74

स्रोतः सांख्यिकी पत्रिका 1998

नोटः वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 60.96 प्रतिशत हो गयी है। पुरूष साक्षरता दर 76.70 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 44.48 प्रतिशत है। विगत दशक के जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ग्रामीण/नगरीय साक्षरता सूची उपलब्ध नही है।

जनपद गोरखपुर में –

विकास खण्डवार महिला पुरूष एवं कुल साक्षरता की स्थिति निम्नवत् है : –

सारणी 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता की स्थिति

क्र0 स0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	पाली	60.5	19.1	41.0
2.	सहजनवां	60.8	18.9	40.8
3.	पिपरौली	57.7	18.8	39.0
4.	जंगल कौड़िया	56.8	16.7	38.2
5.	चरगावाँ	44.2	10.8	28.9
6.	भटहट	45.1	9.7	28.5
7.	पिपराइच	53.2	13.1	34.3
8.	सरदार नगर	53.0	15.6	35.3
9.	खोराबार	52.3	12.9	33.6
10.	ब्रह्मपुर	53.3	13.9	33.8
11.	कौड़ीराम	66.0	25.8	45.5
12.	बॉसगाँव	61.0	20.4	40.5
13.	उरूवा	61.5	21.0	41.0
14.	गगहा	62.7	23.5	42.8
15.	खजनी	61.3	18.7	40.3
16.	बेलघाट	54.7	15.6	34.9
17.	गोला	62.6	22.1	42.1
18.	बड़हलगंज	55.6	21.2	38.4
19.	कैम्पियरगंज	50.6	11.0	32.3
20.	नगर क्षेत्र	56.0	46.0	56.0

स्रोतः जिला सांख्यिकी पत्रिका 1998

जनगणना वर्ष 2001 की विकासखण्डवार साक्षरता विवरण उपलब्ध नही है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नगर क्षेत्र के बाद कौड़ी राम विकासखण्ड की साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक 45.5 प्रतिशत है जबकि दूसरे नम्बर पर गगहा विकास खण्ड आता है। जनपद में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत 28.5 भटहट विकास खण्ड का तथा दूसरे नम्बर पर चरगांवा विकास खण्ड का 28.9 प्रतिशत है।

महिला साक्षरता के दृष्टिकोण से भी कौड़ीराम एवं गगहा विकास खण्ड सर्वाधिक है एवं भटहट चरगांवा कैम्पियरगंज विकास खण्ड का दर न्यूनतम है। इनमें बालिका शिक्षा के लिये विशेष प्रयास किया जाएगा।

शैक्षिक संस्थाएँ :

गोरखपुर जनपद यद्यपि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है तथापि विश्व बैंक परियोजना से पोषित होने, मंडल मुख्यालय होने से प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर इंजिनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज सहित मूक एवं बधिर कालेज एंव एक अंध विद्यालय से मुख्यालय पोषित है। विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति अधोलिखित सारणी से स्पष्ट है।

सारणी –2.3

जिले की शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति

	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्राथमिक विद्यालय	1753	59	1812	279	159	438	2032	220	2252	61	26	87
माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	–	–	14	–	14	–	–	–	–	–	–
उच्च प्राथमिक विद्यालय	300	09	309	186	59	245	486	68	554	59	72	131
माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	03	02	05	107	38	145	110	40	150	–	–	–
केन्द्रीय विद्यालय	–	01	01	–	–	–	–	01	01	–	–	–
नवोदय विद्यालय	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–
हाईस्कूल	–	–	–	32	12	44	32	12	44	04	–	04
इण्टरमीडिएट	03	02	05	75	26	101	78	28	106	01	–	01
डिग्री कालेज	–	05	05	12	–	12	12	05	17	–	–	–
स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	02	02	01	–	01	02	01	03	–	–	–
विश्वविद्यालय	–	–	–	–	01	01	–	01	01	–	–	–
तकनीकी संस्थान (आई0टी0आई0 / पॉलीटेक्निक)	03	03	06	–	01	01	04	03	07	–	–	–
कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ	–	02	02	–	11	11	–	13	13	–	–	–
आंगन बाड़ी केन्द्रों की संख्या	959	60	1019	–	–	–	959	60	1019	–	–	–
मकतब / मदरसे	–	–	–	33	04	37	33	04	37	08	–	08
संस्कृत पाठशालाएँ	–	–	–	19	03	22	19	03	22	–	–	–
विकलांग संस्थाएँ	–	03	03	–	–	–	–	03	03	–	–	–
बालश्रमिक की संस्थाएँ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

स्रोत : जिला सांख्यिकी पत्रिका 1998 / विभागीय आकड़े 2000

जनसंख्या की दृष्टि से परिषदीय/शासकीय विद्यालयों की उपलब्धता देखी जाय तो प्रति 2100 की जनसंख्या पर एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं प्रति 2316 की जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता है। यदि कुल उपलब्ध विद्यालयों में मान्यता प्राप्त विद्यालय को सम्मिलित कर लिये जाये तो प्रति 1690 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक तथा प्रति 6869 की जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता है।

बच्चों की संख्या के दृष्टिकोण से यदि विद्यालय की उपलब्धता देखी जाये तो 266 बच्चों पर एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा यदि इसमें मान्यता प्राप्त को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो 214 बच्चों पर एक प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सम्पूर्ण बस्तियां या ग्राम सभाएं सेवित हो गयी हैं। कतिपय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है तो कतिपय में कम। राज्य सरकार के वर्तमान मानक के अनुसार अब भी 63 बस्तियां असेवित हैं, जिन्हे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सेवित किये जाने का लक्ष्य है।

शिक्षकों की उपलब्धता :

छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार जनपद में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। वर्तमान में उपलब्ध आकड़ों के अनुसार छात्र अध्यापक अनुपात 90 : 1 है। अध्यापकों की पूर्ति एक सीमा तक 618 स्वीकृत शिक्षा मित्रों की व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है। फिर भी शिक्षकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अभी भी 2573 पद रिक्त है।

प्रतिवर्ष सेवानिवृत शिक्षकों की संख्या में बढ़ोत्तरी व उसके सापेक्ष शिक्षकों की व्यवस्था न होने तथा गत वर्षो विद्यालयों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी के कारण शिक्षकों की कमी की यह स्थिति और विकराल होती जा रही है। जिस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

सारणी – 2.4

शिक्षकों की उपलब्धता

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षामित्रों की सं0
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	6897	4324	2573	618
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1711	1427	234	शून्य

स्रोत : विभागीय आँकड़े दिसम्बर 2000

वर्तमान में जनपद में अध्यापको का कुल सृजित पद 6897 है जिसमें मात्र 4324 अध्यापक ही कार्यरत हैं। ड्राप आउट बच्चों को निकालने के बाद बचे हुऐ छात्र संख्या के आधार पर भी 1.40 के अनुपात में अध्यापकों की यदि आवश्यकता देखी जाय तो जनपद में 2001 में 8246 अध्यापकों की आवश्यकता होगी। कार्यरत अध्यापकों की संख्या घटायी जाय तो 3922 अध्यापकों की आवश्यकता है यदि इसमें शिक्षा मित्रों की संख्या घटायी जाय तो 3304 अध्यापको की आवश्यकता है। अध्यापक की इस कमी के कारण अधिकांश विद्यालयों को एक अध्यापकीय आधार पर चलाया जा रहा है जो गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए बाधक है।

शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य शालात्याग के शून्यीकरण के लक्ष्य एवं असंवेत बस्तियों में विद्यालयों के लक्ष्य की पूर्ति करते हुए पूर्व में स्वीकृत संख्या के आधार पर जो अध्यापको की आवश्यकता बन रही है, वह अध्याय छः में दर्शाया गया है

असेवित क्षेत्र (प्राथमिक स्तर): –

जनपद में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों से जहाँ अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित है एवं चल रही है वही अब भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके 1:5 कि.मी. के अन्दर कोई विद्यालय उपलब्ध नही है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी असेवित क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक बाधाओं के कारण 1.5 कि0मी0 के अन्दर विद्यालय होते हुए भी उसका लाभ नही ले पाते हैं। जनपद मं मानक के अनुसार असेवित क्षेत्रो की स्थिति निम्न सारणी से स्पष्ट हो रहा है : –

सारणी 2.5

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 कि.मी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि.मी. से अधिक किन्तु 1.5 कि.मी. से कन दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	1708	282	63

स्रोतः विभागीय आँकड़े दिसम्बर 2000

जनपद में वर्तमान में 63 बस्तियां विद्यालय उपलब्ध होने के कारण असेवित रह गयी जहाँ के प्रस्ताव अब भी प्राप्त हो रहे हैं। अतः इस योजना के तहत इन्हें सेवित किये जोन का लक्ष्य है। विकास खण्डवार असेवित बस्तियों की संख्या सारणी 2.51 में दर्शायी गयी है।

सारणी – 2.5.1

प्राथमिक विद्यालय हेतु ब्लाकवार असेवित बस्तियों की संख्या

क्र.सं.	नाम विकास खण्ड	असेवित बस्तियों की संख्या
1	खोराबार	2
2	पिपराईच	7
3	भटहट	4
4	चरगांवा	1
5	जंगल कौड़िया	2
6	पिपरौली	1
7	सहजनवां	6
8	पाली	6
9	कैम्पियरगंज	6
10	खजनी	1
11	बाँसगांव	1
12	उरूवा	7
13	बेलघाट	13
14	गोला	2
15	गगहा	2
16	बड़हलगंज	2
17	सरदारनगर	0
18	ब्रह्मपुर	0
19	कौड़ीराम	0
योग		63

असेवित क्षेत्र (उच्च प्राथमिक स्तर) :

जनपद के आंकड़ों को देखा जाय तो 11–14 वय वर्ग के बच्चों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में विद्यालय बहुत कम है। इसका परिणाम यह होता है कि इस वय वर्ग में नामांकन का दर अपेक्षाकृत कम होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2003 तक शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य पूर्ति हेतु विद्यालय की पहुँच का विस्तार किया जाना है। इसके लिए प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करायी जायगी। हालाकि दो प्राथमिक के लिए जनपद में कहीं–कहीं मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, किन्तु उनका दृष्टिकोण व्यावसायिक होने, तथा शत–प्रतिशत नामांकन में कोई रूचि न लेने कारण प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक परिषदीय/शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लक्ष्य पर ही शत–प्रतिशत नामांकन कराया जा सकेगा।

इस प्रकार जनपद में कुल प्राथमिक विद्यालय के आधार 2:1 के मानक तथा पूर्व से उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति के आधार आवश्यकता निम्न सारणी से स्पष्ट है।

सारणी 2.6

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

कुल प्राथमि विद्यालयों की संख्या	सर्वशिक्षा अभियान में प्रस्तावित नये प्राथमिक विद्यालय	योग	2:1 के मानक के अनुसार आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	पूर्व से उपलब्ध परिषदीय/शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	2:1 के मानक पर वास्तविक आवश्यकता
1812	63	1875	938	309	629

विद्यालय में भौतिक सुविधाएं . .

(क) प्राथमिक स्तर

जनपद में समस्त विद्यालयों में भौतिक सुविधाए जो सम्प्रति उपलब्ध है, उनका विवरण अधोलिखित सारणी में उल्लिखित है। भौतिक सुविधाएं अपेक्षित परिमाण में नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इनकी आपूर्ति एवं इसके साधन पर ध्यान दिया जायगा।

सारणी – 2.8

प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं (1.1.2001 की स्थिति)

क्र.सं.	प्राथमिक विद्यालय	नगर क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	योग
1.	विद्यालयों की संख्या	53	1759	1812
	(i) भवनयुक्त विद्यालय	53	1742	1795
	(ii) भवनहीन विद्यालय	0	4	4
	(iii) जर्जर (पुनर्निर्माण योग्य) विद्या0	0	13	13
2.	एक कक्षीय विद्यालय	18	20	38
	दो कक्षीय विद्यालय	13	633	646
	तीन कक्षीय विद्यालय	09	806	815
	चार कक्षीय विद्यालय	12	196	208
	पाँच कक्षीय विद्यालय	0	72	72
	पाँच से अधिक कक्ष वाले विद्यालय	0	33	33
3.	मरम्मत योग्य विद्यालय			
	(i) लघु मरम्मत योग्य	13	323	336
	(ii) दृढ़त मरम्मत योग्य	11	121	132
4.	शौचालय			
	(i) शौचालय युक्त विद्यालय	01	1372	1373
	(ii) शौचालय विहीन विद्यालय	52	387	439
5.	हैण्डपम्प			
	(i) हैण्डपम्प युक्त विद्यालय	53	1482	1535
	(ii) हैण्डपम्प विहीन विद्यालय	0	277	277
6.	चहारदीवारी			
	(i) चहारदीवारी युक्त विद्यालय	13	71	84
	(ii) चहारदीवारी विहीन विद्यालय	40	1688	1728

स्रोत : विभागीय आंकड़े सितम्बर 2000

(ब) उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालय में भौतिक सुविधा अपर्याप्त है। इस स्तर पर शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु धन का पर्याप्त प्राविधान करना होगा। विद्यालयों के लिये स्वच्छ जल एवं शौचालय की आवश्यकता निम्नवत् सारणी में प्रदर्शित है–

सारणी 2.9

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधायें (1.1.2001 की स्थिति)

		नगर क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	योग
1.	विद्यालयों की संख्या	7	297	304
	भवन युक्त विद्यालय	7	280	287
	भवन हीन विद्यालय	01	02	03
	जर्जर (पुर्ननिर्माण योग्य) विद्यालय	0	14	14
2.	एक कक्षीय विद्यालय			
	दो कक्षीय विद्यालय	0	5	5
	तीन कक्षीय विद्यालय	01	59	60
	चार कक्षीय विद्यालय	03	130	133
	पाँच कक्षीय विद्यालय	01	76	77
	पाँच से अधिक कक्ष वाले विद्यालय	01	23	24
3.	मरम्मत योग्य विद्यालय			
	लघु मरम्मत योग्य	02	49	51
	वृहद मरम्मत योग्य	02	29	31
4.	शौचालय			
	शौचालय युक्त विद्यालय	02	273	275
	शौचालय विहीन विद्यालय	05	24	29
5.	हैण्ड पम्प			
	हैण्ड पम्प युक्त विद्यालय	07	258	265
	हैण्ड पम्प विहीन विद्यालय	0	39	39
6.	चहार दीवारी			
	चहार दीवारी युक्त विद्यालय	07	24	31
	चहार दीवारी विहीन विद्यालय	0	273	273

स्रोत : विभागीय आंकड़े, सितम्बर 2000

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में 12 विद्यालय भवन, 12 शौचालय, 12 हैण्ड पम्प तथा 12 चहार दीवारी का निर्माण कराया गया।

सारणी 2.10

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	63	–	63	629	–	629
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	17	–	17	17	–	17
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1652	–	1652	373	–	373
4.	पेयजल	277	–	277	39	–	39
5.	शौचालय	439	–	439	29	–	29
6.	चाहारदीवारी	1728	–	1728	273	–	273

स्रोत– विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (गोरखपुर)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कन्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य कर रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायंस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है:

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
कक्षा 1	128327	110892	109861	111188
कक्षा 2	104938	103131	94390	94144
कक्षा 3	75056	89739	87971	80772
कक्षा 4	53285	62150	70265	73824
कक्षा 5	45219	48276	57545	65008
योग	**406825**	**414188**	**407032**	**424936**
जी0ई0आर0				
कुल	97.2	90.18	90.06	93.50
बालिका	92.2	87.95	97.7	96.13
एन0ई0आर0				
कुल	85.38	81.13	80.34	84.43
बालिका	80.79	79.43	87.69	87.14

जनपद के नामांकन में औसतन 1.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालकों के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है। कक्षा–5 में 15.37 बच्चे हैं। जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	1267	1812	35
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	4926	6897	40

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 5 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	14.84	12.64	16.03	8.27	44.1	43.1
1999	12.59	13.70	13.88	4.67	39.1	39.1
2000	15.08	13.73	15.48	13.63	47.1	42.9

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट अधिक है, जिसे कम करने हेतु और अधिक सुनियोजित प्रयास करने होंगे। ठहराव बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन एवं गुणवत्ता कार्यक्रमों पर बल देना होगा। यहां पर यह अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	2.93	6.93
1999	2.39	6.51
2000	1.52	7.15

रिपीटीशन दर मात्र 1.52 है जो उत्साहवर्धक उपलब्धि है। प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 7 वर्ष लग रहे हैं। शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में और वृद्धि किया जाना आपेक्षित है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 – 1 : 64
एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 – 23.10
छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) – 1 : 55

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में कमी आयी। परियोजना के अन्तर्गत शिक्षामित्रों के पद सृजित किये गये जिन पर अब तैनाती हो गयी है। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों की संख्या में और कमी आयेगी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:64 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:55 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–गोरखपुर

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	19542	16205	11916	47663	-
1999-2000	20982	17400	12794	51176	7.37
2000-2001	27453	22766	16740	66958	30.83

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	48276	19542	-
1999-2000	58545	20982	43.46
2000-2001	65008	27982	42.23

तालिका से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण आधे से अधिक बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	169	304	80
उच्च प्राथमिक अध्यापक	1070	1713	60

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	1759	297	133	430	4.09 :1
नगर क्षेत्र	53	07	48	55	0.96 :1
योग	**1812**	**304**	**181**	**485**	**3.73:1**

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:4 है।

गोरखपुर

अध्याय–3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया अन्य योजनाओं प्रक्रिया से भिन्न है। इस अभियान के तहत समुदाय के विभिन्न वर्गों की सहभागिता पर पूरी तरह से बल दिया गया है। इस नियोजन प्रक्रिया में ग्राम/बस्ती विशेष की आवश्यकताओं पर वहाँ के समुदाय से समस्याओं पर विचार–विमर्श कर स्थानीय विशेषता एवं आवश्यकताओं के आधार पर समस्याओं के निराकरण हेतु रणनीति बनाई गयी है।

स्कूल चलो अभियान –

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्ति के लिये 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर बेसिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया। यह कार्यक्रम दो चरणों में सम्पन्न हुआ। प्रथम चरण 1 जुलाई 2000 से 9 जुलाई 2000 तक चलाया गया और द्वितीय चरण 10 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया गया।

प्रथम चरण –

इस चरण में मुख्य रूप से बच्चों के चिन्हांकन का कार्य किया गया। अभियान का शुभारम्भ मुख्यालय पर तत्कालीन जिलाधिकारी श्री राजन शुक्ला द्वारा ज्ञानदीप, प्रज्वलित कर किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियो को आमंत्रित किया गया तथा उनके बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने काा आह्ववान किया गया। उसी समय विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक प्रमुख/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के माध्यम से "स्कूल चलो अभियान" का शुभारम्भ किया गया।

"स्कूल चलो अभियान" के लिए उत्तर प्रदेश सरकार/शासन द्वारा नामित प्रभारी मंत्री जी दिवाकर विक्रम सिंह कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अस्वस्थ रहने के कारण "स्कूल चलो अभियान" के सन्दर्भ में जनजागरण हेतु निकाली जाने वाली रैली को माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल ग्राम्य विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके पूर्व अपने सम्बोधन में उन्होने बच्चों को विद्यालय में नामांकन के साथ ठहराव भी सुनिश्चित

करने का अनुरोध किया, साथ बालिका शिक्षा एवं प्रभात फेरियां निकल कर जन जागरण का कार्य किया गया।

बच्चों के चिन्हांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अध्यापकों /आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/स्वास्थ्य कार्यकत्रियों/बहुउद्देश्यी कर्मचारियों के टीम का रोस्टर बना कर एक ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर–घर घूम कर बच्चों का चिन्हांकन किया गया। जिलाधिकारी के निर्देशन में सभी 191 ग्राम पंचायतों के लिए राजकीय निर्माण इकाई/जल निगम/नलकूप प्रखण्ड के अवर अभियंताओं विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिनके पर्यवेक्षण में प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को चिन्हांकन कार्य हेतु अच्छादित किया गया।

इस प्रकार जनपद के कुल 161 न्यायपंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 60 वार्ड के कुल 5,25,755 परिवारों का बाल गणना किया गया। इसमें 6–14 वय वर्ग के कुल 7,16,588 बच्चे चिन्हीत किये गये, इसमें से 6.11 वय वर्ग के कुल 532276 तथा 11–14 वय वर्ग के 184312 बच्चे चिन्हीत हुए।

द्वितीय चरण –

इस चरण में प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक चिन्हांकित बच्चों का नामांकन किया गया तथा 2.00 बजे से 4.00 बजे तक अभिभावकों से जन सम्पर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु उन्हें प्रेरित करने का कार्य किया गया, इसमें संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया तथा समय–समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का भ्रमण भी किया गया, विद्यालय न आने वाले बच्चों के विद्यालय में दाखिला कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक में गोष्ठियां की गयी एवं गाँव स्तर पर जागरूक व्यक्तियों की टीम/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा जनसम्पर्क किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6–11 वय वर्ग के न पढ़ने जाने वाले 60, 296 चिन्हांकित बच्चों में से 32, 713 बच्चों का नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के न पढ़ने जाने वाले 22, 626 चिन्हांकित बच्चों में से 8, 845 का नामांकित कराया गया।

अवशेष नामांकन हेतु विशेष चरणः

न पढ़ने जाने वाले चिन्हांकित बच्चों में से अवशेष बच्चों की संख्या को देखते हुए उनके नामांकन हेतु "विशेष अभियान" चला कर कार्य पूरा कराया गया, जिसके फलस्वरूप 6–11 वय

वर्ग के न पढ़ने वाले चिन्हांकित कुल 60, 296 बच्चों के सापेक्ष 48, 339 बच्चों का नामाकन करा लिया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले चिन्हांकित 22, 626 बच्चों में से 16, 550 बच्चों का नामांकन करा दिया गया। शेष बच्चों के सन्दन्ध में बाल गणना के समय यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश की उम्र मं उनके प्रवेश लेने योग्य कक्षाओं के सापेक्ष काफी अन्तर हैं। जिसके कारण उनका प्रवेश औपचारिक विद्यालय में नही कराया जा सकता। इस प्रकार 6–11 वय वर्ग में अभी भी 11,957 तथा 11–14 वय वर्ग में 6076 बच्चे स्कूल न जाने के श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट है।

	बाल गणना में कुल चिन्हांकित बच्चों की संख्या		अभियान के तहत न पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चे		अभियान के अन्तर्गत नामांकित बच्चे	
	6–11 वय वर्ग	11–14 वय वर्ग	6–11 वय वर्ग	11–14 वय वर्ग	6–11 वय वर्ग	11–14 वय वर्ग
बालक	276784	97685	31354	1192	25136	8772
बालिका	255492	86627	2942	10634	23203	7778
योग	532276	184312	60296	22626	48339	16550

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा-योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रवुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता हैं?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये

1. परिवार सर्वेक्षण

2. स्कूल का मानचित्रण / शैक्षिक मानचित्र

3. सूचनाओं का विश्लेषण

4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

: ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों / शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या

2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या

3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या

4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या

5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी

6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों / बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इन्ही को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/ बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता –पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व सकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

बैठक/विचार–विमर्श के बिन्दु और उनका संक्षिप्त विवरण,

दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार–विमर्श के बिन्दु/सुझाव
09.02.2001	ग्राम सभा तीहा मोहम्मदपुर,, विकास क्षेत्र–बड़हलगंज	ग्राम प्रधान – 37 (महिला – 06) (अनु0जा0 – 18)	1. बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जहाँ बरसात में दो तीन महीने सम्पर्क टूट जाता है ड्राप आउट अधिक क्षेत्र है। 2. उसी गाँव में शिक्षण की व्यवस्था करवाकर एवं दलित मलिन क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर बच्चों एवं अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। 3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सहभागिता एवं नये अभियान में सक्रिय करने हेतु विशेष प्रशिक्षण। 4. बालिकाओं को शिक्षा के लिए दूर जाने में कठिनाई।
10.02.2001	जिला परिषद हाल, गोरखपुर	जिला पंचायत अध्यक्ष मान0 सांसद, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य एवं जन–प्रतिनिधि संख्या – 06	1. प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षावार अध्यापकों की व्यवस्था जिससे गुणवत्ता परक शिक्षा दी जा सकें। 2. खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु अनिवार्य घंटा निर्धारित करना। 3. अभिभावक/मातृ सम्मेलन 4. जिन ग्रामों में एक से अधिक प्रा0वि0 हैं और उ0प्रा0वि0 नहीं है वहाँ अतिरिक्त प्रा0वि0 को उच्चीकृत कर उच्च प्राथमिक बना दिया जाय।

10.02.2001	जिला परिषद हाल, गोरखपुर	ब्लाक प्रमुख – 09 वर्तमान नागरिक–05	1. विद्यालयवार अध्यापकों की आवश्यकता का निर्धारण और उसी के सापेक्ष पदस्थापन। 2. क्षेत्र शिक्षा समिति की नियमित बैठक एवं शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना।
10.02.2001	जिला परिषद हाल, गोरखपुर	अध्यापक संघ – 11	1. गाँव में शिक्षा में रूचि लेने वाले शिक्षा विदों को ग्रामशिक्षा समिति का अनिवार्यतः सदस्य बनाना। 2. शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता न होने पर ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष (ग्राम प्रधान) को बहुतम के आधार पर बदलने की व्यवस्था।
20.02.2001	ग्राम जंगल डुनरी (भटहट)	दलित बस्ती के समुदाय–103 (महिलाएं – 32) (पुरूष – 71)	1. वस्त्र के अभाव में बच्चों को स्कूल भेजना सम्भव नहीं हो पाता है। 2. बच्चों के पास स्कूल जाने लायक बस्ता/बैग नहीं होता है। 3. रोजगारपरक शिक्षा हो जिससे उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन हो तथा लाभांश बच्चों में वितरित हो। 4. पूरे समय के लिए विद्यालय भेजना सम्भव नहीं हो पाता इसलिए वैकल्पिक शिक्षा उपयोगी होगा।
27.02.2001	पूर्व मा0 विद्या. खजनी, विकास खण्ड, खजनी	अधिकारी–3 अध्यापक–5 समन्वयक–1 गणमान्य व्यक्ति–2	1. पूर्व माध्य. विद्यालयों में विषयवार अध्यापक हो। 2. एक ही प्रांगण में चलने वाले सभी विद्यालयों में समन्वय हो। 3. अध्यापक समय से आये एवं पूरे समय रहें। भट्टे पर काम करने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाय।

27.02.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र कैम्पियरगंज वि0क्षेत्र0 कैम्पियरगंज	अधिकारी–2 समन्वयक–1 अध्यापक–8 ग्रा0शि0समि0 के सदस्य–3	1. ड्राप आउट बच्चों को सत्र के प्रारम्भ में ही चिन्हित कर विद्यालय वापस लाने का प्रयास किया जाय। 2. सामूहिक खेलकूद/सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाय। जिसमें अभिभावकों को बुलाया जाय। 3. कमजोर या कक्षा में पिछड़े बच्चें को अलग से समय दिया जाय। 4. शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ायी जाय।
27.02.2001	हजारीपुर मोहल्ला (गोरखपुर सदर)	पत्थरकट समुदाय के सड़क छाप लोग – 46 (महिला – 21) (पुरूष – 25)	1. पत्थर काटने का कार्य ही मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है जिसमें बच्चें भी लगे रहते हैं। इसलिए उनके पास स्कूल जाने का समय नहीं मिलता। 2. विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था होना चाहिए। 3. बाल बाड़ी टाइप विद्यालय खोला जाय।
01.03.2001	ग्राम पंचायत अमवा, विकास क्षेत्र चरगांवा	ग्राम प्रधान–1 ग्र.शि. समि. के सदस्य–5 अध्यापक–2 गणमान्य व्यक्ति–4 अधिकारी–1	1. अध्यापको की उपस्थिति ठीक नहीं है। 2. अभिभावको का समय–समय पर विद्यालय में बुलाकर विचारों का आदान–प्रदान किया जाय। 3. प्रार्थना अवश्य हो तथा उसके बाद प्रार्थना स्थल पर ही नैतिकता के सम्बन्ध में कहानियों के माध्यम से बच्चों को संस्कार दिया जाय।

			4. अध्यापक पढ़ाने में कम आपस में बाते करने में ज्यादा समय लगाते हैं।
01.03.2001	बैंक रोड, (नगर क्षेत्र)गोरखपुर	बँसफोर समुदाय– 35 (महिला – 17) (पुरूष – 15) (बच्चे – 8)	1. बस्ती के निकट विद्यालय की व्यवस्था हो। 2. शिक्षा के साथ पुष्टाहार की व्यवस्था हो। 3. रोजगार परक शिक्षा हो।
04.03.2001	जमुनहिया ग्राम गोरखनाथ, गोरखपुर	हथकरघा उद्योग से जुड़े समुदाय	1. हिन्दी के साथ उर्दू की भी शिक्षा जोड़ी जाय। 2. बस्ती के निकट विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोल कर स्कूल जाने के लिए बच्चों को उत्साहित किया जाय। 3. बच्चों को रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण भी शिक्षा के साथ देने से अभिभावक की रूचि स्कूल भेजने में बढ़ेगी।
04.03.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र गोला, टाउन एरिया क्षेत्र, गोला	1. अधिकारी–2 2. गणमान्य व्यक्ति–6 3. जन प्रतिनिधि–4 4. समन्वयक अध्यक्ष टाउन एरिया–1 सदस्य टाउन एरिया–2 समन्वयक–1	1. अध्यापक को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य से न जोड़ा जाय। इससे पढ़ाई में बाधा होती है। 2. अभिभावक सम्पर्क का एक निर्धारित कार्यक्रम हो तथा विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन आयोजित किये जाय। 3. रूचिपूर्ण शिक्षा दी जाय जिससे स्कूल छोड़कर भागने वाले बच्चों की संख्या में कमी आवे।
04.03.2001	पंचायत घर नौसढ़ विकास क्षेत्र, पिपरौली (नगरीय)	अधिकारी–2 सभासद–1 गणमान्य नागरिक–10	1. बच्चों को गणवेश की व्यवस्था हो। 2. प्रसाधन की व्यवस्था हो।

		अध्यापक–5 महिलाएं–7	3. शिक्षण सामग्री विद्यालय में रखी जाय। 4. विद्यालय की स्वच्छता का ध्यान रखा जाय। विद्यालय में आदर्श वाक्य लिखें जाय। 5. बच्चों में सामान्य ज्ञान, वाद–विवाद कला आदि की प्रतियोगिता करायें। 6. कक्षा के प्रथम स्थान वाले बच्चों को शिशु सभा में पुरस्कृत किया जाय।

विभिन्न समुदायों के साथ किये गये विचार–विमर्श एवं उनसे उभरकर आयी समस्याओं एवं उसके समाधान के ऊपर जनपद स्तर पर विचार–विमर्श किया गया एवं विभिन्न समुदायों क्षेत्रों की स्थानीय विशेषताओं एवं समस्याओं पर ध्यान देते हुए स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न विभागों के साथ परामर्श कर सर्व शिक्षा अभियान के सफलता हेतु रणनीति का निर्धारण किया गया।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथनिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2·1 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद –गोरखपुर

वर्ष :	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	298879	265044	563923	224159	198783	422942	75
2001-02	305155	270610	575765	253279	224606	477885	83
2002-03	311564	276293	587856	283523	251426	534949	91
2003-04	318107	282095	600201	314925	279274	594199	99
2004-05	324787	288019	612806	337778	299540	637318	104
2005-06	331607	294067	625675	364768	323474	688242	110
2006-07	338571	300243	638814	385971	342277	728248	114
2007-08	345681	306548	652229	400990	355595	756585	116
2008-09	352940	312985	665926	416470	369323	785792	118
2009-10	360352	319558	679910	432423	383470	815892	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद –गोरखपुर

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	122020	112633	234653	75652	69832	145485	62
2001-02	124582	114998	239581	85962	79349	165311	69
2002-03	127199	117413	244612	96671	89234	185905	76
2003-04	129870	119879	249749	107792	99500	207291	83
2004-05	132597	122396	254993	119337	110157	229494	90
2005-06	135382	124967	260348	129966	119968	249934	96
2006-07	138225	127591	265816	140989	130143	271132	102
2007-08	141127	130270	271398	149595	138087	287682	106
2008-09	144091	133006	277097	155618	143647	299265	108
2009-10	147117	135799	282916	161829	149379	311208	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	47
2001-02	42
2002-03	37
2003-04	30
2004-05	23
2005-06	14
2006-07	6
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय –5

समस्याएं एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कसन एवं इसमें प्रतिभागियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं के दृष्टिकोण से जो मूल समस्याएं उभर कर आयीं उन गरीबी, बालिकाओं के शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूता की कमी, शिक्षा के महत्व न समझ पाना आदि सामान्य समस्याएं रहीं लेकिन क्षेत्र विशेष की सामाजिक स्थिति, रहन–सहन एवं भौगोलिक स्थिति आदि के सन्दर्भ में कुछ प्रमुख समस्याएं जनपद के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में उभर कर सामने आयीं।

समस्या एवं उनके समाधान की रणनीति इस प्रकार है :–

क्र.सं.	समस्यायें	रणनीति
1	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दो–तीन महीनों से आवागमन बाधित रहने से विद्यालय से दूर रहना।	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बरसात के महिनों में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था किया जायेगा। इसमें लिए ग्राम शिक्षा समितियों का पर्याप्त सहयोग लिया जायेगा। बच्चों के पढ़ाई का क्रम टूटने न पाये इसके लिए शिविर लगाकर अध्ययन जारी रखा जायेगा। इसके लिए पूर्व में ही ऐसे सुरक्षित स्थान का चयन कर लिया जायेगा जहाँ जल–भराव नहीं होता रहा है, जहाँ बच्चों की पहुँच आसानी से हो सकें।
2	घुमन्तू एवं श्रमजीवी बच्चों का स्कूल न जाना	श्रमजीवी बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया जायेगा। ऐसे बच्चे जो विद्यालय में आ सकते है उनको विद्यालय मे प्रवेश कराया जायेगा। जो श्रमजीवी बच्चें जागरूकता के बाद भी परिस्थितिवश विद्यालय आने में असमर्थ है उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा के तहत् EGS एवं AIE केन्द्र खोले जायेंगे।

		घुमन्तू बच्चों के लिए शिविरों का आयोजन किया जायेगा। शिविरों के माध्यम से उनमें शिक्षा के प्रति उनमें रूचि एवं जागरूकता पैदा कर उन्हें विद्यालयों से जोड़ा जायेगा।
3	सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बहुत कम है।	सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। इसमें स्वैच्छिक संस्थाओ, महिला मंगल दल बाल विकास परियोजना के कार्यकत्रियों, ग्रामशिक्षा समितियों, महिला समाख्या आदि का सहयोग लिया जायगा।
4	टेराकोटा पाकेट्स के बच्चों का शाला त्याग करना	इस क्षेत्र के बच्चों के अभिभावकों में सामाजिक चेतना जागृत कर शिक्षा के महत्व को बताते हुए जागरूकता पैदा की जायेगी। शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करके ऐसे बच्चियों को विद्यालय में लाने की व्यवस्था की जायेगी जिनकें अभिभावक टेराकोटा उद्योग में लगे है और अपने छोटे भाई–बहनों के देखभाल के लिए उन्हें घर पर रहना पड़ता है। जो बच्चे विशेष परिस्थिति में विद्यालय नहीं पहुँच पा रहे है, उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जायेगी।
5	पत्तल बनाने वाले पाकेट के बच्चों का नामांकन नही होना	इस पाकेट्स के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय के माध्यम से की जायेगी। कार्यानुभव को इस क्षेत्र विशेष में वरीयता प्रदान की जायेगी एवं इनके अभिभावकों को इसकी जानकारी देकर बच्चों को विद्यालय में लाया जायेगा।
6	उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की दूरी अधिक होने के कारण	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संख्या मे विस्तार किया जायेगा। प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय के सापेक्ष एक

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11496
DOC, No .....
Date 09-07-2002

	एवं कमजोर वर्ग के बालिकाओं की असुरक्षा के कारण विद्यालय न जाना	उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करायी जायेगी। ताकि असुरक्षा के भय से विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को यह प्रेरित किया जा सके कि अब विद्यालय उनकी पहुँच के अन्दर है। साथ ही व्यवसाय परक शिक्षा एवं कार्यानुभव को ब... ा दिया जायेगा।
7	बालिकाओं हेतु शौचालय का अभाव	सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत निर्मित विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी साथ ही साथ परियोजना के पूर्व में निर्मित 645 विद्यालयों में भी प्रसाधन उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद भी अधिकांश विद्यालय में शौचालय के न होने से बालिकाओं का नामांकन एवं उनका ठहराव प्रभावित होता है। अत: शौचालय विहीन विद्यालयों में प्रसाधन उपलब्ध कराने के साथ–साथ निर्मित शौचालयों के रख–रखाव की व्यवस्था इस अभियान के अर्न्तगत सुनिश्चित किया जायेगा।
8	अध्यापकों की कमी	अध्यापकों की कमी के कारण जो विद्यालय एकल हैं उनमें शिक्षा–मित्रों की व्यवस्था करके उन्हें सुदृढ़ किया जायेगा। साथ ही अध्यापकों का बहुकक्षीय शिक्षण की विधा मे प्रशिक्षण कराया जायेगा एवं इस विधा से शिक्षण कार्य करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
9	गुणवत्तापरक शिक्षा की कमी	गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के लिए अध्यापको का विषय प्रशिक्षण, बहुकक्षीय शिक्षण–प्रशिक्षण कराया जायेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं कक्षाओं में इसका प्रयोग कराया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को रू0 500 की धनराशि शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया

		जायेगा। विद्यालयों में खेल–कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का घण्टा निर्धारित किया जावेगा।
10	अध्यापक–अभिभावक में सामजस्य का अभाव	अध्यापकों का अभिभावकों के साथ संवादहीनता न रहे, इसके लिए हर दो मास पर अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिनमें उनके विचारों एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जायेगी। एवं अभिभावकों को उनके बच्चों के प्रगति के बार में जानकारी दी जायेगी।
11	अभिभावकों में जागरूकता की कमी	अभिभावकों को जागरूक बनाने में ग्राम शिक्षा समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समिति द्वारा बैठक में पारित प्रस्ताव को अभिभावक–शिक्षक बैठक में सूचनार्थ रखा जायेगा साथ ही साथ अध्यापक संकुल प्रभारी एवं ब्लाक संसाधन समन्वयक द्वारा विभिन्न गतिविधियों के अर्न्तगत अभिभावकों से सम्पर्क कर उनमें बेसिक शिक्षा के प्रति सामान्य सचेतता पैदा की जायेगी।
12	ठहराव बढ़ाये जाने हेतु जन सहभागिता में वृद्धि की आवश्यकता	ग्राम, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिले स्तर पर गोष्ठी का आयोजन कर प्रत्येक बालक/बालिका का नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित करने एवं विद्यालय को आदर्श स्वरूप प्रदान करने में जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता ली जायगी। "सर्व शिक्षा अभियान मूलतः एक जन अभियान है" इससे प्रत्येक व्यक्ति को अवगत कराया जायेगा।

उपर्युक्त समस्यायें जनपद की अपनी विशिष्ट समस्यायें है। इसके अतिरिक्त भी अन्य सामान्य समस्यायें यथा कई बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना, विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव, अध्यापकों की गरिमा में गिरावट, शिक्षा के बाद भी बेरोजगारी को होना आदि है। जिनके लिए भी उपर्युक्त रणनीतियों एवं प्रभावी–निरीक्षण, समुदाय के सहयोग आदि के माध्यम से निवारण किया जायेगा। क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित अन्य भी समस्यायें भविष्य में हो सकती है जिनके लिए रणनीति का निर्धारण सामुदायिक सहयोग से किया जायेगा।

अध्याय -6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (I)

नवीन औपचारिक विद्यालय

जनपद गोरखपुर में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना संचालित थी जिसके अन्तर्गत विभिन्न वर्षो में सामुदायिक सहयोग से नानक के अनुसार असेवित बस्तियों में कुल 603 प्राथमिक तथा 142 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये। इस प्रकार सुविधाओं में विस्तार से बच्चों की पहुँच में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप नामांकन में वृद्धि हुई हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत खोले गये नवीन विद्यालयों का वर्षवार विवरण निमनवत् है :-

क्र. सं.	वर्ष	स्थापित नये प्राथमिक विद्यालय	स्थापित नये उच्च प्राथमिक विद्यालय
1–	1993–94	115	50
2–	1994–95	74	12
3–	1995–96	139	20
4–	1996–97	104	24
5–	1997–98	104	36
6–	1998–99	0	0
7–	1999–2000	67	0
	योग	603	142

सर्वशिक्षा अभियान के तहत भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भौतिक सुविधाओं का विस्तार कर बच्चों की पहुँच में वृद्धि कराया जाना आवश्यक है। साथ ही विद्यालयों को सुविधा सम्पन्न एवं आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी का निर्माण एवं शिक्षकों की

व्यवस्था तथा काष्टोपकरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस सन्दर्भ में आवश्यकताओं की स्थिति निम्नवत है –

(1) नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :–

राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन विद्यालयों की स्थापना ऐसी अनेवित बस्तियों में प्रस्तावित हैं जिनकी आबादी 300 अथवा इससे अधिक है। विद्यालय की उपलब्धता 1.5 किमी0 या इससे अधिक दूरी पर है। जनपद में कुल प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों का विवरण निम्नलिखित है :–

नवीन प्राथमिक विद्यालय	63
शौचालय	63
हैण्ड पम्प	63
चहारदीवारी	63

विद्यालयों का निर्माण योजना के पूर्वार्द्ध में किया जायगा। इसके लिए भूमि का प्रस्ताव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायगा। जिसका जिला शिक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण सामुदायिक सहयोग से कराया जायगा।

यह उल्लेखनीय है कि नगर क्षेत्र में नये प्राथमिक विद्यलाय/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव इस योजना में नहीं है चूंकि नगर क्षेत्र में विद्यालयों के लिये भूमि उपलबध नहीं हो पायेगी। आवश्यकतानुसार भविष्य में प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं।

ii. शिक्षकों की व्यवस्था :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालयों मे एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायगी। प्राथमिक विद्यालय के लिए दो पदों में से एक पद शिक्षामित्र का होगा, अध्यापकों की आवश्यकता का विवरण निमनलिखित साारणी में है : –

प्रस्तावित नवीन प्राथमिक विद्यलाय	नवीन विद्यालय हेतु कुल अध्यापक की संख्या	अध्यापक	शिक्षामित्र
63	126	63	63

iii. शिक्षण सामग्री :

प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री हेतु 500.00 शिक्षक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष दिया जायगा।

iv. काष्टोपकरण उपस्कर :–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय के प्रथम बार काष्टोपकरण/उपस्कर हेतु रू0 15,000.00 अनावर्तक अनुदान दिया जायगा। जिससे निम्नलिखित सामग्री क्रय किया जायेगा।

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	क्र0 सं0	सामग्री का नाम
1.	बौद्धिक खेलकूद ब्लाक	13.	बाल्टी
2.	रिंग	14.	घण्टा
3.	कूदने की रस्सी	15.	जग एवं गिलास
4.	पशु पक्षियों की पहेलिया	16.	ढोलक
5.	खिलौने	17.	मंजीरा
6.	पाठ्यक्रम	18.	बांसुरी
7.	टाट–पट्टी	19.	हारमोनियम
8.	शैक्षिक चार्ट	20.	कूडादान
9.	श्यामपट्ट	21.	आलमारी
10.	कुर्सी	22.	मिनो टूल्स किट
11.	मेज	23.	गणित किट
12.	पाठ्य–पुस्तक	24.	विज्ञान किट

(2) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना :–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता की गणना

कुल प्राथमिक विद्यालय की संख्या	सर्वशिक्षा अभियान में प्रस्तावित नये प्राथमिक विद्यालय	योग	2:1 के मानक के अनुसार आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	पूर्व से उपलब्ध परिषदीय / शासकी उच्च प्राथमिक विद्यालय	2:1 के मानक पर वास्तविक आवश्यकता
1812	63	1875	938	309	629

i. भवन की व्यवस्था

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	629
शौचालय	629
हैण्ड पम्प	629
चहारदीवारी	629

ii. शिक्षकों की व्यवस्था

प्रधान अध्यापक	629
सहायक अध्यापक	2516

iii. शिक्षण सामग्री :

प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री हेतु 500.00 शिक्षक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष दिया जायगा।

iv. काष्टोपकरण उपस्कर :

प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रथम वार काष्टोपकरण / उपस्कर हेतु रू0 50,000.00 अनावर्तक अनुदान दिया जायगा। जिससे निम्नलिखित सामग्री क्रय किया जायेगा।

क्र0सं0	सामग्री का नाम	क्र0सं0	सामग्री का नाम
1.	रिंग	14.	हारमोनियम
2.	कूदने की रस्सी	15.	बासुरी
3.	टायरयुक्त कूदने की रस्सी	16.	कूड़ादान
4.	[illegible] किट	17.	आलमारी
5.	गणित किट	18.	मेज
6.	विज्ञान किट (उच्च प्राथमिक स्तर)	19.	फुटबाल
7.	पाठ्यक्रम	20.	बेट–बाल
8.	टाट–पट्टी	21.	शैक्षिक चार्ट
9.	श्याम पट्ट	22.	मानचित्र उ0प्र0, भारत विश्व (राजनैतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक)
10.	कुर्सी	23.	ग्लोब
11.	घण्टा	24.	दीवाल घड़ी
12.	ढोलक	25.	बक्सा
13.	मंजीरा	26.	हाकी

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय – 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (II)

(ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)

भारतीय संविधान मे शिक्षा के सार्वजनीकरण को लक्ष्य बनाकर अंगीकृत संकल्प के अनुसार 6 से 14 वय वर्ग के हर बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करना हमारा नैतिक दायित्व है। इस दिशा में विगत 50 वर्षो. में किये गये व्यापक प्रयासों के बावजूद अभी भी हम अपने लक्ष्य से काफी पीछे हैं। इस वास्तविकता को दृष्टिगत रख "सर्व, शिक्षा अभियान" में ऐसे बच्चों के लिये विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जो किन्हीं कारणों से अभी विद्यालय से बाहर हैं।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्ययोजना में – विद्यालय विहीन बस्तियों में रहने वाले बच्चों प्रथमिक स्तर की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़ देने वाले बच्चो (ड्राप–आउट्स), पैतृक व्यवसाय में सहयोग देने वाले कामकाजी बच्चो, अर्थोपार्जन से सीधे जुड़े बाल–श्रमिकों एवं घरेलू कामों/शिशुओं की देखभाल के कारण स्कूल न जा सकने वाली बालिकाआं हेतु प्राथमिक विद्यालयों के विकल्प के रूप में – "अनौपचारिक शिक्षा योजना" वर्ष 1980–81 से संचालित की गयी।

अपने दो दशक के अब तक की कार्य–अवधि में एक ओर जहाँ अनौपचारिक शिक्षा ने प्राथमिक शिक्षा की सुविधा अपवंचित वर्ग, को प्रदान करने की कम खर्चीली एवं लचीली व्यवस्था होने के कारण आपनी पहचान बनायी, वहीं योजनागत प्रबन्धन एवं खामियों ने भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया। फलतः प्रचलित कार्यक्रम को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

सर्व शिक्षा अभियान में इस समय संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना को पुनरीक्षित कर इसे "शिक्षा गारण्टी योजना" (EGS) एवं "वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना" (AIE) के

नाम से संचालिक किये जाने की पृष्ठभूमि में – निम्नलिखित अवरोधक तत्व प्रमुख हैं, जो योजना आयोग द्वारा इंगित किये गये हैं :–

अनौपचारिक शिक्षा योजना में स्थानीय समुदाय–विशेषकर ग्राम शिक्षा समिति–की भागीदारी बहुत कम होना,

1. औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में आपसी समन्वय न होना,
2. लोगों की दृष्टि में अनौपचारिक शिक्षा को दूसरे दर्जे की शिक्षा समझा जाना,
3. प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का विकेन्द्रीकरण न होना,
4. विभिन्न आयु–वर्ग के बच्चों की दृष्टि से लचीनेपन का अभाव होना,
5. महिलाओं एवं बालिकाओं की भागीदारी कम होना,
6. स्वयं सेवी संगठनों एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय की स्थिति दयनीय होना,
7. स्कूल से बाहर के बच्चों का 10 प्रतिशत ही योजना से आच्छादित होना,
8. सभी स्तरों पर वित्तीय स्वीकृतियों में अत्यधिक विलम्ब होना,
9. मुख्य धारा में प्रवेश का प्रतिशत कम होना।

कार्ययोजना का निर्धारण :

सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना बनाते समय जनपद गोरखपुर में सिद्धांततः दो लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

(क) स्कूल से बाहर के हर बच्चे को, जिसकी आयु एव परिस्थितियाँ विद्यालय जाने की हैं, प्रत्येक दशा में निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में दाखिल कराना,

(ख) प्राथमिक शिक्षा से वंचित हर ऐसे बच्चे को, जिसका किन्ही अपरिहार्य कारणों से स्कूल जा पाना सम्भव नही है, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराना।

इन दोनों सिद्धांतों पर अमल करते समय, कहने की आवश्यकता नहीं कि, उन अवरोधकों से भी बचने का पूरा प्रयास किया जायगा, जिनका उल्लेख 7 : 1 : 1 में किया गया है।

रणनीति :

जनपद गोरखपुर में "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत पूर्व संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना के पुनरीक्षित स्वरूप में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे :–

शिक्षा गारन्टी योजना (EGS)

शिक्षा गारण्टी योजना में संचालित केन्द्रों का लाभार्थी समूह 6–8 वय वर्ग का है। इन्हें कक्षा 1 एवं 2 की शिक्षा दी जायेगी।

EGS केन्द्रों की संकल्पना उन बस्तियों को ध्यान में रखकर की गयी है – जहाँ मानक के अनुसार (300 से कम आबादी होने के कारण) प्राथमि विद्यालय स्थापित नही किये जा सकते हैं इसी के साथ निकटवर्ती प्रा0वि0 1 कि.मी. से दूर होने के कारण छोटी आयु के बच्चे, खासकर बालिकाएँ स्कूल नही जा पातीं। अपेक्षा यही की गयी है कि कक्षा 1, 2 EGS केन्द्र पर पढ़ने के बाद थोड़े बड़े हो जाने पर बच्चे 1.5 कि.मी. की परिधि में स्थित प्रा0वि0 की तीसरी कक्षा में प्रवेश ले लेंगे।

जनपद गोरखपुर में 19 विकास क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के दौरान 6-8 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की सख्या 21308 बालक, 17222 बालिका कुल 38530 पायी गई है। इनके लिये आगामी तीन वर्षो में 800 EGS केन्द्र संचालित किये जाने की याजना है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (AIE) प्राथमिक स्तर

पूर्व संचालित NFE योजना, वैकल्पिक शिक्षा में जिन मुख्य बिन्दुओं में पुनरीक्षित हुयी है, वे हैं–

- केन्द्रों का संचालन समय 2 घण्टे के स्थान पर 4 घण्टे,
- मानदेय 200/– के स्थान पर 1000/– प्रति माह
- 9–11 (प्रा. स्तर) के साथ 11–14 वय वर्ग हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों का संचालन,
- 10 दिन के स्थान पर केन्द्र संचालन पूर्व 40 दिन का अनिवार्य प्रशिक्षण
- प्रथम बार नगर क्षेत्र में भी AIE केन्द्रों की स्थापना

जनपद गोरखपुर में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल न जाने वाली जो संख्या निकल कर आयी है, उसमें 2886 घुमन्तू बच्चे, 33309 कामकाजी बच्चे, 2938 सड़को पर बेसहारा मिलने वाले बच्चे, एवं 2154 विकलांग बच्चे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में 110 गलिन बस्तियों को भी चिन्हित किया गया है। इनके सापेक्ष जनपद मे 2001 से

2004 के दौरान चरणबद्ध रूप में 800 प्रा. स्तर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है।

उच्च प्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

जनपद गोरखपुर में 1812 प्रा.वि. के सापेक्ष मात्र 304 उच्च प्रा.वि. हैं। सर्व शिक्षा अभियान में 2 : 1 के मानक से 906 उ.प्रा.वि. की आवश्यकता लक्षित है अर्थात 602 उच्च प्रा. वि. की स्थापना करनी होगी, जो असम्भव सा लक्ष्य है। उच्च प्रा.वि. की कमी के कारण 11–14 वय–वर्ग के बच्चे, खासकर बालिकाएँ पाचवीं कक्षा के बाद नही पढ पाती।

इनके लिये जनपद के 19 विकास खण्डों में 300 उच्च प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है।

जनपद में 10 न्याय पंचायतों में एक भी उच्च प्रा.वि. नहीं है। अतः उच्च प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना में पिपरौली, जंगल कौड़िया, ब्रम्हपुर, बासगांव, उरूवा, गोला एवं बड़हलगंज विकास खण्डों को वरीयता दी जायगी।

लक्ष्य यह रखा जायगा कि वर्तमान में जनपद में स्थित 304 U.P. से 608 प्रा.वि. को सम्बद्ध सेवित मानते हुये शेष प्रा.विघालयों में प्रत्ये प्रा.वि. के साथ एक उच्च प्रा. स्तर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किया जाय।

नवाचार शिक्षा कार्यक्रम :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत (पूर्व में संचालित NFE कार्यक्रम में सुधार कर इसमें) नवाचार को भी प्रमुखता दी गयी है। नवाचार का अर्थ है लीक से हटकर, कुछ प्रयोगात्मक कार्य करना।

जनपद गोरखपुर में नवाचार शिक्षा कार्यक्रम निम्न वर्गों को प्रमुखता प्रदान करते हुये संचालित किया जायगा –

बालिका शिक्षा :

वर्ष 1991 की जनगणना में अंकित उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर प्रतिशत की तुलना में गोरखपुर में महिला साक्षरता की स्थिति दयनीय है। जनपद के 6 कम साक्षरता वाले

विकास क्षेत्रों को प्रथम चरण में बालिका शिक्षा एवं सशक्तीकरण की दृष्टि से प्रोत्साहित करने हेतु चुना गया है। ये विकास क्षेत्र निम्नवत् है :–

क्रमांक	विकास क्षेत्र का नाम एवं महिला साक्षारता प्रतिशत	शिक्षा से वंचित बालिकाएँ	
		6–8 वय वर्ग	9–14 वय वर्ग
1	भटहट 9.7 प्रतिशत	229	290
2	चरगाँवा 10.8 प्रतिशत	4121	2549
3	कैम्पियरगज 11 प्रतिशत	1871	337
4	खोराबार 12.9 प्रतिशत	425	1036
5	पिपराइच 13.1 प्रतिशत	1525	1748
6	ब्रम्हपुर 13.9 प्रतिशत	2879	1518

कम महिला साक्षरता वाले इन विकास क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान कुछ तो सामान्य कारण सामने आये, जिनकी वजह से प्रायः महिला साक्षरता दर कम पाई जाती है, जैसे–

- लिंग भेद ग्रसित मानसिकता के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को कम महत्व देना,
- नवजात बच्चों की देखभाल एवं घर के कामकाज में सक्रिय एवं प्रमुख भागीदारी,
- सह–शिक्षा हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर अभिभावकों का तैयार न होना,
- चिठ्ठी–पत्री पढ़–लिख लेने की दक्षता को ही बालिकाओं के लिये पढ़ी लिखी होने की दृष्टि से पर्याप्त मानना, आदि।

उक्त सामान्य कारणों के अतिरिक्त जनपद गोरखपुर में, विशेषकर कम महिला साक्षरता वाले विकास खण्डों में कुछ अन्य कारण भी क्षेत्रीय विशेषता के रूप में सामने आये–

- विकास क्षेत्र 'भटहट' टेराकोटा शिल्प (मिट्टी की कला कृतियों के निर्माण) हेतु विश्व प्रसिद्ध स्थान है। स्थानीय स्तर पर 'औरंगाबाद' ग्राम इसका प्रमुख कलाकृतियों के निर्माण में सांचे का प्रयोग नहीं किया जाता, हाथ से ही पच्चीकारी की जाती है किन्तु सैकड़ों मूर्तियाँ/खिलौने देखने में बिल्कुल एक से लगते हैं। हाथ की कारीगरी के कारण – इस कार्य में दक्षता प्राप्त कर चुकी बच्चियों को अभिभावक व्यवसाय से जोड़े रहते हैं।

- चरगाँवा, पिपराइच विकास खण्डों में ईंट भट्ठों का बाहुल्य है, जिसमें महिला श्रमिक की मांग अधिक रहती है।
- ब्रम्हपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ के समय एवं बाद में भी महीनों तक सम्पर्क मार्ग पर पानी रहने से अनेक ग्रामों का सम्पर्क भंग रहता है।

कैम्पियरगंज, एवं खोराबार में जंगल क्षेत्र आज़ भी है। जंगलों के होने से बालिका शिक्षा पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है –

1. आवागम की दृष्टि से असुरक्षा
2. पत्तों की बहुलता के कारण पत्तल व्यवसाय में भागीदारी

उक्त सभी कारणों के चलते बालिकाओं की शिक्षा में निम्न समस्याएँ लक्षित होती है –

1. अभिभावकों में जागरूकता एवं उत्साह की कमी के कारण न्यून नामांकन प्रतिशत
2. प्राथमिक स्तर पर 22–33 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 40–60 प्रतिशत Drop out होना।
3. प्रौढ़ महिला निरक्षरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, जो आगे चलकर बालिका शिक्षा को प्रभावी करती है।
4. शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में बालिकाओं को बालकों से कम महत्व

इसके अतिरिक्त, बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण यह भी है कि :–

* आवागमन की सुविधा को देखते हुये लगभग 90 प्रतिशत महिला शिक्षिकाएं नगर क्षेत्र के निकटवर्ती सीमा पर स्थित विद्यालयों में या ग्रामीण क्षेत्रों में "रोड–साइड" के स्कूलों में अपनी तैनाती करा लेती हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित अधिकांश विद्यालयों में महिला शिक्षक नही हैं। इस कारण भी बालिकाओं का नामांकन कम होता है।

जनपद गोरखपुर में 6–8 वय वर्ग की 16,520 एवं 9–14 वय वर्ग की 20,556 बालिकाएं सम्प्रति स्कूल नही जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में प्रचलित Drop out दर 23.5 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान में नामांकित 248486 बालिकाओं में से भी लगभग 50,000 बालिकाओं के Drop out होने की सम्भावना है, जिसकी रोकथाम की जानी आवश्यक है।

इसके लिये निम्नवत् रणनीति अपनाई जायगी –

* सघन एवं सतत् जागरूकता शिविर

जब हम महिला साक्षरता एवं सशक्तीकरण की बात करते हैं तो प्रायः हमारा अभिप्राय शिक्षा से वंचित Focus group को जागरूक बनाने से होता है।

- किन्तु हमारी रणनीति इस परिपाटी से भिन्न है।
- हमारा मानना है कि बालिकाओं की साक्षरता के अवरोध के प्रसंग में बालिकाओं की जागरूकता से कही अधिक आवश्यक उनके अभिभावकों की जागरूकता है। क्योंकि यदि बालिकाओं की दिनचर्या एवं परिवेश को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता एवं दृष्टिकोण में बदलाव नही आयेगा, हम केवल बालिकाओं में जागरूता लाने का प्रयास करके सफलता नही पा सकेंगे।
- इसी प्रकार एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि वर्षो से चली आ रही रूढ़िवादिता या गलत मानसिकता को मात्र 1–2 कैम्प लगाकर नही दूर किया जा सकता। इस कार्य में सफलता हेतु हमें इस आन्दोलन की गतिविधियो में निरन्तरता बनाये रखनी होगी, एक निश्चित अन्तरा पर बार–बार शिविरों का आयोजन करना होगा तथा सम्प्राप्तियों की समीक्षा करनी होगी।

* साक्षरता मेलों का आयोजन एवं फिल्म प्रदर्शन

ग्रामीण परिवेश में आज भी पारम्परिक रीति–रिवाजों का जीवन की गतिविधियों पर गहरा असर है। प्रायः देखा जाता है कि भैयादूज, गंगा–दशहरा, शिवरात्रि आदि पर्वो पर महिलाओं/बालिकाओं के किसी निश्चित स्थानों पर एकत्र होने की परम्परा होती है। ऐसे स्थलों को चिन्हित कर वहाँ मेले, प्रदर्शनी, कठपुतली प्रदर्शन आदि के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जायगा।

T.V. के प्रचार एवं फिल्मों के प्रति ग्रामीण समुदाय के आकर्षण को अनदेखा नही किया जा सकता। इस दृष्टि से रात्रिकालीन सचल फिल्म प्रदर्शन यूनिट के द्वारा भी न्याय

पंचायत स्तर पर पूर्व सूचना देकर C.R.C. पर 'मीना' एवं अन्य प्रेरक फिल्मो का प्रदर्शन कर वातावरण सृजन किया जायगा।

लक्ष्य :

1. प्रथम चरण में जनपद के सभी 19 विकास खण्डों में ग्रीष्मकालीन मे जागरूकता एवं वातावरण सृजन अभियान चलाकर जुलाई 2001 के सत्र में बालिका नामांकन में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि
2. बालिकाओं की Drop out दर में 10 से 15 प्रतिशत की कमी लाना।
3. न्यून महिला साक्षरता वाले 6 विकास खण्डों में 6–8 वर्ष की शिक्षा से वंचित बालिकाओं में से 40 प्रतिशत का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराना।
4. कम महिला साक्षरता वाले 6 विकास खण्डों में EGS एवं AIE केन्द्रों की स्थापना कर वंचित बालिकाओं में 60 से 80 प्रतिशत को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना।
5. EGS/AIE केन्द्रों पर उपलब्ध होने पर केवल महिला अनुदेशिकाओं को कार्ययोजित किया जायगा।
6. विकास क्षेत्र 'भटहट' एवं 'चरगाँवा' में एक 30/15 दिन के कैम्प का आयोजन के NGOs माध्यम से कराकर कैम्प में शामिल बालिकाओं का परिषदीय विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन करना।
7. विकास खण्ड स्तर पर समारोह आयोजित कर कक्षा – 5 एवं कक्षा – 8 में हर विद्यालय (परिषदीय) में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को पुरस्कृत करना
8. विकास क्षेत्र में सर्वाधिक बालिका नामांकन वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/शिक्षको को सम्मानित किया जाना
9. विकास क्षेत्र 'भटहट' में टेराकोटा व्यवसाय में लगी बालिकाओं हेतु –
   (1) 3 दिवसीय कैम्प लगाकर उनमें जागरूकता उत्पन कर पढ़ने की इच्छुक बालिकाओं की पहचान करना।

(2) 3 माह का ब्रिजकोर्स आयोजित कर चिन्हित बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन करना।

10. न्यून महिला साक्षरता वाले सभी विकास खण्डों में प्रत्येक विद्यालय पर एक महिला शिक्षक / शिक्षा मित्र की व्यवस्था

11. 'ब्रह्मपुर' विकास क्षेत्र (एवं बाढ़ प्रभावित अन्य विकास क्षेत्रों में भी) 30 के मानक को शिथिल करते हुये 10–15 बालिकाओं की उपलब्धता पर भी EGS/AIE केन्द्रों की स्थापना

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि – जिस प्रकार बालिका शिक्षा – सम्पूर्ण साक्षरता का मूल आधार है, उसी प्रकार

1. प्रभावी जागरूकता अभियान एवं
2. निरापद पहुँच के भीतर पढ़ने की सुविधा ये दो कारण ऐसे हैं जिन्हें मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करने पर ही सर्व शिक्षा अभियान सफल हो सकता है।

मलिन बस्ती में AIE योजना :

पूर्व संचालित NFE योजना में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के आच्छादन की व्यवस्था होने के कारण, नगर क्षेत्र के बच्चों तक योजना का कोई लाभ नहीं पहुँच सका। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत AIE केन्द्रों द्वारा नगर क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों के लिये भी शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करानें की योजना है।

जनपद गोरखपुर में नगर क्षेत्र के स्कूल न जाने वाले बच्चों को दो चरण में प्राथनिक शिक्षा से जोड़ा जायगा –

(1). प्रथम चरण में (2001–2002)

- नवाचार योजना के तहत मलिन बस्ती में निवास करने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जायगी।
- साथ ही साथ, प्रथम चरण में नगर क्षेत्र में, दुकानों, घरों, प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बच्चों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जायगा।
- जनपद गोरखपुर में, 110 मलिन बस्तियाँ नगर क्षेत्र में चिन्हित कर ली गयी हैं।

- नगर क्षेत्र को 4 जोन में बाँट कर प्रत्येक जोन में 2 दिवसीय जागरूकता कैम्प लगाये जायेंगे। इन कैम्पों में मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की परिस्थितियों, शैक्षिक स्तर आदि की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जायेगी।
- कैम्प में शिक्षा से वंचित बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर पढ़ने के लिये उपलब्ध लाभार्थियो का पंजीकरण किया जायगा।
- पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या, पहुँच की सुविधा को ध्यान में रख आवश्यकतानुसार EGS/AIE केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
- प्रथम चरण मे 110 बस्तियों में 25 से 50 EGS/AIE केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

(2). द्वितीय चरण : 2002 – 2003 में :

1. मलिन बस्तियों के प्रत्येक बच्चे के नामांकन को ध्यान मे रख EGS/AIE केन्द्रो का संचालन किया जायगा, जिससे 2003 तक मलिन बस्ती में कोई बच्चा शिक्षा पाने से वंचित न हो।
2. प्रथम चरण में, नगर क्षेत्र में प्रतिष्ठानों, घरो, दुकानों में कार्यरत कामकाजी बच्चों को शत प्रतिशत स्कूल भेजने की प्रभावी कार्यवाही प्रशासन के सहयाग से की जायगी।

पर्यवेक्षण :

व्यापक जनहित से जुड़े कार्यक्रम की सफलता जिन बातों पर मुख्य रूप से निर्भर करती है उनमें प्रमुख हैं –

- न्यूनतम इकाई से उच्चतम इकाई के मध्य तादात्म्य
- अनुभवी एवं दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धन
- कर्मठ एवं समर्पित व्यक्तियों द्वारा संचालन
- नियमित पर्यवेक्षण
- व्यवस्थित अनुश्रवण
- सूचनाओं का आधुनिक संग्रहण एवं संप्रेषण

सर्व शिक्षा अभियान की जो सबसे बड़ी विशेषता एवं नवीनता यह है कि योजना का निर्माण एव प्रबन्ध नीव से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर ऊपर की ओर बढना। इसी सिद्धान्त का पालन करते

हुये जनपद गोरखपुर में प्रबन्धन का ढांचा ग्राम स्तर से प्रारम्भ कर क्रमशः न्याय पंचायत/संकुल, विकास खण्ड स्तर से होते हुये जनपद स्तर तक विकसित किया गया है।

ग्राम स्तर :— ग्राम स्तर पर EGS एवं AIE योजना के संचालन एवं प्रबन्धन का उत्तर दायित्व ग्राम शिक्षा समिति (VEC) को सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में, यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि EGS एवं AIE की सफलता एवं असफलता का दारोमदार बहुत कुछ VEC पर है।

- यह इस दृष्टि से भी विचारणीय है कि दक्षिण भारत की तुलना में (जिन्हें साक्षरता कायक्रमों के संदर्भ में आदर्श माना जाता है) अभी उत्तर प्रदेश में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका अपेक्षानुरूप नही रही है। यह बात योजना आयोग द्वारा NFE की समीक्षा रिपोर्ट में भी कही गयी है। इस वास्तविकता के सापेक्ष जनपद गोरखपुर में VEC को भारत सरकार की EGS/AIE के संदर्भ में प्रेषित 'गाइड लाइन्स' के अनुसार दायित्व तो सौंपे हैं, किन्तु साथ ही उनकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु सुझाव भी दिये गये हैं।

ग्राम शिक्षा समिति – EGS एवं AIE के संदर्भ में निम्नवत् कार्य करेगी–

- वातावरण सृजन एवं माइक्रोप्लानिंग में सहयोग
- ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रमाणित करना एवं केन्द्र खोलने हेतु आग्रह करना
- लाभार्थियों की पहुँच, सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से EGS/AIE केन्द्रों की स्थल का चयन करना
- ग्राम स्तर पर EGS/AIE केन्द्रों के संचालन की दक्षता रखने वाले व्यक्तियों (प्राथमिकता के आधार पर महिला) को पैनल (अनिवार्यतः 3 सर्वाधिक उपयुक्त नाम) खण्ड शिक्षा कार्यालय में उलब्ध कराना
- केन्द्र संचालनार्थ स्थानीय उपलब्ध संसाधनों को अधिकाधिक सुलभ कराना
- केन्द्र का नियमित पर्यवेक्षण करना
- अनुदेशक के कार्य का मासिक सत्यापन करना

- दिये गये बजट के अनुसार केन्द्रों पर शिक्षण सामग्री की आपूर्ति कराना
- अनुदेशक के मानदेय का चेक द्वारा भुगतान

विकास खण्ड स्तर :

वर्तमान स्थिति में विकास खण्ड सतर पर अनौपचारिक शिक्षा योजनान्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतन क्रम में परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), उनके अधीन एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के प्रबन्धन हेतु सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं, किन्तु जनपद गोरखपुर में 19 विकास क्षेत्रों मे मात्र 9 A.B.S.A. एवं 6 SDI कार्यरत हैं। जनपद के 4 विकास खण्डों में दोनों पद रिक्त है।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी संचालन, नियमित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं सम्यक नियोजन की दृष्टि से जिला परियोजना कार्ययालय में एक उप जिला परियोजना अधिकारी (EGS/AIE) का पद रखा जायगा जो जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा जनपद मे EGS और AIE केन्द्रों का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे। उनके सहयोग में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यो का निर्वहन करेंगे।

- संसाधनों के सम्यक उपयोग एवं सुरक्षा की दृष्टि से NFE योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर एवं उसके लिए प्रस्तावित/नियुक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर वर्तमान मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रहेगें। इन पर EGS,AIE सम्बन्धी सभी आधारभूत आंकड़े एवं अद्यावधि सूचनायें रखी जायेंगी।
- उप परियोजना अधिकारी (EGS, AIE) पद पर तैनात अधिकारी के पास बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित कोई प्रभार या कार्य नही रहेगा। इस पद पर कार्यरत अधिकारी पूर्णकालिक EGS,AIE का प्रबन्धन दायित्व सम्हालेंगे। इन पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण रहेगा।
- EGS-AIE योजना हेतु जनपद स्तर पर नियुक्त वरिष्ठ लिपिक के पद पर NFE योजनान्तर्गत जनपद पर कार्यरत वरिष्ठ लिपिक समायोजित किये जाने के प्रस्ताव हैं।
- परामर्शी एवं कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर रखे जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रों का निर्धारण

EGS केन्द्रों की स्थापना :

जनपद में कुल आबाद ग्राम 2876 हैं जबकि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2053 हैं इस प्रकार 823 ग्राम ऐसे हैं जहां प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं हैं इसी के सापेक्ष जनपद में 6 से 8 वय वर्ग के out of School बच्चों की सख्या, विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 36792 है किन्तु EGS केन्द्रों की स्थापना में हमारा लक्ष्य संख्यात्मक उपलब्धि के स्थान पर गुणात्मक उपलब्धि प्राप्त करना है, जिससे बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों के समकक्ष शिक्षा मिल सके। इस लिये EGS केन्द्रों की स्थापना चरणवद्ध रूप मे की जायगी।

हमारा मुख्य प्रयास रहेगा कि Out of School बच्चों में से जिनकी आयु/सामर्थ्य प्रा. वि. मे जाने की है वे प्रत्येक दशा में स्कूल जाये। इस दृष्टि से 6–8 वय वर्ग के out of School बच्चो की संख्या का 50 प्रतिशत विद्यालयों में नामांकित हों, इसका प्रयास किया जायगा। शेष बच्चों के लिए सारणी 7:2 में केन्द्र प्रस्तावित है।

AIE केन्द्रों की स्थापना :

जो बच्चें विद्यालय से बाहर होने के साथ ही अधिक आयु के (over age) हो गये हैं, या तमाम प्रयासों के बावजूद जो अपनी परिस्थितियों से विद्यालय जाने में असमर्थ है उनके लिये AIE केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

जनपद में विभागीय आंकड़ों के अनुसार 9–14 वय वर्ग के out of School बच्चों में 33309 बच्चे कामकाजी वर्ग के हैं। इनके अतिरिक्त 2886 बच्चे घुमन्तू एवं 2398 Street Children बच्चे हैं। इनके लिए आगामी 3 वर्षो में 800 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्राथमिक स्तर के

एवं 300 AIE केन्द्र उच्च प्राथमिक स्तर के चरण बद्ध रूप में खोले जायेंगे : उच्च प्राथमिक स्तर के AIE केन्द्र ऐसे ग्रामों में खोले जायेंगे जहाँ प्राथमिक विद्यालयों मे कक्षा 5 तक की शिक्षा पूरी कर उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुँच के भीतर न होने के कारण बच्चे, विशेष कर बालिकाएं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रही हैं। इनके अतिरिक्त 5596 बच्चों को ब्रिज कोर्स कैम्प के माध्यम से मुख्यधारा में सम्मिलित कराया जायगा।

वर्ष वार केन्द्रों की प्रस्तावित संख्या सारणी 7:2 में दी गयी है।

सारणी 7:2

EGS/AIE केन्द्रों की स्थापना का वर्ष वार लक्ष्य

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या								
		EGS			AIE प्रा0 स्तर			AIE उच्च प्रा. स्तर		
		पूर्व संचालित	नये केन्द्र	योग	पूर्व संचालित	नये केन्द्र	योग	पूर्व संचालित	नये केन्द्र	योग
1	2001–2002	–	300	300	–	400	400	–	100	100
2	2002–2003	300	300	600	400	200	600	100	200	300
3	2003–2004	600	200	800	600	200	800	300		300
4	2004–2005	600	–	600	200	–	200	200	–	200
5	2005–2006	400	–	400	400	–	400	200	–	200
6	2006–2007	200	–	200	200	–	200	100	–	100
7	2007	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत : माइक्रो प्लानिंग / परिवार सर्वेक्षण 1998–99 के आधार पर।

माइक्रो प्लानिंग आंकड़ों का अद्यतन करना :

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 1998–99 के माइक्रो प्लानिंग के आंकड़ों को 2001–02 में अद्यतन किया जायेगा और इस पुनरीक्षित विवरण के आधार पर वर्ष 2002–03 के लिये ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ए0 केन्द्रो का नियोजन किया जायेगा।

लक्ष्य यह है कि जैसे–जैसे प्रा. विद्यालय खुलते जायेंगे, बच्चे उनमें प्रवेश लेते जायेंगे EGS/AIE केन्द्रों को बन्द कर दिया जायगा।

केन्द्रों को प्रारम्भ में कम संख्या में खोलना, प्रभावी नियत्रण एवं सचालन की दृष्टि से भी उपयुक्त है इसके लिये जनपद के 19 विकास खण्डों एवं एक नगर क्षेत्र को तीन चरणों में बांटा जायगा। प्रथम चरण में कम महिला साक्षरता एवं अनु. जाति, पिछड़ी जाति बाहुल्य वाले विकास क्षेत्रों में केन्द्र खोले जायेंगे। इसी के साथ वे विकास क्षेत्र भी लिये जायेंगे जिनमें बाढ़ प्रभावित होने के कारण, आवागमन की समस्या रहती है।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अण्डर ऐज" व "ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 38593 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता.

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जनू, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय – ८

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

जनपद गोरखपुर में सभी के लिए शिक्षा परियोजना वर्ष १९९३ से २००० तक संचालित थी जिसके अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि हेतु भौतिक एवं अकादिमक सुविधाओं के सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई। बेत्तिक शिक्षा परियोजना प्रथम एवं द्वितीय चरण के अधीन जनपद में कुल ६०३ नये प्राथमिक तथा १४२ नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गयें। इसके अतिरिक्त जर्जर/भवनहीन प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण कराया गया। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराये गये भौतिक निर्माण एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया हैं : –

उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराये गये भौतिक निर्माण का विवरण

क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	१९९३–९४	१९९४–९५	१९९५–९६	१९९६–९७	१९९७–९८	१९९८–९९	१९९९–२०००	योग
१.	प्राथनिक विद्यालय (नवीन)	११५	७४	१३९	१०४	१०४	–	६७	६०३
२.	प्राथनिक विद्यालय (पुनर्निर्माण)	३५	२२	–	–	–	–	१४९	२०६
३.	उच्च प्राथ० विद्यालय (नवीन)	५०	१२	२०	२४	३६	–	–	१४२
४.	उच्च प्राथ० विद्यालय (पुनर्निर्माण)	७	८	–	–	–	–	१९	३४
५.	अतिरिक्त एक कक्षा कक्ष	०९	१८	१८	२८९	५०	५९२	–	९७९
६.	अतिरिक्त दो कक्षा कक्ष	५८	२०	२०	–	–	–	–	५८
७.	हैण्ड पम्प	५०	११५	११५	–	–	–	–	२८०
८.	शौचालय	९२	२८३	२८३	–	–	–	–	९५८

सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के भौतिक संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैं। नामांकन में वृद्धि को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जो छुटे हुए अथवा अवशेष भौतिक संसाधन हैं उन्हें पूर्ण करने का प्रस्ताव हैं। इस प्रकार अतिरिक्त नामांकन तथा ड्राप आउट रेट में कमी आने से जो अतिरिक्त संसाधनों की आवश्कता होगी उसके अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ९३ नये प्राथमिक तथा ९२९ नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही १४ प्राथमिक तथा ७ उच्च प्राथमिक विद्यालय के पुर्ननिर्माण का प्रस्ताव किया गया। शौचालय विहीन, हैण्डपम्प विहीन एवं बिना चाहरदीवारी वाले विद्यालयों के लिये अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति का भी

प्रस्ताव किया गया है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता के लिये अध्याय–२ में दर्शायी गयी सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि जनपद में अभी भी ३८ प्रा० विद्यालय एक कक्षीय हैं तथा ६४६ प्रा० विद्यालय दो कक्षीय हैं वहीं ५ उच्च प्रा० विद्यालय दो कक्षीय हैं यदि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम तीन कक्ष का मानक रखा जाय तथा चौथा कक्ष उस विद्यालय के लिये आवश्यकता मानी जाय जहां छात्र संख्या अधिक है तो जनपद में २०२५ अतिरिक्त कक्ष जिसमें प्राथमिक स्तर पर १६५२ तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ३७३ देना होगा। जैसा कि अधोलिखित सारणी से स्पष्ट है:–

सारणी – ८.१

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी

क्र० सं०	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	११वें वित्त आयोग/जिला योजना/वित्त प्राविधान/अन्य स्रोत	मांग	कमी	११वें वित्त आयोग/जिला योजना/वित्त प्राविधान/अन्य स्रोत	माँग
१	नवीन विद्यालय	६३	–	६३	६२६	–	६२६
२	विद्यालय पुनर्निर्माण	१७	३	१४	१७	१०	७
३	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	१६५२	–	१६५२	३७३	–	३७३
४	पेयजल सुविधा	२७७	–	२७७	३६	–	३६
५	शौचालय	४३६	–	४३६	२६	–	२६
६	चाहरदिवारी	१७२८	–	१७२८	२७३	–	२७३

स्रोत : विभागीय आकड़े

विद्यालयों भौतिक सुविधाओं के वृद्वि हेतु भविष्य के लिये केवल ११वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित हैं ।

चाहर दीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु० ४००००/ से अधिक लागत रु० ४००००/ से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी । चाहर दीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा ।

विद्यालय मरम्मत :

जनपद में ३३६ प्राथमिक विद्यालय तथा ५१ उच्च प्राथमिक विद्यालय लधु मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रु० २००००त्र०० की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी । १३२ प्राथमिक विद्यालय तथा ३५उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य हैंजिनकी मरम्मत हेतु रु० ७००००त्र०० की दर से धनराशि दी जायेगी । लधु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

वर्षवार शिक्षकों की आवश्यकता सारणी – ८.२ में दर्शायी गयी है :–

सारणी – ८.२

वर्षवार अध्यापकों की आवश्यकता का विवरण

वर्ष	बच्चो की प्रभावी संख्या	१:४० पर	वर्तमान स्वीकृत पद	स्वीकृत शिक्षा मित्र	अतिरिक्त शिक्षको/ शिक्षा मित्रो की आवश्यकता	
					अध्यापक	शिक्षा मित्र
२०००.०१	२६३३११	६५८३	६८४७	१८१८	.	.
२००१.०२	३१४०५१	७८५२	६८६७	१८१८	.	.
२००२.०३	३७५६२४	६३६८	६८६७	१८१८	३४१	३४२
२००३.०४	४०८६८१	१०२२९	७२३८	२१६०	४१३	४१३
२००४.०५	४३५०२६	१०८७६	७६५१	२५७३	३२६	३२६
२००५.०६	४६२३६६	११५६८	७६७७	२८६६	३४२	३४२
२००६.०७	४७२१०६	११८०३	८३१६	३२४१	१२२	१२१
२००७.०८	४८२०२३	१२०५९	८४४१	३३६२	१२४	१२४
२००८.०९	४९२१४५	१२३०४	८५६५	३४८६	१२६	१२७
२००९.१०	५०२४८०	१२५६२	८६६१	३६१३	१२६	१२६

३. विद्यालयो का रख रखाव :

हमारा अपना विद्यालय कि परिकल्पना के स्वप्न को साकार करने के लिए एवं प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण में समुदाय आधारित शिक्षा की समग्र परिकल्पना को समाहित कर विद्यालयों को बी०ई०पी० परियोजना की ही तरह सर्व शिक्षा अभियान में भी प्रति विद्यालय २००० रूपये तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय ४००० रूपये का अनुदान दिया जायगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त विद्यालय विकास के लिए किये जाने वाले निम्नलिखित कार्यो पर प्राथमिकता के आधार पर की जायगी।

- स्कूल उपयोगार्थ मेज–कुर्सी, टाटपट्टी, आलमारी आदि आवश्यक सामग्री क्रय करना।
- स्कूल भवन में ब्लैक बोर्ड व अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य।
- स्कूल परिसर का सौन्दर्यीकरण, फूल पत्ती, गमला से साज–सज्जा।

इस प्रकार स्कूल विकास अनुदान में कुल १८१२ प्राथमिक विद्यालयों पर प्रति वर्ष ३६२४ हजार तथा ३०४ उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर १२१६ हजार व्यय किये जायेंगे।

विद्यालयों के आवश्यक मरम्मत पर भी प्रति वर्ष रू० ५०००=०० के दर से १८१२ विद्यालयों को ६०६० हजार तथा ३०४ विद्यालयों को १५२० हजार दिये जायेंगे। जिनका उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव के अधार पर आवश्यकता अनुसार व्यय किया जायगा। यदि किसी विद्यालय को मरम्मत हेतु प्राप्त धन से अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी तो वह यदि चाहे तो दो या तीन वर्षो की धनराशि सम्मिलित कर मरम्मत कार्य करा सकेंगे।

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
विद्यालय विकास अनुदान	३६२४०००=००	१२१६०००=००
विद्यालय मरम्मत	६०६०००=००	१५२०००=००

४. बालिका–शिक्षा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि :–

बालिकाओं की शिक्षा एवं साक्षरता दर को देखा जाय तो जनपद गोरखपुर को स्थिति संतोषजनक नहीं है। प्रदेश की महिला साक्षरता दर २५.३१ को तुलना में जनपद की, साक्षरता दर २४.४६ है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को भागीदारी मात्र १७.२३१ है। अनुसूचित जाति की महिलाएं जो जनपद के कुल महिला आबादी के २२.३ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं, का साक्षरता के क्षेत्र में योगदान मात्र ८.६२ प्रतिशत है जनपद की कुल साक्षरता में महिलाओं की निम्न साक्षरता दर विशेषतः अनुसूचित जाति के महिलाओं की स्थिति निःसंदेह विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की निम्न स्तरीय भागीदारी एवं निम्न सामाजिक स्तर को इंगित करता है। बालिकायें जो बच्चों की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, का शैक्षणिक स्तर निम्न होना उनकी शिक्षा के लिए विशेष सचेतता को आवश्यकता दर्शाता है।

जनपद गोरखपुर विगत् वर्षों में विश्व बैंक द्वारा वित्त–पोषित सभी के लिए शिक्षा परियोजना से आच्छादित रहा। परियोजनावधि में बालिकाओं के नामांकन, ठहराव (त्मजमदजपवद) एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के क्रम में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बालक/बालिका को सुलभ कराने, विशेषतः बालिकाओं के शिक्षा के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में चेतना पैदा करने, नामांकन को एक अभियान के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गये।

१. स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत बालगणना द्वारा ६–१४ वय वर्ग के ८२६२२ बालक/बालिकाओं का चिह्निकरण किया गया जो विद्यालय नहीं जाते हैं।

२. चिन्हित बालक/बालिकाओं कों विद्यालय में नामांकन करने के उद्देश्य से

;पद्ध ग्राम छच्च्ए ठत्ब स्तर पर शैक्षणिक गोष्ठियों का आयोजन जिसमें बालिका शिक्षा पर सामयिक चर्चा करायी गयी।

;पपद्धण् जिला स्तर पर गोष्ठी का आयोजन एवं नामांकन अभियान को प्रत्येक गाँव/मुहल्ले तक पहुँचने के उद्देश्य से ग्राम, न्याय पंचायत, ब्लाक एवं जिले स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमों को माध्यम से चिन्हित ८२६२२ बालक/बालिका के सापेक्ष ६४८८६ बालक/बालिका का नामांकन कराया गया।

३. बालिकाओं का गुणवत्तापरक शिक्षा देने एवं विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से २,४५,००० पाठ्य–पुस्तकों का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया गया।

४. विद्यालय के प्रति बालिकाओं में रूचि पैदा करने, जीवनोपयोगी क्रिया–कलापों के माध्यम से विद्यालय ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यानुभव कार्यक्रम भी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया।

५. बालिकाओं के अधिक शालात्याग दर को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति जनसामान्य में निःसंदेह उत्साहवर्धक जागरूकता आयी। जिसके परिणाम स्वरूप नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है।

समस्याएं एवं विश्लेषण :–

उपर्युक्त कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुयी लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी। जनपद के अधिकांश विकास–खण्डों में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति की संख्या अधिक है। कृषि प्रधान जनपद होने के कारण अधिकांश अभिभावक अपने बालिकाओं को घरेलू कार्य (कृषि, पशुपालन आदि) में लगाते है। बालिकाओं की उपस्थिति पारिवारिक कार्यो में लगे रहने के कारण औसतन कम होती है। अभिभावक शिक्षा के प्रति कम जागरूक होने के कारण उन्हे विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं देते। कुछ बालिकाएं कक्षा– ५ के बाद असुरक्षा के कारण विद्यालय छोड़ देती है। औसत ३ किमी० दूरी पर उच्च प्रा०वि० स्थित होने के कारण अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय में भेजने में हिचकते हैं।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

- **समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण**

  माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की १०.१२ सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

  महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव /मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।
  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –
    - माह में १५ दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान
    - माह में १४ दिन से ७ दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान
    - माह में ६ दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने वैज प्रदान किये जायेगें।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रांन्त में अभिभावक सम्मेलन**

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हे अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामाकंन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी**

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- **ग्रीष्म कालीन शिविर**

  ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम ४० बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें १० दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनानें हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रम :–

1. शिशु शिक्षा केन्द्र म्ब्द्ध केन्द्रा की स्थापना :– छोटे भाई–बहनों की देख–रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएं विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पातीं जिससे विद्यालय में उनका ठहराव (त्मजमदजपवद) नहीं हो पाता। कुछ बालिकाएं इन कार्यो में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड़ देती है।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित प्ब्वै के माध्यम से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा इन केन्दों में ३–६ वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रों की अतिरिक्त मानदेय एवं जववसे की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में प्ब्वै विभाग द्वारा नगरक्षेत्र सहित कुल १६ विकास खण्डों में १०३० आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। विकास क्षेत्र जंगल कौड़िया, कैम्पियरगंज और पिपरौली जहाँ आंगन–बाड़ी केन्द्रों का संचालन **नहीं** किया जा रहा है और जो महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े है में प्रति विकास खण्ड दो चरणों में ६०–६० केन्द्र खोले जायेंगे इस प्रकार कुल १८० केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्रों हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शाला–त्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। म्ब्द्ध केन्द्रों हेतु कार्यकत्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई०सी०डी०एस० के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

२. **उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव** :– शिक्षा ग्रहण करने के साथ–२ उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के पारिवारिक, पारम्परिक एवं गैर–पारम्परिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान शिक्षा–प्रणली में बालिकाओं हेतु उनके भावी जीवन हेतु उपयोगी कार्यक्रमों के अभाव से शिक्षा के प्रति उनकी रूचि एवं अभिभावकों की जागरूकता अपेक्षानुकूल नहीं है। शिक्षा प्रणाली में उपुर्यक्त कार्यक्रमों के सम्मिलित हो जाने से निःसंदेह बालिकाओं का विद्यालय के प्रति रूचि बढ़ेगी तथा अभिलेख बालिकाओं के नामांकन एवं उनकी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हो जायेगे। सिलाई–कढ़ाई, बुनाई, कला चित्रण के साथ–२ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार टोकरियाँ बनाने, मिट्टी के खिलौने,

कागज के सामान बनाने की कला के साथ वि० खण्ड खोराबार तें पत्तल बनाने तथा वि०ख० भटहट में टेराकोटा सम्बन्धी प्रशिक्षण को शिक्षा के साथ जोड़ा जायेगा, क्योंकि वहाँ स्थानीय रूप से उक्त कारोबार विकसित है और कच्चे माल की उपलब्धता भी रहती है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जायगा।

इस वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक उच्च प्रा०वि० में सिलाई का कार्यानुभव योजना प्रस्तावित है। आने वाले वर्षों में इसका विस्तार किया जायेगा।

३. माडल कलस्टर डेवलपमेंट एप्रोच :– जनपद में भटहट विकासखण्ड का साक्षरता दर सबसे कम (२८.५ प्रतिशत) है। इस विकास खण्ड का डुमरी न्यायपंचायत अत्यधिक पिछड़ा है। इस न्याय पंचायत की अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति की है। यहाँ बालिकाओं की बात तो अलग बालकों के शिक्षा के प्रति भी अभिभावक जागरूक नहीं है। अतः इस न्यायपंचायत में माडल क्लस्टर डेवलपमेंट एप्रोच की योजना बनाई गई है।

४. ग्रीष्म कालीन शिविर :– विकास खण्ड भटहट एवं चरगाँवा जहाँ कमजोर वर्ग की आबादी अधिक है एवं टेराकोटा उद्योग के कारण शाला त्यागी बच्चों की संख्या अधिक है जिसमें बालिकाओं की अधिकांश संख्या या तो विद्यालय नहीं जाती है या बीच में ही शालात्याग कर जाती हैं। शालात्याग कम करने तथा बालिका नामांकन में वृद्धि हेतु ऐसे क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की योजना है।

५. अन्य :– बालिका शिक्षा के बढ़ावा हेतु महिला समाख्या के सहयोग से महिलाओं में जागरूकता पैदा करना, मातृ सम्मेलन कराना, माँ–बेटी मेलों का आयोजन, प्रभात फेरी द्वारा जागरूकता पैदा करना आदि।

१. **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :–** प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया जाना है। इसके लिए २७१८५७

बालिकाओं में पाठ्य पुस्तकों का वितरण कराया जाना है। इनमें ५२३८३ बालिकाएं अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जाति के बालकों, जिनकी संख्या ५६७४६ है को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

सारणी – ८.३

कक्षा १ से ५ के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक का वितरण हेतु बच्चों की संख्या :

वर्ष	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की संख्या	कुल योग
२००१	५५३६४	२५५४६२	३१०८८६
२००२	५६६१३	२६५८४६	३२२४६२
२००३	५७८५८	२७६५६१	३३४४१६
२००४	५६१३१	२४८५४५	३०७६७६
२००५	६०४३२	२५४०१३	३१४४४५
२००६	६१७६२	२५६६०१	३२१३६३
२००७	६३१२१	२६५३१२	३२८४३३
२००८	६४५१०	२७११४६	३३५६५६
२००९	६५६२०	२७७११४	३४३०३४
२०१०	६७३७०	२८३२१०	३५०५८०

सारणी – ८.४

कक्षा ६ से ८ तक के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक का वितरण हेतु बच्चों की संख्या :

वर्ष	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की संख्या	कुल योग
२००१	३०६२०	१०७२५६	१३८१७६

२००२	३१६००	११२६६७	१४४२६७
२००३	३२२६५	११६२१०	१५११५०५
२००४	३३००५	१२५६८५	१५८६६०
२००५	३३७३२	१३३००२	१६६७३४
२००६	३४४७४	१४०२६५	१७४७३६
२००७	३५२३२	१४७७८६	१८३०१८
२००८	३६००७	१५१०३७	१८७०४४
२००६	३६७६६	१५४३६०	१६११५६
२०१०	३७६०६	१५७७५६	१६५३६५

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में निर्धन छात्रों के लिए बुक बैंक की स्थापना की जायेगी। जिसके लिए प्रत्येक विद्यालय को १०० सेट पाठ्य–पुस्तकों की उपलब्धता करायी जायगी।

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा :–

समाज में ऐसे बच्चें जो किसी न किसी प्रकार के विकलांगता के शिकार है, उनकी शिक्षा के लिए अब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप आज भी बहुत से ऐसे विकलांग बच्चे है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रणाली की अति संवैदनशीलता के कारण या तो नामांकन करा लेने के कुछ समय बाद विद्यालय छोड़ने को विवश हो जाते है या नामांकन कराते ही नहीं। ऐसा देखा गया है कि गम्भीर मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे विद्यालय से बाहर तो रहते ही है आंशिक रूप से विकलांग बच्चे भी हीन भावना के कारण शिक्षा के समान अवसर से वंचित हो जाते हैं।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जनपद में कुल ६३६२ विकलांग बच्चे चिन्हित किये गये हैं इसमें से ६–११ आयु वर्ग के ४३१२ तथा ११–१४ आयु वर्ग के २०८० बच्चे चिन्हित हैं।

जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी – ८.५

विकलांगता वार चिह्नित बच्चों का विवरण

ब्लाक का नाम	विकलांगता का प्रकार											
	शारीरिक		अन्धा		मानसिक		मूक बधिर		कुष्ठ रोग		मिश्रित	
	६–११	११–१४	६–११	११–१४	६–११	११–१४	६–११	११–१४	६–११	११–१४	६–११	११–१४
पाली	११७	६६	१५	१०	५	३	२१	७	१२	३	१	०
सहजनवां	१२६	६८	११	६	१३	५	२७	४	३	३	०	०
गगहा	१२६	४३	३०	१०	३	०	२०	१६	१३	१३	३	१०
कौड़ीराम	६६	२८	११	६	३	२	१४	५	५	१	२०	४
सरदार नगर	११८	७२	८	५	०	१	२५	१३	०	४	०	०
चरगाँवा	२५८	६१	२४	६	७	६	३५	१२	२०	१२	२	०
बड़हलगंज	११५	५६	१३	६	४	२	१६	७	१	१	०	१
कैम्पियरगंज	१६८	६३	६	४	२	१	१२	२	५	२	८	८
खोराबार	११८	७१	१३	५	२१	८	३४	१२	६	११	४	४
ब्रह्मपुर	१२४	७६	१५	६	७	४	३१	१५	४	२	२	१
पिपराईच	१६८	११४	१४	७	१	०	१०	२	६	४	०	०
मटहट	१८३	८२	२१	६	६	२	२३	१३	६	३	०	०
जंगल कौड़िया	१६२	६३	२५	११	६	२	२६	१५	२	२	०	०
पिपरौली	६०	६०	६	६	४	३	१४	६	२	२	०	०
खजनी	१५८	७७	१२	६	८	५	१५	६	१३	७	०	०
बांसगाँव	२३७	१०८	२५	१३	१०	५	७२	२१	३	१	०	०
उरूवा	७२	४२	३	५	०	०	१४	७	१	०	०	०
बेलघाट	२३८	११७	३६	१७	१५	२	७४	२६	२	१	०	०
गोला	१६३	८१	१६	१०	४	२	२४	६	२४	८	०	०
नगर	२८६	१४४	१६	४	२५	१०	४३	२६	१६	२	०	०
योग	३०६६	१५२५	३२३	९२२	१५०	६३	५५३	२३०	१४७	८२	४०	२८

स्रोत : जिला विकलांग कल्याण विभाग के आँकड़े २०००

समेकित शिक्षा :

समेकिंत शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बच्चों के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायगा। अल्प एवं संगत विकलांगता वाले बच्चों को प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा की दिशा में एक व्यापक कार्य योजना का निर्माण किया जायगा। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में विकलांग बच्चों के अभिभावकों में से एक को नामित करने का प्रस्ताव हैं इस कार्य योजना के क्रियान्वयन में स्वास्थ विशेषज्ञों, बाल मनोवैज्ञानिकों, विशिष्ट शिक्षकों, समाजिक कार्यकर्त्ताओं, मूघवधिर विद्यालय व अन्च विद्यालय के विशिष्ट शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जायगा।

अधिलाभ विकलांगता की पहचान के लिए उपरोक्त विशेषज्ञों का एक दिवसीय कार्शाला आयोजित की जायगी। इससे न केवल विकलांगता की प्रवृत्ति को पहचानने की अर्न्तदृष्टि प्राप्त होगी अपितु समेकित शिक्षा के लिए जनपद सन्दर्भदाता को पहचाननें में भी सहायता मिलेगी। अधिगम विकलांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला भी विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर प्रस्तावित है। इसमें एक माध्यूल का विकास किया जायगा, जिससे विकलांगता की पहचान और सलाह के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षित किया जायगा। ताकि वे जान सके कि विकलांग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा सके। ब्लाक सन्दर्भ केन्द्र गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के सन्दर्भ में ब्लाक के अध्यापकों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और विकलांग बच्चों की आवश्यकता के सन्दर्भ में संवेदनशील बनाने हेतु जन जागरण के कार्यक्रम आयोजित करेगा। शारीरिक अक्षमता के कारण विकलांग बच्चों को चिकित्सीय सलाह से उपकरण/संयंत्रों की व्यवस्था समाजिक संस्थाओं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब के माध्यम से करायी जायगी।

सम्मिलित शिक्षा :–

समाज में बहुत से ऐसे विकलांग बच्चे है जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण विद्यालय जाने में कठिनाई अनुभव करते हैं या विद्यालय नहीं जा पाते हैं, ये बच्चें समेकित शिक्षा वाले बच्चों से अधिक समस्याग्रस्त होते हैं। इनमे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खड़ा नहीं हो पाते, कुछ के बैठने में कठिनाई

होती हैं, कुछ चल नहीं सकते है इस प्रकार द बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। इनके लिए सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित शेक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जायगा।

उपक़रण एवं संयत्र :–

विकलांगता के क्षेत्र में उनके सहयोग के लिए जनपद गोरखपुर में पहले से ही कई संस्थायें क्रियाशील है। किन्तु विशेषकर बच्चों पर इन संस्थाओं द्वारा कम ध्यान दिया जाता है। इन बच्चों पर दया नहीं बल्कि सहानुभूति का भाव रखते हुए सामान्य बच्चों की भांति शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से समाज के प्रशिक्षित एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों, संगठनों जैसे– लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, जेसीज क्लब आदि से मिलकर गोष्ठियों एवं आयोजनों के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए उपकरण/संयंत्र उपलब्ध कराया जायगा।

कार्य योजना का क्रियान्वयन :–

विकलांग बच्चों के शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु जनपद में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जायगा। इसके अतिरिक्त जनपद में एक समेकित एवं बाल विकास समन्वयक के पद पर पदस्थापन किया जायगा जो इससे सम्बन्धित समस्त कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगा। जनपद में चलाये जाने वाले सभी प्रशिक्षणों में विकलांग बच्चों से संदर्भित विषय जोड़े जायेंगे। स्वास्थ विभाग के सहयोग एवं सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से समय–समय पर समेकित शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाया जायगा। विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी जन जागरण द्वारा जागरूक किया जायगा तथा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें बच्चों के स्कूल भेजने के लिए उत्साहित किया जायगा। इसकी समीक्षा जिला समन्वयक करते रहेंगे।

सम्मिलत शिक्षा के अन्तर्गत कुद नवाचार कार्यक्रन द्वारा विकालांग बच्चों को उनकी क्षमताओं के विकास करने का प्रयास किया जायगा। जिसमें स्टेसिल काटना, आलू या लकड़ी के ठप्पे बनाकर उनका प्रयोग करना तथा उससे कलाकृतियाँ बनाना, मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस से साचाँ तैयार कर कलाकृतियाँ तैयार करना, संगीत एवं कला के माध्यम से उनकी इन्द्रियों का विकास करना सम्मिलित है। इसके

लिए आवश्यकतानुसार विशिष्ट अध्यापकों को समयन्वयक पर उनके घर जाकर शिक्षा देने का प्रयास किया जायगा।

शिक्षकों का संवेदीकरण प्रशिक्षण :–

विकलांग बच्चों की मानसिक स्थिति ननोवैज्ञानिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होती है उनमें हीन भावना की प्रवृत्ति अधिकांश होती है। ऐसे बच्चों के उत्साहित करने की आवश्यकता है इसके लिए शिक्षकों में उनके प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा हेतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर इनके लिए विशेष प्रशिक्षण माड्यूल तैयार कर उसमें अध्यापकों का १० दिवसीय संवेदनशील शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ताकि कक्षाओं में बच्चों की पहचान कर उनकी आवश्यकता एवं भावनाओं का सांमजस्य करते हुए शिक्षा दिया जा सके।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों के डेस्क टॉप अप्रेज़ल/फील्ड अप्रेज़ल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता है।

२. **छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :–** स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए रोस्टर बनाकर विद्यालयों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य

परीक्षण कराया जाएगा। विद्यालयों में एक रजिस्टर रखी जाएगी जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उसका पूरा विवरण अंकित किया जाएगा। :–

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :

'प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी' के संदर्भ में विभिन्न विभागों जिला अर्थ एवं संख्या विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, पंचायत राज दिभाग, नहिला एवं बाल विकास विभाग, महिला समाख्या एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं समुदायों के साथ विचार–विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा आंकड़ों का संकलन, वातावरण सृजन किया गया, साथ ही योजना के संचालन क्रियान्वयन में भी इनके सदुपयोग से सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

आकड़ों के संकलन एवं उसके विश्लेषण में विभागीय गतिशीलता के साथ अर्थ एवं संख्या विभाग के सहयोग से जनांकिकी सम्बन्धी मूलभूत आंकड़ों का संकलन किया गया, जबकि विकलांक कल्याण विभाग के सहयोग से समेकित शिक्षा हेतु ६–११ एवं ११–१४ वय वर्ग के विकलांग बच्चों की सूची प्राप्त की गयी। पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची प्राप्त की गयी। डूडा के सहयोग से मलिन बस्ती की सूची प्राप्त की गयी।

६–१४ आयु वर्ग बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक हैं। नगरी क्षेत्र में मलिन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बच्चों की संख्या गाँव एवं नगर दोनों में अधिक है। गाँव में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये। बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रलशिक्षा समिति तथा नगर में वार्डवार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी। शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अधिकतर शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये।

वातावरण सृजन :

नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद के विभिन्न बस्तियों एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ विचार विमर्श के दौरान इस अभियान के उद्देश्यों एवं शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यापक चर्चा की गयी।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों की सक्रिय भागीदारी हेतु इनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नवनिर्वाचित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण, पुनः प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं ५ वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण एवं उन्हें भी प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

नवाचार शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा) :

वाराणसी जिले में प्रयोगात्मक तौर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया गया था जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई। इसी प्रकार का प्रयोग इस जिले में किये जाने का प्रस्ताव है ओर प्रत्येक विकासखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय मे एक कम्प्यूटर की व्यवस्था इस अभियान के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है तथा इसी प्रकार प्रत्येक बी०आर०सी० पर एक कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है। इसके लिये प्रति कम्प्यूटर तथा उसकी केबिन के लिये कुल रु. १.७० लाख की यूनिट कास्ट प्रस्तावित है।

विद्यालयों की स्थिति उन्नति करने में सामुदायिक भूमिका :

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नही है अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्रामवासियों सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चें को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नही सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी उन्हीं से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज–सज्जा में सहयोग :

विद्यालय में फर्नीचर, टाट–पट्टी, श्याम पट्ट, चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कापी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरष्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सक्रियता :

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चार दिवारी निर्माण, मिट्टी भराव, विद्यालय प्रांगण की भूमि ऊँची–नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोग :

वातावरण एवं परिवेश आकर्षक बनाने में बच्चें के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे बच्चें अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने को अपराध भावना से देखें और स्वयं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वों पर चेतना जागृति :

राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जन सहयोग लिया जायेगा। अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा। प्रतियोगिता आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोग :

समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दें तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग :

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए गतिशील बनाया जायेगा कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे और मासिक रूप से उसका अनुश्रण भी करें तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय-९
शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन के लिए नियोजन

डायट गोरखपुर की स्थापना सन् १९९३-९४ में हुई है। गोरखपुर जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष १९९३ में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग-समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित १९ बी.आर.सी. तथा १९१ एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकत्रियों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य-श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

जनपद में १९ ब्लॉक संसाधन केन्द्र व १९१ न्याय पंचायत केन्द्र हैं। यह संस्थायें प्राथमिक विद्यालयो के शैक्षिक परिवेश को गुणवत्ता परक बनाने में सहयोग करती हैं। अतः यह डायट की सहयोगी संस्थायें भी हैं।

जनपद में प्राथमिक स्तर पर १८१२ परिषदीय विद्यालय ४३८ मान्यता प्राप्त विद्यालय ३७ मकतब मदरसा एवं १४ इण्टर कालेज से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ३०२ परिषदीय विद्यालय २४७ मान्यता प्राप्त विद्यालय तथा १५० इण्टर कालेज से सम्बद्ध विद्यालय है।

शिक्षको को सहयोग - समर्थन की व्यवस्थाः-

प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्धन करने के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों का संचालन किया गया। डायट के अकादमिक नेतृत्व में - बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी०/ शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण पर्यवेक्षण तथा कार्य स्थल पर सहयोग समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया । इसके लिए शिक्षकों को पाँच चक्र का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्यकों को भी भर्गादार बनाया गया । सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्यकों को उनकी कार्य एंव दायित्व सम्बधी पाँच दिवसीय प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण सम्बधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन देने के क्रम में डायट द्वारा प्रत्येक प्रवक्ता को जनपद के एक या दो ब्लॉक का मेन्टर नियुक्त किया गया। इन के मार्गदर्शन में समन्यवको तथा संकुल प्रभारियों द्वारा नियमित रूप से विद्यालय भ्रमण,आदर्शपाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन०पी०आर०सी० का उनके भौतिक अकादमिक पक्षों

के आधार सुधार लाने एवं शिक्षको की कठिनाईयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया गया। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा-

१. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।

२. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा ६-८ तथा १-५ के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं-कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।

३. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में बी.ई.पी. में १०० ई.सी.सी.ई. केन्द्र का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ०प्र० द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को ७ दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय-सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका को अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु० ५००० तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु० १५०० भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये-

१. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।

२. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक-बालिकाओं के नामांकन तथा

उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।

३. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।

४. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति

बी०ई०पी० के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्यवन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने, विद्यालय के प्रति समुदाय के लगाव के प्रोत्साहित करने के लिए १२४४ ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। उसी ग्राम सभा की महिला,अनसूचित जाति/जनजाति के अभिभावक तथा स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। परिषदीय विद्यालय का प्राधानाध्यापक इस समिति का सचिव होता है। विकलांग बच्चों के अभिभावक भी इस समिति के सदस्य होते है। यह समिति विद्यालय भवन निर्माण, मरम्मत व अन्य विद्यालयीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने का दायित्य निभाती है, विद्यालय तथा शिक्षको के कार्यो का पर्यवेक्षण भी करती है।

ग्राम शिक्षा समितियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का दो चक्र में आयोजन किया गया है। डायट स्तर पर जिला संसाधन समूह तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन समूह का गठन किया गया है। ब्लाक संसाधन समूह के सदस्यो को संदर्भ व्यक्ति के रूप में डायट स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया । बी० आर० जी० के द्वारा ग्राम स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया जिसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है।

१. प्रतिभागिता परक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य ।

२. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य ।

३. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासो का सफलता पूर्वक प्रस्तुतिकरण।

४. प्रतिभागिता उपागम, रोलप्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

५. स्कूल मैपिंग तथा माईक्रो प्लानिंग अभ्यास।

उक्त प्रशिक्षण ''ग्राम शिक्षा समिति- संकल्प एंव प्रयास नामक माड्यूल व एक कार्य पुस्तिका के उपयोग से सम्पन्न किया गया।

जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षण व अनुश्रवण प्रभावी रहा है। वहाँ समुदाय के लोग विद्यालय से जुड़े हैं, परस्पर सवांद भी होता है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में प्रशिक्षण अनुश्रवण की स्थिति वहुत कमजोर रही है। जिसके लिए उन विद्यालयों के शिक्षकों की कार्य शैली बहुत हद तक जिम्मेंदार रही है।

विद्यालय की गतिविधियों में समुदाय का सहयोग लेने के संदर्भ में शिक्षक- अभिभावक संघ की वैठकें वर्ष

में कम से कम दो बार होती है **माता शिक्षक** स[illegible]मी है। व **माँ -बेटी मेला** का आयोजन भी इसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है।

जनपद के अधिकांश प्राथमिक विद्यालय गाँव में स्थित है। इनमें पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अनपढ़ कम पढ़े लिखे व मजदूर परिवारों से आते हैं। ऐसे परिवारों/ माता पिता/अभिभावकों का शिक्षा के प्रति बहु सकारात्मक सोच नही होती है। ये रूढ़ियों, अंधविश्वासों व परम्पराओं में जीने वाले परिवार होते हैं। शिक्षा को जीवन की आवश्यकता मानना इनकी सोच में शामिल नहीं है। लोगों के कहने-सुनने या/जब तक सुविधा रही तब तक पढ़ा लिया/हर हालत में पढ़ना-पढ़ाना इनकी प्रकृति में शामिल नहीं है। इनके लिए रोजी रोटी पहले है।

कुछ परिवार जो शिक्षित है वह भी अपनी रोजी रोटी/खेती कार्यों में व्यस्तता व शिक्षा के प्रति लगाव न होने के कारण अपने वच्चों / पाल्यों को घर पर मार्ग दर्शन नही दे पाते, फलतः बहुत से बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और लज्जा तथा डाँट-डपट के भय से विद्यालय छोड़ देते हैं। इस प्रकार के बच्चे प्रायः बड़ी उम्र वाले होते हैं।

कुछ माता पिता/परिवार के लोग लड़कियों की शादी होने तक ही पढ़ाते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की शिक्षा में परिवार की निष्क्रिय भूमिका के चलते भी शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। प्रा० वि० में आने वाले अभिभावकों, माता-पिता में शायद ही कोई अध्यापक से पूछता है कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है? उसे गणित,भाषा,इतिहास,भूगोल की कितनी समझ है। वे छात्रवृत्ति या पोषाहार जैसी अन्य प्रोत्साहन योजनाओ से सम्बन्धित जिज्ञासा को लेकर ही विद्यालय में आते हैं।

शिक्षकों की स्थिति और उनसे जुड़े मुद्दे

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु-ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ. पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं -

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।

- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।

- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

शैक्षिक योग्यता : जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति इस प्रकार है:

सारिणी-१

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

	प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
१. शिक्षकों की कुल संख्या		
२. हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या	55	07
३. केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	712	102
४. केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	120	NIL
५. स्नातक (अप्रशिक्षित) विज्ञान, संस्कृत, उर्दू	112	NIL
६. परास्नातक (अप्रशिक्षित)	70	NIL
७. इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	1502	580
८. स्नातक एवं प्रशिक्षित	905	304
९. परास्नातक एवं प्रशिक्षित	526	285

स्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव :

जनपद में शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्न प्रकार है:

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति केलिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राशिक्षित स्नातक है। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद के १८१२ प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत विद्यालयों में लगभग २०.२ प्रति० शिक्षक अप्रशिक्षित है लगभग ५० प्रति० शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लगभग ५० प्रति० शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते। इसलिये न्यून शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षकों के विषयवस्तु के ज्ञान के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

सारिणी-२

क. ५ से १० वर्ष से कम	705	10
ख. ५ से १० वर्ष तक	776	45
ग. १० से १५ वर्ष तक	428	49
घ. १५ से २० वर्ष तक	417	128
ङ. २० से २५ वर्ष तक	372	154
च. २५ से ३० वर्ष तक	537	381
छ. ३० वर्ष से अधिक	556	459

स्रोतः विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गोरखपुर

उपर्युक्त सारणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। विद्यालय निरिक्षकों के दौरान यह देखा गया है कि जो अध्यापक २०-२५ वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हैं वे परंपरागत विधि से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अपने अभ्यास के कारण नवीन शिक्षण विद्याओं के नहीं अपनाते। इसके अतिरिक्त नये शिक्षक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधिबों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों- परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का विवरण - प्राथमिक स्तर पर -

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नवीन शिक्षण विधाओं का प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान कराना एवं जिन पाठ्य वस्तुओं को अध्यापक भूल गया है उसका बोध कराना था। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिवर्ष नियमित व्यवस्था की गई थी। जिसका उल्लेख इस प्रकार है।

प्रथम चक्र

प्रथम चक्र में "प्रशिक्षण का उद्देश्य यह था कि शिक्षक बच्चों को सक्रिय करके शिक्षण कार्य करें। डायट में यह प्रशिक्षण १५ दिनों का था। इस प्रशिक्षण के निम्न लक्ष्य थे :-

१. शिक्षण अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी प्रविधियों की जानकारी प्राथमिक शिक्षकों को देना।

२. विद्यालय को आनन्ददायी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने में शिक्षक सक्षम हो सके।

३. शिक्षा को जीवन से जोड़ा जा सके।

४. विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना।

५. स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना।

द्वितीय चक्र :

विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रशिक्षण में नौ दक्षताओं पर बल दिया गया। कक्षा ०१ से ०५ तक के पाठों का विकास दक्षता आधारित हुआ है। ये दक्षतायें निम्न है - जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचारों को समझना, व्यवहारिक व्याकरण, स्वः अधिगम, भाषा प्रयोग, शब्दावली नियन्त्रण आदि समाहित था।

इस प्रकार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विचार के साथ-साथ बच्चे को अपने दैनिक जीवन में प्रभावी

ढंग से भाषा का प्रयोग करना आ जाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्र भाषा में प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लें।

तृतीय चक्र :

अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण-

यह इस भावना को लेकर आयोजित किया गया कि बच्चों में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कहानी, कविता निबन्ध को पढ़ने की आदत का विकास हो सके। चूंकि भाषा समस्त विषयों के सीखने का साधन है। अन्य सभी विषयों के सीखने की सीढ़ी के रूप में करती है। इसलिए इसके लिए राज्य स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित करके "इन्द्रधनुष" नामक पुस्तक कक्षा १-५ तक के लिए विकसित की गई है। यह पुस्तक अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर आकर्षक चित्रों,, कविता/कहानी से सजी- धजी है जो बाल मन की स्वाभाविक अभिरूचि वाली विषय- वस्तु से परिपूर्ण है। अतिरिक्त पुस्तकों के पढ़ने से बच्चो विषय वस्तु का ज्ञान व शब्द भण्डार समृद्ध होता है।

चतुर्थ चक्र प्रशिक्षण-

गणित को लेकर जो धारणा बनी हुई है कि- यह नीरस, कठिन व **लड़कियों के लिए नहीं** वाला विषय है। इस प्रशिक्षण द्वारा इस धारणा को तोड़ने का प्रयास किया गया है। गीत कविता तथा खेल -खेल में,द्वारा गणित शिक्षण/ ठोस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए गणित शिक्षण करनाा इस पैकेज की विशेषता रही है।

पंचम चक्र प्रशिक्षण-

इसमें **विज्ञान** व **समाजिक विषय** से जुड़ी विषय वस्तु को शामिल किया गया है जो बच्चों को **करके सीखने** की अवधारणा को सशक्त करती है। इस माड्यूल में डी.पी.ई.पी. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणसे कुछ महत्वपूर्ण अंश यथा **'बच्चा', 'शिक्षक' व सीखने की प्रक्रिया** के बारे में 'नवीन मान्यताओं व गतिविधि' की समझ को जोड़ा गया है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने तथा छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को गणित प्रशिक्षण दिया गया। यह महसूस किया गया कि जब तक विषयों के बारे में शिक्षक की अपनी स्पष्ट जानकारी और समझ नहीं बनेगी तबतक उनके सिखाने के तौर-तरीकों में बदलाव नहीं ला सकते। इसी को ध्यान में रखकर विषय आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने के क्रम में पहले गणित का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें शिक्षक के विषय, बच्चे और सीखने-सिखाने के प्रति रवैये में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। यह प्रशिक्षण १० दिवसीय था।

विज्ञान प्रशिक्षण :

इस प्रशिक्षण में निम्नलिखित उद्देश्यों पर जोर दिया गया-

१. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।

२. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।

३. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

४. विज्ञान किट के उपयोग की जानकारी।

५. प्रयोग करके विज्ञान की अवधारणाओं को बताना।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण -

वेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न विन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया-

१. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत ५ दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।

२. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

३. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह-समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक-अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवणः-

वेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर संदर्भदाताओं,ए०वी०एस०ए०/एस०डी०आई०, समन्यवयक सहसमन्यवक, संकुल प्रभारियों , ई०सी०सी०ई०, वैकल्पिक शिक्षा केद्रों का प्रशिक्षण संचालित होता रहा है।

प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों का प्रशिक्षण, बी०आर०सी० स्तर पर संचालित किया गया है एंव ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर सचांलित होता है। इन प्रशिक्षणों के अनुश्रवण की व्यवस्था बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० के माध्यम से डायट द्वारा संचालित होती है। जिसके सचांलन का काम डायट द्वारा नियुक्त सम्बधित बी०आर०सी० के मेन्टर की देख रेख में होता है। लेकिन प्रशिक्षण के अनुश्रवण में बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

५. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान

६. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

इसके अलावा बच्चो / शिक्षकों / अभिभावकों में बेहतर कार्य करने की भावना के विकास के लिए, प्रतिस्पर्धा विकसित करने हेतु संकुल स्तर पर सारे विद्यालयों के वच्चों के लिए अथवा अध्यापको के लिए प्रतियागिताएं आयोजित की जाती है। इससे व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। ये प्रतियोगिताएं- निबंध, कहानी, कविता पाठ लोक काव्य, लोक नृत्य, अन्त्याक्षरी, अभिनय, खेलो, सुलेख तथा विषयवस्तुपरक प्रश्नोत्तर के माध्यम से आयोजित की जाती है।

अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

वेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (५ कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गईं इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

शिक्षक अनुदान :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु० ५००/- की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा-कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु नीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा-कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

टी०एल०एम० निर्माण को क्रियात्मक शोध का विषय बनाया गया है। शोध का विषय हैं "प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने में टी०एल०एम० की उपयोगिता/उपादेयता का अध्ययन।" इस शोध के प्रथम चरण में हमने विषय/पाठ आधारित कम मूल्य, बिना मूल्य, परिवेश में बिखरी पड़ी प्राकृतिक वस्तुएँ, अनुपयोगी से उपयोगी वस्तु निर्माण आदि को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला की। इसके परिणामों को मुद्रित कराकर शिक्षकों में वितरित किया गया।

बेहतर परिणाम हेतु सतत् अनुश्रवण की आवश्यकता होती है तथा व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु कठिनाई स्थल पर ही सपोर्ट की आवश्यकता होती है। विद्यालयों कों लगातार शैक्षिक सपोर्ट एन०पी०आर०सी० / बी०आर०सी० और डायट द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार विद्यालय की अकादमिक समस्या के समाधान हेतु क्रमशः तीन मंच मिल जाते है-सकुंल - बी आर० सी० व डायट । विविध कार्यक्रम के नियोजन, आयोजन एंव प्रबंधन में इनकी भूमिकाएँ निश्चित रहती है और सबका लक्ष्य एक ही होता है- **स्कूल आयु के बच्चे स्कूल आयें, विद्यालय में ठहरें और निर्धारित दक्षताओं कौशलों को सीख सकें।**

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरर्णीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत-प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि तथा सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग २५ प्रतिशत अध्यापंक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रहीं है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी वनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा वच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राथमिक स्तर पर ५ वर्षीय परियोजना पूर्ण होने तक एकल शिक्षक वाले विद्यालयों की संख्या में खास कमी नहीं आई है। फलस्वरूप वहुश्रेणी शिक्षण की स्थिति वनी हुई है। समय सारिणी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं के संचालन की परम्परा नहीं है। अनुश्रवण/प्रशिक्षण/नेतृत्व प्रशिक्षण के दौरान समय सारिणी संस्थागत नियोजन, प्रवन्धन की चर्चा के उपरान्त कुछ हद तक समय सारिणी निर्माण की प्रक्रिया

विद्यालय में दिखाई दे रही है लेकिन इसके अनुपालन की स्थिति नहीं बन पाई है।

प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय संचालन पर बहुत बल दिया गया है। अनुश्रवण व शैक्षिक सपोर्ट के दौरान निरन्तर पुस्तकालय की गतिविधि की खोज खबर ली गई लेकिन प्रगति नहीं है। आज भी पुस्तकें प्रधानाध्यापक के बक्से में प्रायः बन्द मिलती हैं। पुस्तकों के उपयोग को बढ़ावा दिये जाने की अवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का पुस्तकालय, लर्निंग कार्नर/टी० एल० एम० आदि की अवधारणा से परिचय ही नही है। मात्र गणित व विज्ञान विषय आधरित प्रशिक्षण के दौरान इसकी चर्चा हुई है। उ० प्रा० स्तर पर विषय अध्यापकों का अभाव है। इस स्तर पर शिक्षको की सीधी भर्ती नहीं होती है। बल्कि प्रा० स्तर से दस-बीस वर्ष के शिक्षण के बाद शिक्षक आते है। प्रा० स्तर पर लम्बी अविधि तक सामान्य शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े होने, स्वाध्याय से दूर रहने के कारण उनका विषय ज्ञान मुरझा गया है। इस प्रकार उच्च प्रा० स्तर की शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में २४ प्रतिशत एकल, ३५ प्रतिशत दो-अध्यापकीय, २३ प्रतिशत तीन-अध्यापकीय तथा शेष १८ प्रतिशत विद्यालयों में तीन से अधिक अध्यापक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग १७ प्रतिशत विद्यालय एकल, २५ प्रतिशत दो एवं तीन अध्यापकीय तथा ३३ प्रतिशत तीन से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय हैं।

सारणी - ३

स्तर	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय
प्राथमिक स्तर	५०८	६६८	४६०	२७६
उच्च प्राथमिक	५१	७५	७३	१०५

स्रोत : विशेषज्ञ बे०शि०अ०, गोरखपुर

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान निम्नलिखित समस्यायें उल्लेखनीय है-

१. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।

२. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से

प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

३. प्रशिक्षण का संचालन कुछ इस तरह होता रहा है कि प्रतिभागियों में समयबद्धता का अभाव दिखाई दिया। प्रशिक्षण मॉडयूल की विषय वस्तु के अधिगम के प्रति प्रतिभागियों की अभिरूचि सीमित रही है।

४. प्रशिक्षण पैकेज में आदर्श पाठ पर फोकस कमजोर रहा है जिसके कारण प्रशिक्षक और प्रतिभागी सैद्धान्तिक चर्चा तक ही सीमित रहे।

अनुश्रवण के दौरान जनपद में विद्यालयों एवं उनके श्रेणीकरण की स्थिति इस प्रकार रही है-

अकादमिक पर्यवेक्षण और श्रेणीकरण

	स्कूलों की संख्या	स्कूलों की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ श्रेणी			
		अ	ब	स	द
विकास खण्ड					
१. खोराबार	१०	०१	०७	०२	-
२. पिपराईच	५८	०५	३०	२०	०३
३. भटहट	३३	०४	०६	१२	११
४. सहजनवाँ	८६	०६	३६	३६	०८
५. पाली	७५	०९	४०	२१	०५
६. खजनी	१३	०६	०५	०३	-
७. गगहा	१३	०५	०८	-	-
८. कैम्पियरगंज	११७	२६	७२	१४	०६
९. पिपरौली	८१	२०	३२	२७	०२
१०. चरगाँवा	१२	०२	१०	-	-
११. जंगल कौड़िया	१३	०५	०८	-	-
१२. बॉसगाँव	१०	-	०२	०४	०४
१३. गोला	१०	-	०१	०४	०५
१४. सरदार नगर	१६	०५	०६	०२	-
१५. बड़हलगंज	६४	२५	४६	१४	०६
१६. उरूवा	११६	२२	७३	१३	०८
१७. ब्रह्मपुर	८८	०८	३६	३२	०६
१८. बेलघाट	६५	-	४३	३२	२०

स्रोत- डायट गोरखपुर

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

विभिन्न स्तर से प्राप्त पर्यवेक्षण आख्यायें इस दिशा मे सकेंत दे रही है कि प्रशिक्षण कक्षाओं तक नही पहुँच रही है अतः अनुसमर्थन देने वाले अभिकरण अध्यापक के साथ कक्षा मे स्वंय प्रदर्शन करके सपोर्ट दे यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी आवश्यकता को ध्यान मे रखकर पिछले दो वर्षो से पैरामीटर्स व इण्डीकेटर्स को आधार मानकर कक्षा कक्ष में अनुश्रवण व सपोर्ट सर्विसेज दिये जा रहे हैं। इनका प्रभाव आंकलन करने के लिए रा० शै०अनु० और प्रशि० परि० लखनऊ द्वारा दिनांक १६ अगस्त से २६ अगस्त २००० तक कक्षा कक्ष अध्ययन सर्वेक्षण को जनपद गोरखपुर के ५ ब्लाकों के १० प्राथमिक विद्यालयों में रैण्डम सैम्पलिगं विधि से चयन करके सम्पन्न कराया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि शिक्षक अपनी कक्षाओं में नवीन शिक्षण विधाओं, सहायक सामग्रियो व गतिविधियों का किस प्रकार कितना उपयोग कर रहे है ?

सर्वेक्षण कार्य में दो मापनी - शिक्षण अधिगम प्रेक्षण तालिका तथा शिक्षक गुण विभेदक तालिका का प्रयोग किया गया। शिक्षण अधिगम प्रेक्षण मापनी के अन्तर्गत विद्यालय प्रारम्भ होने के समय से समस्त विद्यालय क्रिया कलाप, अध्यापकों की वेशभूषा, आदतें, विषय प्रस्तुत करने की विधि, छात्रों की प्रश्न पूछने आवृति व उसके प्रति शिक्षक प्रति क्रिया, शिक्षक द्वारा अधिगम प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री, छात्र मूल्यांकन तथा समुदाय का विद्यालय से जुड़ाव आदि विन्दुओं पर प्रेक्षण लिया गया।

दूसरी मापनी शिक्षण गुण तालिका में शिक्षक में सवेंदनशीलता, दृढ़निश्चयी, व्यवस्थित, सक्रियता, नवाचारी सोच, कर्तव्य निष्ठा, प्रभावी अभिव्यक्ति, सकारात्मक सोच, विषय का पर्याप्त ज्ञान का मापन किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि शिक्षक का बच्चों के प्रति व्यवहार, उनकी आदतें, विषय प्रस्तुत करने की पद्धति छात्रों के अधिगम को प्रभावित कर रही थी। कहीं कहीं शिक्षक अभी भी पुरानी शिक्षण विधाओं का प्रयोग करते हुए दिखायी दिये। कारण की चर्चा करने पर यह तथ्य सामने आया कि नवीन शिक्षण विधाओं की जानकारी तो है लेकिन छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षको की संख्या अधिक होने के कारण कार्य वाधित हो रहा है। जिस विद्यालय में अध्यापक संख्या छात्र अनुपात में अधिक है। वहां पर समय सारणी नही होने के कारण शिक्षण कार्य नियोजित ढंग से नही चल रहा है। अतः समय सारणी का महत्व तथा उपयोग की समुचित जानकारी प्रधानाध्यापक को होनी चाहिए। सर्वेक्षण के दौरान पर्यवेक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की गयी। यह पर्यवेक्षण शिक्षक को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिए किया जाना चाहिए।

वेसिक शिक्षा परियोजना अवधि में गुणवत्ता संवर्द्धन प्रयास का तीन चरणों में आंकलन किया गया है। जिसे बी०ए० एस०/एम०ए०एस०/ एफ०ए०एस० के अन्तर्गत इसकी संक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत है-

कक्षा दो के छात्रो में भाषा /गणित की शैक्षिक उपलब्धि स्तरः-

वेस लाइन सर्वे में कक्षा दो के भाषा की उपलब्धि का औसत प्रतिशत ६१.१५ जो मिड टर्म मूल्यांकन

में घटकर ५१.७५ तथा अंतिम मूल्यांकन सर्वे में बढ़कर कर ७८.१३ रिकार्ड की गयी इस प्रकार एम०ए०एस० में औसत प्रतिशत का ह्रास हुआ है जब कि एफ०ए०एस० में वृद्धि रिकार्ड की गयी है।

गणित विषय में उपलब्धि का औसत बी०ए०एस० में २५.६४% रहा है जो एम०ए०एस० में बढ़कर ६२.६४% तथा एफ०ए०एस० में ६५.३४% रिकार्ड किया गया है।

<u>कक्षा पाँच के छात्रो में भाषा/गणित की शैक्षिक उपलब्धि स्तरः-</u>

नगर क्षेत्र के विद्यालयो मे पढ़ने वाले बच्चो की भाषा में उपलब्धि का औसत प्रतिशत बी०ए०एस० मे ४५.६६% है जो एम०ए०एस० में बढ़कर ४८.०६ प्रतिशत तथा एफ०ए०एस० मे ८६.१ प्रतिशत है।

ग्रामीण क्षेत्र मे पढ़ने वाले बच्चों के भाषा में उपलब्धि स्तर में निरन्तर वृद्धि रिकार्ड की गयी है- बी०ए०एस०में ४०.५५ प्रतिशत, ए०एम०एस० में ४४.२५ प्रतिशत तथा एफ०ए०एस० ८७.२ प्रतिशत।

गणित विषय में शैक्षिक उपलब्धि स्तर का रिकार्ड इस प्रकार है। शहरी क्षेत्र- बी०ए०एस० में ६५.६५ ,एम०ए०एस० ३३.४२ तथा एफ०ए०एस० में ८७.५ प्रतिशत दर्ज किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र- बी०ए०एस० में ८५.१७ प्रतिशत एम०ए०एस० में ३५.४५ प्रतिशत तथा एफ०ए०एस० ८६.३ प्रतिशत रिकार्ड किया गया

इस प्रकार प्राप्त आंकड़े यह दर्शाते है कि एम०ए०एस० में शैक्षिक उपलब्धि के औसत प्रतिशत में तेजी से गिरावट आयी है लेकिन धीरे धीरे स्थति में सुधार हुआ है और अन्तिम मूल्यांकन के आकड़े अच्छे प्रयास का संकेत दे रहे है। इस प्रकार हम शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन की दिशा में सफलता की ओर कदम रख रहे है।

प्रोत्साहन योजनाएं :

बी० ई० पी० आच्छादित जनपद गोरखपुर में शैक्षिक गुणवत्ता बृद्धि के लिए प्रशिक्षणों के साथ- साथ **प्रोत्साहन योजनायें** भी चलाई गई। सर्वप्रथम बच्चों के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति, पोषाहार व निः शुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था की गई है। इस समय अनु० जाति एवं जनजाति तथा सभी वर्गो की बालिकाओं के लिए निः शुल्क पाठ्यपुस्तक दी जारही है। पोषाहार सभी बच्चों को तथा छात्रवृत्ति अनु० जाति/ जनजाति के बच्चों को दी जाती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत २.६६ लाख छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुईं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के १० सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

छात्रवृत्ति पोषाहार की बजाय अगर बच्चों को यूनिफार्म तथा बस्ता व बस्ते में [illegible] - [illegible]

सामग्री सभी बच्चो में मुफ्त वितरित की जाय तो नामांकन के साथ- साथ ठहराव के स्थायित्व की सम्भावना बढ़ जायेगी। क्योकिं कि अधिकांश बच्चे कमजोर आर्थिक परिवारों से आते हैं।

जिन विद्यालयों में नामांकन, ठहराव शत प्रतिशत नहीं है, उन विद्यालयों को भौतिक संसाधनों से सुसज्जित करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। न केवल भौतिक संसाधन बल्कि मानव संसाधन भी यहाँ मांग के अनुसार दिया जावे और इसे आदर्श विद्यालय के रूप विकसित किया जाये । ऐसी प्रोत्साहन योजना समुदाय को भी विद्यालय से जोड़ने में सहायक होंगी दूसरे गाँव के विद्यालय भी प्रयास करेगें कि उन्हें भी वह सब भौतिक/मानव संसाधन प्राप्त हों ।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :-

हमारी चिन्ता मात्र विद्यालय में आने वाले बच्चों तक ही सीमित नहीं हैं। बल्कि जो विद्यालय नामांकन पंजिका से बाहर हैं/ विद्यालय किसी कारण से छोड़ गये है, उन्हे भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी का अंग है।

अतः अपने जनपद के विशेष बच्चों ; शहरी मलिन वस्तियों , खेतीहर-बाल श्रमिक, अन्य बाल श्रमिक के लिए कुछ करने के साथ साथ उनके माता पिता / अभिभावकों के साथ विशेष रूप से जुड़ना व शिक्षा के प्रति उनके मनोभाव में सकारात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा। उनकी समस्याओं को प्रति भी सहानुभूति- पूर्वक सोच बनानी है। परन्तु ऐसा वातावरण बनाने के लिए सम्बन्धित विषय वस्तु का प्रशिक्षण, डायट अभिकर्मियों के लिए अपेक्षित है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (६ वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा १ के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि ८ वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी १९९८ तथा २००० से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं-ज्ञात हुई-

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक

योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद गोरखपुर में ६-१४ वयवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को वर्ष २०१० तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं-

१. ६-१४ वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।

२. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष २००७ तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

३. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष २०१० तक प्राप्त किया जायेगा।

४. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।

५. प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को २००७ तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर २०१० तक समाप्त कर लिया जायेगा।

६. लक्ष्य समूह (६-१४) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य २०१० तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद- विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु ४ दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा-कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार-अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए

शिक्षक-प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर ६-८ दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा-बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित ८ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है-

१. वीजनिंग कार्यशालाएं- ३ दिवसीय - एन.पी.आर.सी. स्तर पर

२. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक-एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं-एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।

३. **मैटीरियल मेला - एक दिवसीय - एन.पी.आर.सी. स्तर पर**

४. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के ५ महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु० ६० लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित ७ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इन '७ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत [illegible]

में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है-

१. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर ३ दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

२. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के ७ महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

३. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए [illegible] रणनीतियों सम्बंधी ३ दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों प्रर प्रति प्रतिभागी रु० ७० प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु० ६१ लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित ८ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है-

१. बी.आर.सी. स्तर पर २ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

२. बी.आर.सी. स्तर पर २ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

३. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु ३ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

४. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं ५ माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से अनुमानतः रु० ६३ लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित ५ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है-

१. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के ७ महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

२. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु २ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

३. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श-पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु ३ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

४. कक्षा शिक्षण में दृश्य-श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी २ दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

५. क्रियात्मक अनुसंधान विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से अनुमानतः रु० ६३ लाख प्रस्तावित है

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख विन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से अनुमानतः रु० ६६ लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है-

१. प्रत्येक विद्यालय से एक -एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु ०५ दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

२. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए ०५ दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

३. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित ०५ दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

४. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव १५-२० वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित ०६ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

५. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए १० दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक-अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

६. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी ०५ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय-प्रबंधन,

विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा ६-८ के शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे-

प्रथम वर्ष में सबसे पहले शिक्षकों को ३ दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे बच्चों, शिक्षक, सीखने की प्रक्रिया, विषयों की प्रकृति और नवीन मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में एक समझ बनाई जा सके। तत्पश्चात् शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो ६ दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु ३ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर १ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के ६ माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर १ दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी १ दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से अनुमानतः रु० २४ लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय-वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी ०७ दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु ३ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर १ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के ६ माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर १ दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी १ दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से अनुमानतः रु० २४ लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो ०६ दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्औत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु ३ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर १ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के ६ माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर २ दिवसीय तथा १ दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से अनुमानतः रु० २५ लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो ०८ दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु २ दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ-साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु २ दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के ६ माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु २ दिवसीय तथा १ दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से अनुमानतः रु० २८ लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो ०६ दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु० ७० की दर से अनुमानतः रु० २८ लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी

आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है-

१. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** - सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये १ माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण :

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है-

१. **शिक्षामित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण**- जनपद के ६१८ शिक्षामित्रों तथा ८०० ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए ३० दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए १५ दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

२. **वैकल्पिक शिक्षा** - जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या ८०० है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण १५ दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त १० दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का ३ दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

३. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** - पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए ७ दिवसीय प्रशिक्षण डायट में

आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष १९९७ में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, ३-६ वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक-संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका ४० प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त ५ केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन-चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

४. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण-** बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा ६-८ के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में ७ दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

५. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण-** जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए. एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से [illegible]

५ दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुवोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य विन्दु इस प्रकार हैं- अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

६. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** - स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी-।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए ०३ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे- ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम. टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

७. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का

प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम ०५ वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

इन प्रशिक्षणों के अतिरिक्त डायट प्रशिक्षण के अन्य मुद्दों को चिह्नित करेगा और सम्बंधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेगा।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

सामान्य रूप से वर्ष में २२० दिन विद्यालय खुलते है। विद्यालय की कार्यावधि प्रातः १० बजे से ४ बजे तक हैं। कार्य दिवसों में शासन एवं विभाग द्वारा शिक्षको को शिक्षणेत्तर कार्य भी लिए जाते है। कक्षा १ एवं २ में कुल ४ घण्टे ३० मिनट/दिन कार्य होता है इस प्रकार एक हफ्ते में कुल २७ घन्टे कार्य होगा जिसमें से १५ घन्टे भाषा पर तथा १२ घन्टे गणित पर लगाये जायेगे। इसी तरह ३,४,५ में प्रत्येक दिन लगभग ५घन्टे २० मिनट कार्य होता है। इस प्रकार कुल एक हफ्ते की कार्यावधि ३२ घन्टे होगी जिसमें से ८ घन्टे अर्थात ४० मिनट में दो वादन प्रतिदिन भाषा का होगा। गणित में ८ घन्टे/दिन दो वादन ४० मिनट होगे समाजिक विषय के लिए ४ घन्टे, समाजोपयोगी कार्य के लिए दो घन्टे, कला शिक्षण पर दो घन्टा तथा संस्कृत/ अंग्रेजी के लिए दो घन्टे निर्धारित है। वादन ४० मिनट के होगे ।

सारिणी- ५

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक)

	शिक्षण	समय
विषय	प्राथमिक स्तर	
	घण्टा/समय	
भाषा-1	15 घण्टा कुल	समय-27 घन्टा
भाषा-2	15 घण्टा कुल	समय-27 घन्टा
भाषा-3,4,5	8 घण्टा कुल	समय ३२ घन्टा
विज्ञान	कक्षा 3,4 एवं 5	4 घण्टा/प्रतिदिन 1 वादन 40 मिनट
गणित	कक्षा 1 एवं 2 में	12 घण्टा
	कक्षा 3 में	८ घण्टा

	कक्षा 4 में	8 घण्टा
	कक्षा 5 में	8 घण्टा
सामाजिक विषय	कक्षा 4 में	4घण्टा,
	कक्षा 5 में	4 घण्टा,
समाजोपयोगी कार्य	कक्षा 3,4 एवं 5 में	2 घण्टा अर्थात
	प्रत्येक सप्ताह में	40 मिनट के वादन
कला शिक्षण	कक्षा 3,4 एवं 5 में	2 घण्टा अर्थात
संस्कृत/अंग्रेजी	प्रत्येक सप्ताह में	40 मिनट के 3 वादन
	कक्षा 3,4 एवं 5 में	2 घण्टा
	अर्थात सप्ताह में	40 मिनट के 3 वादन

स्रोत : डायट गोरखपुर

एफ०जी०डी० के आधार पर यह पाया गया कि विद्यालय कुल २२० दिन खुलते है। जिसमे से १७० दिन शिक्षण कार्य १० दिन परीक्षा, अन्य कार्य २५ दिन, मासिक बैठके १० दिन समाजिक कार्य पर ५ दिन खर्च होते है।

सारिणी- ६

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	२२० दिन	२२० दिन
शिक्षण के लिए	१७० दिन	१७० दिन
परीक्षा (अर्द्धवार्षिक+वार्षिक)	१० दिन (अर्द्धवार्षिक+वार्षिक)	१० दिन
अन्य कार्य	२५ दिन	२५ दिन
नष्ट हो जाने वाले दिन/ मासिक बैठक के दिन	१० दिन	१० दिन
सामाजिक सम्पर्क	५ दिन	५ दिन

स्रोत : डायट गोरखपुर

मासिक बैठक के निर्धारित दिनों पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं टी०एल०एम० एवं उनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत करके समझबढ़ाने का सार्थक प्रयास किया जायगा। इस प्रकार बैठक को प्रशिक्षण/कार्यशाला का रूप देकर समय का सुदपयोग किया जायगा।

इसी दौरान विज्ञान/गणित किट, अनुपूरक अध्ययन सामग्री एवं स्कूल लाइब्रेरी का उपयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा।

पाठ्य सामग्री -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, २००० के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा

अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष २००५ तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस०सी०ई०आर०टी, उ०प्र० द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग ३.११ लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग ७० लाख रु० व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक-संदर्शिकाएं जो डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु० ४.८३ लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (१-५) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ०प्र० द्वारा जुलाई, १९९९ में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (६-८) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, २००० में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा ६-८ के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस०सी०ई०आर०टी० के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस०सी०ई०आर०टी० के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष २००१-०२ में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, २००२ से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे १.३८ लाख बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि ६० लाख व्यय होगी।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका :

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना-

डायट जनपद के प्राथमिक स्तर को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करता है। जनपद की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विजन तैयार करता है। जैसे : स्कूल के बाह्य सौंदर्य में वृद्धि कैसे हो, कक्षा के अन्दर बच्चे

के लिए आकर्षण कैसे बनाया जाय, शिक्षक अपने लिए क्या क्या प्रशिक्षण चाह रहा है या शिक्षक की समझ में नही आ रहा है शिक्षक की क्या आवश्यकतायें है, जिससे उसके शिक्षण कौशल को अधिक पैना बनाया जाय इन सब की पहचान करके हम पहले स्वयं के स्तर पर क्षमता सम्वर्द्धन करेंगे फिर शिक्षकों को उस प्रशिक्षण से अवगत करायेगें। जो भी प्रशिक्षण हम शिक्षको के लिए आयोजित करेगें उसमें समन्वयक, सहसमन्वयक, संकुल प्रभारी, ए०बी०एस०ए०/एस० डी०आई० को भी शामिल करेगें क्योकि सपोर्ट सर्विसेज इनके द्वारा ही दी जानी है। अनुश्रवण भी यही अभिकरण सम्पन्न करतें है। अभी तक प्रा० स्तर के लिए हम प्रशिक्षणों के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए अनुश्रवण व सपोर्ट सर्विसेज देते रहे हैं। अब हम उ०प्रा० स्तर के लिए भी यही सब कार्यक्रम आयोजित करेगें।

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने पर इस कार्यक्रम के बारे में एक अर्न्तदृष्टि (विजन) विकसित किया जायगा। जिसमें इस बात पर विशेष फोकस होगा कि हम वास्तव में कैसा स्कूल देखना चाहते है ? स्कूल में क्या -क्या चीजे होगी साथ ही स्कूल में क्या होता हुआ दिखेगा ?

हमारी आज के बच्चे के बारे में क्या मान्यता है? इस पर भी एक स्पष्ट समझ बनायेंगे बच्चे कैसे असरदार ढंग से सीख पायेगे इस बारे में भी विचार किया जायगा ? वे कौन- कौन से घटक है जो बच्चे को सीखने-सिखाने में मददगार होंगे ? बच्चे क्या करते हुए विद्यालय/ कक्षा में दिखेगे इस पर भी एक समझ बनाने का प्रयास किया जायगा।

आज के प्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए ? इस बारे में एक सोच बनायी जायगी। उसमें कार्य करने वाले के तौर तरीके क्या होगे ? यह भी तय किया जाना होगा। शिक्षक, विद्यालय/ कक्षा में क्या करता हुआ दिखाई देगा इस बारे में भी एक स्पष्ट समझ बनायी जायेगी।

कक्षा का वतावरण कैसा होगा ? इसके बारे मे भी एक सामान्य अर्न्तदृष्टि बनायी जायगी बच्चे और शिक्षक कक्षा में क्या करते हुए दिखायी देगें ? यह इस विषय वस्तु का प्रमुख मुद्दा होगा।

कक्षा के वातावरण को कौन - कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं ? इस पर भी विचार किया जायगा। इसके अतिरिक्त हमारे सीखने - सिखने के तौर तरीके क्या होंगे ?

सहायक शिक्षण- अधिगम सामग्री और सीखने- सिखाने के तौर तरीकों में सम्बन्ध क्या है ? टी०एस०एम० बेहतर समझ एंव गुणवत्ता परक सम्प्राप्ति में कहाँ तक सहयोगी है ? इस बारे मे में विस्तृत समझ बनायी जायगी। साथ ही साथ मूल्यांकन पद्धति क्या होगी समुदाय/ संसाधन सहयोग कैसे बेहतर हो सकता ? प्रशिक्षण के बारे में तथा नव विकसित पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग व उसके अभ्यासों के बारे में बेहतर समझ बनायी जायगी ? इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास-

सामान्य रूप से शिक्षकों में यह प्रवृत्ति विकसित हो गयी है कि अनवरत अध्ययन/सीखने की जरूरत नही है। विजनिंग के दौरान इस सोच को बदलने का प्रयास किया जायेगा। ऐसी गतिविधियों का नियोजन-

आयोजन इस दौरान किया जायगा कि वे यह महसूस कर सकें कि हमें निरन्तर जानकारी व समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण, क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षणही आयोजित किये जाते रहे हैं। अब इनके क्षमता विकास में और कौन– कौन सी..चीजें मददगार होगी इस बारे में भी चर्चा कर रणनीति/ सोच बनायी जायगी। शिक्षकों एंव अनुदेशकों के क्षमता के विकास के साथ–साथ ए०बी०एस०ए०/बी०आर०सी०सी०/ एन०पी०आर०सी०सी० का क्षमता विकास कराने का प्रयास समय– समय पर किया जाता रहा है। इसके अन्तर्गत शैक्षिक सपोर्ट एंव अनुश्रवण कार्यशाला तथा इसी प्रकार के अन्य कई प्रशिक्षण/कार्यशालायें की गयी परन्तु इनका सार्थक प्रभाव कम ही दिखाई दिया। इस अभियानके तहत इन प्रशिक्षणों/ कार्यशालाओं को अधिक व्यवहारिक बनाते हुए विषय वस्तु एंव तौर तरीकों पर गहरायी से समझ बनायी जायगी। इसके लिए नये तौर तरीकों एंव मान्यताओं के अनुसार कक्षा में हो रहे कार्यो को देखने के एंव करने का इन्हे अवसर प्रदान किया जायगा।

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी०ई०सी० प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए **"संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम"** को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से **रिसोर्स नेटवर्किंग** भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षनता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्रांप्त की जायेगी। इस संम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण–

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञा शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष ०५ दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

प्रशिक्षण सामग्री का विकास–

अब तक के प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर से तैयार प्रशिक्षण सामग्री प्रशिक्षण हेतु दी जाती रही है। आने वाले दिनो में हमारी कोशिश होगी कि हम डायट स्तर पर प्रशिक्षण साहित्य तैयार कर प्रशिक्षणों का नियोजन– आयोजन करें। इसके लिए हम अपनी कार्य योजना इस प्रकार तय करना चाहेंगे :–

* सर्वप्रथम किसी एक विषय वस्तु/ मुद्दे पर प्रशिक्षण साहित्य तैयार कर उसका क्षेत्र परीक्षण करेंफिर आवश्यक संशोधन/ परिवर्द्धन कर उस पर प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

वास्तव में यह मुख्यप्रशिक्षण साहित्य को तैयार करने के पूर्व की तैयारी ही होगी।

* प्रशिक्षण साहित्य तैयार करने मे स्थानीय संदर्भ व्यक्तियों के साथ– साथ राज्य/ अन्य जनपदो से संदर्भ
व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार सहयोग हेतु जोड़ा जायेगा।

* प्रशिक्षण मुद्दो एंव रूप रेखा तैयार करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जायगा। आवश्यकता एंव
सहमति के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त चिन्हित शिक्षकों/ स्वंयसेवी संगठन के लोगो को
जोड़कर प्रशिक्षण साहित्य विकसित किया जायगा। पुनः क्षेत्र परीक्षण एंव आवश्यकता सुधार किया
जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन. पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी०ई०पी० के अन्तर्गत शिक्षकों को रु० ५००/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु० ५००/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

अनुपूरक अध्ययन सामग्री :–

जनपद के विशेष प्रतिभासम्पन्न/ धार्मिक/ ऐतिहासिक/ समाजिक/ स्वतंत्रतः संग्राम से जुड़े लोगो की एक एक कार्यशाला स्थानीयता/ स्थानीय विशिप्टता के बारे में विचार संकलन हेतु आयोजित की जायगी। जिससे उभर कर आये बिन्दुओं/ मुद्दो के आधार पर परिवेश आधारित अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रमाणिकता की दृप्टि से अध्ययन करने के पश्चात मुद्रण कराकर विद्यालयों में वितरण सुनिश्चित किया जायगा। यह अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक दोनो स्तर के विद्यालयों के लिए अलग– अलग तैयार की जायगी। डायट में स्थानीय संदर्भ आधारित पाठ्यक्रम (लोकल स्पेसिफिक कैरिकुलम) को विकास करने की आवश्यकता है। इस पाठ्यक्रम के आधार पर जनपद की आवश्यकता व विशिष्टटता को ध्यान में रखकर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास जपनद स्तर पर किया जायगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों की पहचान एवं अन्य स्थानों से (राज्य व अन्य जनपद) विशेषज्ञ/संदर्भ व्यक्तियों को बुलाया जायेगा। इसके लिए कई चक्रों में पाठ्यक्रम निर्माण व अनुपूरक अध्ययन सामग्री के विकास हेतु कार्यशाला आयोजित की जायगी

एक्शन रिसर्च –

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से ०५ दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस०सी०ई०आर०टी०, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

१. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?

२. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।

३. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?

४. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।

५. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।

६. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।

७. कार्य-निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।

८. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।

९. महिला शिक्षिकाओं का रोल-परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।

१०. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण -

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए विशेष बल :-

इस स्तर के शिक्षको के लिए केवल विज्ञान और गणित विश्य पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया है गणित का प्रशिक्षण १० दिवसीय रहा। इसमें विषय वस्तु पढ़ाने के नये तौर तरीकों की जानकारी शिक्षकों को करायी गयी थी। इसी प्रशिक्षण में गणित कि इस्तेमाल करने की जानकारी भी करायी गयी ।

विज्ञान का प्रशिक्षण भी विषय वस्तु आधारित ८ दिवसीय रहा । इसमें क्रियाकलापों के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने की अपेक्षा रही साथ ही कक्षा- कक्ष में इसी प्रकार अन्तरण हो इसकी भी अपेक्षा की गयी थी। परन्तु देखने में यह आया कि ये अपेक्षाएँ कक्षा- कक्ष तक नहीं पहुँची । विज्ञान के पाठ भी मौखिक/श्यामपट्ट तक सीमित रह गये। कमावेश इसके लिए इन विद्यालयों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था न होना भी रहा।

प्रशिक्षण साहित्य राज्य स्तर पर तैयार कर डायट को भेजे जाते रहे हैं और इनके प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में आयोजित होता रहा है। प्रशिक्षकों के चयन की कोई मुकम्मल व्यवस्था (प्रक्रिया) नहीं रही है।

अब उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित और विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण साहित्य भी डायट स्तर पर विकसित किया जायगा शुरूआत में शिक्षकोंका आवश्यकता का आकलन किया जायगा। प्राथमिक स्तरीय

प्रशिक्षण साहित्य कें विकास की प्रक्रिया इस स्तर पर भी लागू की जायगी। आवश्यकतानुसार स्वंयसेवी संगठन राज्य/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय स्तर के विशेषज्ञों व सदंर्भ व्यक्तियों की देख रेख में प्रशिक्षण साहित्य का विकास किया जायगा। जिसका अनुमोदन/ जाँच परख प्रदेश स्तर के विशेषज्ञों से कराने के पश्चात मुद्रण कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जायगा। प्रशिक्षण साहित्य के अनुमोदन/ जाँच परख एंव मुद्रण की अविधि में ही प्रशिक्षकों का चयन एंव उनका प्रशिक्षण सम्पन्न किया जायगा।

बच्चों में पठन रूचि एवं दक्षता विकसित करने में रोचक, आकर्षक उपयोगी अध्ययन सामग्री का अपना विशेष महत्व है, प्राथमिक स्तर पर इस प्रयास के अन्तर्गत 'इन्द्र धनुष' नाम की भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास कर शिक्षकों को उसे शिक्षण का हिस्सा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। हर स्तर पर इसे सराहा गया है। बच्चों को यह सामग्री अच्छी लगी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री के नाम पर 'हमारे पूर्वज' नामक पुस्तक प्रचलित थी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन -

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेंगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन. पी. आर. सी, बी. आर. सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी-

१. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
२. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
३. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
४. छात्र-छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
५. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा-कविता का संकलन।

शोध-

डायट का एक प्रमुख कार्य शैक्षिक शोध करना भी है। परन्तु यह कार्य प्रायः डायट में प्रत्यक्ष तौर प होता हुआ दिखाई नही देता है। यदि कभी जाने अनजाने कुछ कार्य शुरू भी हो जाते हैं तो अपनी पूर्णता पहले ही उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए -

* प्रत्येक वर्ष शोध के लिए विषय व संख्या निर्धारित की जायेगी।

* डायट/प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों से प्रत्येक वर्ष शोध के विषय/ क्षेत्र माँगें जायँगे आमंत्रित/समस्याओं की कार्य योजना की जाँच-परख कर स्वतंत्र रूप से शोध करने की अनुमति के साथ-सा आवश्यक बजट की व्यवस्था भी की जायेगी। प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक स्तर के अभिकर्मियों से प्राप्त प्रोजेक की सर्वीकृति की स्थिति में उन्हे डायट के संकाय सदस्यों की देख रेख में कार्य करने की अनुमति दी जायेगी इससे तात्कालिक तौर पर आने वाली कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा ।

शोध के लिए कुछ समस्यायें व क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते है :-

* रू० ५००/- शिक्षक अनुदान के रूप में प्राप्त करने के बाद भी शिक्षक टी.एल०एम० का निर्माण प्रयोग नही कर रहे है क्यो ?
* दोपहर बाद विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, क्यों ?
* प्रशिक्षण के दौरान बनी समझ का सामान्यतः कक्षा में उपयोग नही हो रहा है क्यो ? क्या किया जाय
* बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक बार- बार प्रशिक्षण के बाद भी अपने कार्य एवं दायित्य को बेहतर ढंग से नही निभा पा रहे है, क्या किया जाय कि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हो सके।

मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं प्रभावी मूल्यांकन पद्धति भी अपने आप में शोध का विषय है।

डायट, बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० स्तर पर क्रियात्मक शोध द्वारा शैक्षिक समस्याओं को छोटे स्तर पर निराकरण के लिए नमूने के तौर पर अपनाया जाना एक प्रायोगिक परीक्षण है। जिसका आगे चलकर हम कई क्षेत्रों में/ विस्तृत क्षेत्र में सफल उपयोग कर सकते है। यह शिक्षा में एक नवाचार भी है। इससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझने की, रास्ता ढूंढ़ने की स्वतः प्रेरणा मिलती है। इसका अभिलेखीकरण हमारे आगे के कार्य के लिए मार्ग दर्शक का कार्य करता है। क्रियात्मक अनुसंधान हमारे शैक्षिक संपोर्ट के विभिन्न अभिकरणों- डायट/बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० द्वारा सम्मिलित रूप से अथवा अलग-अलग किए जा सकते हैं। एक ही समस्या पर तीनों स्तरों से अलग- अलग क्षेत्रों में कार्य किए जा सकते हैं। और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक धारणा बनाई जा सकती है। जिसके आधार पर एक ठोस कार्य योजना बनाकर उसका एक बड़े क्षेत्र पर क्रियान्वयन किया जा सकता है।

डायट, जहाँ पर अधिक परिपक्व अभिकर्मी होते है। वे बेहतर तरीके से कार्य योजना बनाकर क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न विषय पर अलग-अलग क्षेत्रों में कर सकतें है। वही हम बी० आर०सी०/ एन०पी०आर०सी० स्तर को इतना सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे कि वे अपने स्तर से विभिन्न विद्यालयों में आने वाली समस्याओं के लिए कार्य योजना बनायें और उस पर अमल करके समस्या का निराकरण करें । इस प्रकार हम क्रियात्मक अनुसंधान को संकुल स्तर तक ले जायेंगे जिससे वे अपनी स्वयं की योजना बनाने व संकुल अन्तर्गत विद्यालयों में आने वाली अलग-अलग तरह की समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकें ।

मूल्यांकन-

डायट में एक प्रमुख अनुभाग है-"पाठ्यक्रम व मूल्यांकन"। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि इस अनुभाग को सक्रिय बनाया जाय। नवीन मूल्याकंन पद्धति पर विचार करने के पूर्व आज चल रही मूल्याकंन पद्धति की समीक्षा हेतु कार्यशालाओं/ गोष्ठियों का आयोजन किया जायगा। इनमें प्राप्त निष्कर्षो के परिप्रेक्ष्य में नवीन मूल्यांकन पद्धति कों एक ढाँचा तय किया जायगा। जिसे प्रयोगगिक तौर पर जनपद के कुछ विद्यालयों में लागू कर परीक्षण किया जायगा। जनपद में चलने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता का आंकलन एवं इन प्रशिक्षणों के कक्षा-कक्ष में उपयोग की जानकारी के लिए अलग-अलग मापनी (टूल्स) भी बनाये जायेंगे। जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके तथा प्रशिक्षण कितने प्रतिशत तक कक्षा में पहुँच रहा है इसका भी पता लगाया जा सके।

बच्चों के मूल्याकंन में शिक्षक का मूल्याकंन सन्निहित होता है। डायट स्तर से मूल्यांकन के क्षेत्र में भी अलग- अलग प्रयोग किये जाने की अपेक्षा है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की कोई अवधारणा ही नहीं विकसित की जा सकी है। मूल्यांकन के नाम पर परम्परागत तीमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षाओं का ही आयोजन होता है। प्राथमिक स्तर पर निर्धारित मासिक परीक्षाओ की खाना पूर्ति ही की जाती है तमाम निर्देशो/आदेशो के बावजूद शिक्षको की उदासीनता के कारण/शिक्षको की कमी के कारण मूल्यांकन सतत् और व्यापक न होकर केवल दो या तीन परीक्षाओं मे सिमट चुका है।

चूंकि मूल्यांकन शिक्षण का अनिवार्य और आवश्यक हिस्सा है। अलग कोई कार्य नहीं है अतः इसे सतत् और व्यापक बनाना होगा । जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष के साथ संज्ञानेत्तर पक्ष का मूल्यांकन किया जा सके। मूल्याकन की संख्या को बढ़ाना ही पर्याप्त नही होगा उसके लिए सम्बन्धित को प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रा० स्तर पर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन प्रत्येक दो वर्षो पर करेंगे। जिससे यह पता लगाया जा सके कि बच्चे किन-किन स्थलों पर सीखने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। अथवा नहीं सीख पा रहे हैं। इसके माध्यम से आने वाले समय में हम शिक्षकों के लिए उन स्थलो पर आधारित प्रशिक्षण का नियोजन करेंगे। चूँकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक व बच्चों की सख्या में अधिक विसंगतियाँ होती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष यह परीक्षण किया जाना और आवश्यकता का आंकलन करना कठिन कार्य है।

इस लिए प्रत्येक दो वर्ष पर इस प्रकार के परीक्षण की प्राथमिक स्तर के लिए संकल्पना की गयी है।

उ० प्रा० स्तर पर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा । जिससे उन कम सीख पाने वाले व न सीख पाने वाले विषय वस्तु के कठिन स्थलों का पता लगाया जा सके । इस आधार पर उ०प्रा० स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण का नियोजन- आयोजन करेंगे। जिससे शिक्षक आने वाले सा में विषय वस्तु के उन स्थलों पर बच्चों के साथ बेहतर ढंग से कार्य कर सकें।

नवीन मूल्यांकन प्रणाली-

एस.सी.ई.आर.टी., उ०प्र० द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर स शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकर जुलाई, २००१ से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सत व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे स शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक-प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यत एतद्-विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेग जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं उपयोग-

विद्यालय भ्रमण एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर एक तरह की समस्या वाले विद्यालयों/ क्षेत्रो की पहचान करेंगे। इस प्रकार समान समस्या वाले विद्यालय/ उनके शिक्षकों को सूची बद्ध करके उनके लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन कर आयोजन करेंगे। फिर यह देखेंगे कि इस बात का प्रशिक्षण या आगे के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा ? क्या इससे समस्या का निराकण हुआ ? यदि नही तो फिर और क्या- क्या करना होगा ? इस पर आगे की रणनीति/कार्ययोजना बनायी जायगी। आँकड़ों का अध्ययन कर डायट उसमें से जिले में उभर रहे प्रवृत्तियों को पहचानेगा और उनके अनुसार अपनी कार्ययोजना तय करेंगे।

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

अकादमिक सुपरविजन और पर्यवेक्षण व्यवस्था-

डायट पटनी सहारनपुर में शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्य शाला में अकादमिक सुपर विजन और पर्यवेक्षण के तौर तरीकों पर एक चर्चा आयोजित की गयी थी। इसमें दिए गये प्रशिक्षणों को ध्यान में रखते हुए कुछ पैरामीटर एवं इंडीकेटर विकसित किये गये। इन पैरामीटर, इण्डीकेटर को आधार बनाकर विद्यालयों/ एन०पी०आर०सी० और बी०आर०सी० का श्रेणी करण किया जाना प्रारम्भ किया गया। यह प्रक्रिया आज भी जारी है।

इस प्रक्रिया से पर्यवेक्षण से जुड़े समस्त अभिकरणों- एन०पी०आर०सी०/बी०आर०सी०/डायट के अभिकर्मी ए०बी०एस०ए०/एस०डी०आई० आदि को अवगत कराने के लिए फेरो में तीन दिवसीय कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की गयी। इन्ही पैरामीटर्स का इस्तेमाल आज भी विद्यालयों के श्रेणी करण में किया जा रहा है।

इसका लाभ यह है कि प्रत्येक एन०पी०आर०सी०/बी०आर०सी० एवं डायट एक नज़र में यह जान ले रहा है कि उसके यहाँ किस श्रेणी के कितने और कौन से विद्यालय है ? साथ ही उन्हे स्पष्ट तौर यह भी पता हो जा रहा है कि किस विद्यालय को कौन सा सपोर्ट दे देने पर उसकी श्रेणी जल्दी ही उच्चीकृत हो जायगी इस प्रकार अलग- अलग विद्यालयों के लिए अलग-अलग रणनीति बनाने में भी मदद मिल रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण की व्यवस्था की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाई स्कूलों, इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा ६-८ के शिक्षकों को भी लाया जायेगा।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है-

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन

5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.बी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुकेन्द्री शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन. पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा ''श्रेणीकरण'' के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में ६-८ कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका-

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण- आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिएं शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका-

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।
- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- बी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एन.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

डायट के सुदृढ़ीकरण हेतु आश्वयक सामग्री -

भूमिका :- डायट गोरखपुर की स्थापना सन् १९९३ में हुई है। पूर्व संचालित डायट भवन के लिए रख- रखाव व मरम्मत का प्रस्ताव :- डायट गोरखपुर बेसिक शिक्षा परियोजना, सभी के लिए शिक्षा समयावधि को दिसम्बर २००० में पूर्ण किया है। अतः डायट के पास नवीन भवन के नाम पर प्रशासकीय भवन व डारमेट्री है, शेष समस्त भवन सन् १९०४ के निर्मित है। उनका उपयोग नही किया जा सकता जब तक मरम्मत नही हो जाता है साथ ही रख -रखाव के संसाधनों से युक्त करना अपेक्षित है। यहाँ प्रशिक्षणों को आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण कक्षों एंव आवासीय व्यवस्था के लिए भवन की आवश्यकता है, अन्यथा गैर आवासीय प्रशिक्षण किए जाने की स्थिति में उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है।

उपकरण व साज-सज्जा के मरम्मत की आश्यकता है :-

कुछ उपकरण मरम्मत व नवीन खरीद में बहुत कम धन राशि का अन्तर रखते हैं । जैसे जनरेटर व फोटोकापियर्स से उपकरण नवीन खरीद ही लाभदायक सिद्ध होंगे।

कम्प्यूटर लैव :-

कम्प्यूटर लैव की आवश्यकता है। पूर्व से जहाँ इसकी व्यवस्था है वह उपयुक्त स्थान नहीं है। साथ ही कम्प्यूटर प्रशिक्षण से स्टाफ को समृद्ध बनाना अपेक्षित है।

पुस्तकालय :-

डायट में एक उपयुक्त पुस्तकालय भवन की आवश्कता है। जिसमें एक सलंग्न अध्ययन कक्ष (रीडिंग

रूम) अवश्य हो। पुस्तकालय के लिए काष्ठोपकरण,आलमारी, रैक आदि भी हो। बच्चों के दृष्टि से उपयोगी साहित्य कविता, कहानी पत्रिकाओं, पुस्तकों को क्रय किया जायगा। शिक्षकों की दृष्टि से उपयोगी पुस्तकें विषय वस्तु एवं शिक्षण विधा से जुड़ी पुस्तकें क्रय की जायगी। पुस्तकों के क्रय के लिए एक कोर टीम बनायी जायगी जो यह तय करेगी कि किस-किस तरह की कौन-कौन सी पुस्तकें खरीदी जाय। इस कोर टीम में सदस्य के रूप में डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता/प्राथमिक शिक्षा से जुड़े लोग/बी०आर०सी०/एन०पी०आर०सी० समन्वयक होगें।

डायट के साथ-साथ बी०आर०सी० और एन०पी०सी० के पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। इस स्तर पर भी पुस्तकें उपर्युक्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त खरीदी जायेगी। बेहतर हो कि उक्त समिति विभिन्न प्रकाशनों और पुस्तक मेलों में जाकर पुस्तक की समीक्षा व चयन करने के उपरान्त पुस्तक खरीदनें की संस्तुति द। इसके लिए समिति के उत्तरदायि भी बनाया जाय। पुस्तकालय के उपयोग, रख-रखाव के विषय सम्यक जानकारी व इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण समस्त बी०आर०सी० समन्वयक/सह समन्वयक/संकुल प्रभारी डायट के पुस्तकालय प्रभारी को दिया जाना होगा।

इस दिशा में संकुल स्तर पर हम तीन से चार दिवसीय एक प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन करेंगे जिसमे चुने हुए बच्चे व उ० प्रा० वि० के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे। वहाँ उन्हे पुस्तकालय का महत्व,उपयोगिता, रख-रखाव के तौर तरीके की जानकारी व समझ विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिये राज्यस्तर पर कुछ चुने हुए समन्वयक, सहसमन्वयक,डायट अभिकर्मी को दक्ष बनाना होगा।

सारिणी- ७

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का संवर्द्धन

पदों का विवरणः- ११.२००१ के आधार पर

	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	०१	०१	०
उपप्राचार्य	०१	०	०१
वरिष्ठ प्रवक्ता	०६	०१	०५
प्रवक्ता	१७	१७	०
कार्यानुभव शिक्षक	०१	०१	०
सांख्यिकी कार	०१	०१	०
तकनीकी सहायक प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्राथमिक विद्यालय	०१	०१ परामर्शी के रूप में सम्बद्ध	०

<u>विशेषः</u> वर्तमान में परामर्शी के कार्यो की गुणवत्ता व डायट के लिए इनकी उपयोगिता को देखते हुए हमारी अपेक्षा है कि परामर्शी का एक स्थाई पद डायट में स्वीकृत कर अकादमिक सपोर्ट की कड़ी को और मजबूत किया जाय। इस पद पर प्राथमिक शिक्षा एंव शैक्षिक नवाचार/ नवीन मान्यताओं की जानकारी वाले व्यक्ति को रखा जाना ठीक होगा।

* एक पद कम्प्यूटर ऑपरेटर का दिया जाना उपयुक्त होगा।

<u>संकाय सदस्यों के कौशल विकास सम्बन्धी विवरण</u>

संकाय सदस्यों की कौशल विकास सम्बन्धी वाँक्षित प्रशिक्षण इस प्रकार से है :- डी०ओ०टी०, डी०टी०एस० डेमान्शट्रेशन स्किल्स, एक्सपोजर विजिट,शैक्षिक प्रबन्धन कम्प्यूटर तकनीक, पुस्तकालय विज्ञान व समेकित शिक्षा प्रशिक्षण क्रियात्मक शोध, जेण्डर सेंसटाइजेशन एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री निर्माण आदि-आदि।

डायट के संकाय सदस्यों की क्षमता सम्वर्द्धन के क्रम में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षणों की बात पर चर्चा की गई। कुल छः सदस्यों ने ही अपनी आवश्यकता आधारित प्रशिक्षणों के बारें में लिखित माँग की है :

* कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रशिक्षण।
* शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन प्रशिक्षण।
* डेमान्सट्रेशन स्किल्स के विकास के लिए।
* एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम
* डी० ओ० टी०, डी० टी० एस० प्रशिक्षण।
* पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण।
* समेकित शिक्षा प्रशिक्षण।
* क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण।
* शिक्षण-अधिगम सामग्री प्रशिक्षण।

* ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि मात्र प्रशिक्षण प्राप्तकर लेने से ही दक्षता नहीं बनती बल्कि प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने का कौशल विकसित करना भी बहुत आवश्कत है। बहुत सी बातें सैद्धान्तिक रूप से कहने पर सुग्राहय नहीं होती हैं वही जब कही होता हुआ देख जाता है तो आसानी से समझ में भी आ जाता है और प्रेरणा भी मिलती है। अतः संकाय सदस्यों को इस प्रकार के नवाचारों को देखने समझनें का अवसर दिया जाना भी उपयुक्त होगा।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	**50.00 लाख**

उपकरण/साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेंटिग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	**10.00 लाख**

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेसी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव/पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

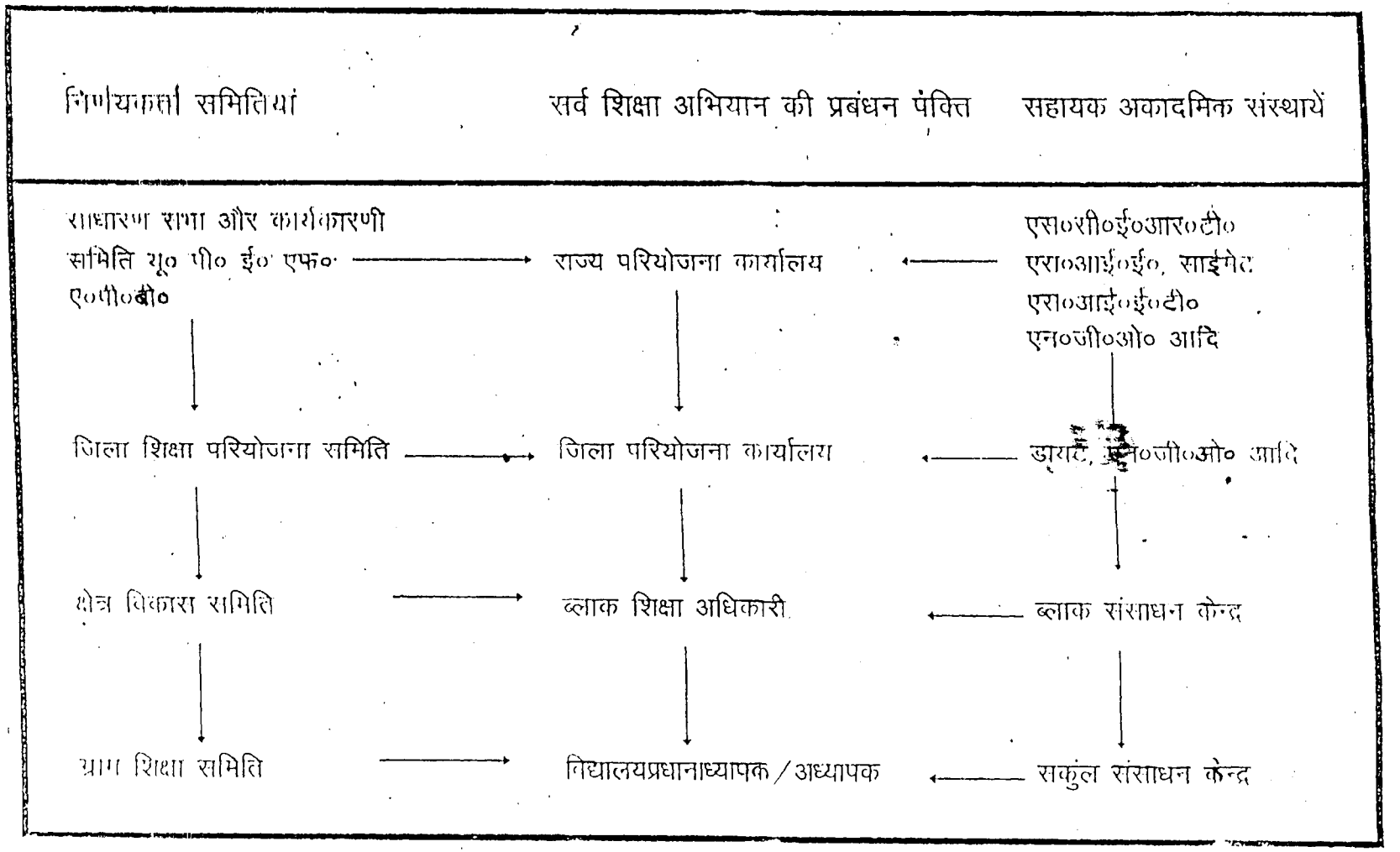

निर्णयकर्ता समितियां		सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति		सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए० पी० बी०	→	राज्य परियोजना कार्यालय	←	एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
↓		↓		↓
जिला शिक्षा परियोजना समिति	→	जिला परियोजना कार्यालय	←	डायट, एन०जी०ओ० आदि
↓		↓		↓
क्षेत्र विकास समिति	→	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	←	ब्लाक संसाधन केन्द्र
↓		↓		↓
ग्राम शिक्षा समिति	→	विद्यालयप्रधानाध्यापक / अध्यापक	←	संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सोंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1. ब्लाक प्रमुख — अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक — सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक " सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैटक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डाइट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न स्तर के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तंगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यक्तानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शौक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थाापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

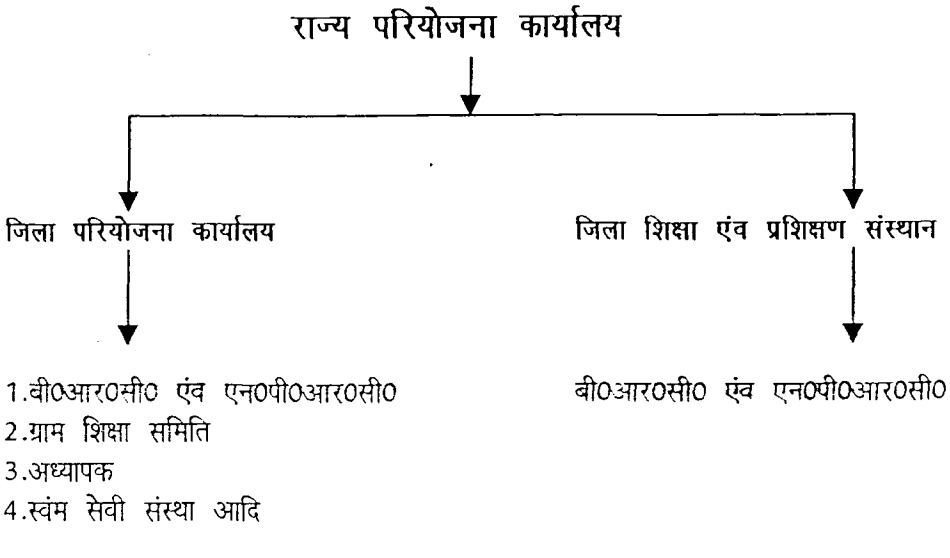

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपेन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

अनुलग्नक - II

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	23	5957	20	5180	20	5180													63	16317
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	260	87880	130	43940	130	43940	109	36842											629	212602
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2	23	1270	43	4747	63	6955	63	6955	63	6955	63	6955	63	6955	63	6955	63	6955	507	54702
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	1040	43680	1560	131040	2080	174720	2516	211344	2516	211344	2516	211344	2516	211344	2516	211344	2516	211344	19776	1617504
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	260	11700	390	35100	520	46800	629	56610	629	56610	629	56610	629	56610	629	56610	629	56610	4944	433200
5	Furniture / Fixture & Equipment																					
	PS	15			43	645	20	300													63	945
	UPS	50			390	19500	130	6500	109	5450											629	31450
6	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Total		**1607**	**150687**	**2577**	**240352**	**2964**	**284595**	**3427**	**317401**	**3209**	**275109**	**3209**	**275109**	**3209**	**275109**	**3209**	**275109**	**3209**	**275109**	**26620**	**2368580**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10																			0	0
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200			3	600
	Total		**0**	**0**	**1**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**200**	**0**	**0**		
	Interventions for out of school children																					
A3	Alternative School (EGS + AIE)																					
	EGS																				0	0
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	10500	7402	15000	10575	20000	14100	15000	10575	10000	7050	5000	3525							75500	53227

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Upper Primary	1.0 per child	2500	2500	7500	7500	7500	7500	5000	5000	5000	5000	2500	2500							30000	30000
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Total		13001	9952	22501	18125	27501	21650	20001	15625	15001	12100	7501	6075	1	50	1	50	1	50	105509	83677
A4	Back to school campaign	1.5 per child	760	1140	760	1140	760	1140													2280	3420
	Innovation in EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	150	225	800	1200	150	225													1100	1650
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																				0	0
	SubTotal (A)		15618	162004	26640	261067	31376	307610	23428	333026	16211	267400	10710	281164	3210	275150	3211	276359	3210	275159	135513	2457877
(R)	**RETENTION**																					
	Additional Classrooms	70	400	28000	400	28000	400	28000	400	28000	425	29750									2025	141750
	Additional Teachers Primary School	7.7×12			342	31601	755	69762	1081	99884	1423	131485	1544	142666	1668	154123	1795	165868	1924	177778	10532	973157
	Additional Teachers Upper Primary School	0.5																			0	0
R1	Toilets (PS + UPS)	10	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	68	680									468	4680
	Rec. of Old PS	191			14	2674															14	2674
	Rec of Old UPS	270			3	810	4	1080													7	1890
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	100	1800	100	1800	116	2088													316	5688
	Repairs																					
	Minor	20			336	6720	51	1020													387	7740
	Major	70			132	9240	31	2170													163	11410
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	100	500	250	1250	250	1250	200	1000	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	1300	6500

145

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	200	8000	500	20000	500	20000	400	16000	401	16040									2001	80040
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school					23	46	43	86	63	126	63	126	63	126	63	126	63	126	381	762
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school					260	520	390	780	520	1040	629	1258	629	1258	629	1258	629	1258	3686	7372
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district																				
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp	38	380	38	380	38	380													114	1140
R6	MCDA including Gender Sensitization	75 per cluster			2	150	2	150	2	150	1	75									7	525
R7	SUPW for girls	25 per school	10	250	10	250	10	250	10	250	10	250	10	250	5	125					65	1625
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre			60	1080	60	1080	60	1080											180	3240
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100																	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70																			0	0
5	TLM	5 per centre	50	250	120	600	90	450	60	300											320	1600
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	50	225	170	765	260	1170	320	1440	320	1440	320	1440	320	1440	320	1440	320	1440	2400	10800
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre			50	75	170	255	260	390	320	480	320	480	320	480	320	480	320	480	2080	3120

146

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3	50	150	120	360	90	270	60	180											320	960
	Recurring	1.2			50	60	170	204	260	312	320	384	320	384	320	384	320	384			1760	2112
R10	Community Mobolisation																					
1	MTA/PTA training	0.007	6040	42	6040	42	6040	42					6040	42	6040	42	6040	42			36240	252
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	10	80	10	80	10	80	5	40											35	280
3	Development of Awareness Material	5 per block	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95									95	475
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	191	955	191	955	191	955	191	955	191	955	191	955	191	955	191	955	191	955	1719	8595
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10							1	10							1	10	3	30
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10							1	10							1	10	3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district																			0	0
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	19	133	19	133	19	133	19	133	19	133	19	133	19	133	19	133	19	133	171	1197
R12c	Award for Best Teacher	5 Per Block	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	171	855
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child			50	35	100	71	150	106	100	71	50	35							450	318

147

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	300	360	500	600	1200	1440	1800	2160	2200	2640	1400	1680	1200	1440					8600	10320
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)																			0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000					70	7000
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	2116	1058	2116	1058	2399	1200	2549	1274	2699	1350	2808	1404	2808	1404	2808	1404	2808	1404	23111	11556
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school					283	1415	150	750	150	750	109	545							692	3460
	Sub Total (B)		9831	44568	11777	110983	13676	137746	8564	157535	9386	189434	13958	153068	13718	163580	12630	172750	6401	184264	99941	1313928
	(Q) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day			342	718	413	867	326	685	342	718	121	254	124	260	127	268	129	271	1924	4041
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day			341	143	413	173	326	137	342	144	122	51	124	52	126	53	129	54	1923	807
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day					23	10	20	8	20	8									63	26
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day					260	109	130	55	130	55	109	46							629	265
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	5751	4026	6092	4264	6505	4554	6831	4782	7173	5021	7295	5107	7419	5193	7545	5282	7674	5372	62285	43601

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	In Service Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day																			0	0
7	In Service Training of EGS/AIE Worker (30 Days)	0.07 per person per day	433	909	300	630	184	386													917	1925
8	Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day					342	359	755	793	1081	1135	1423	1494	1544	1621	1668	1751	1795	1885	8608	9038
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			800	840	1500	1575	1400	1470	1000	1050	500	525							5200	5460
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	57	40																	57	40
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day	191	134																	191	134
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			57	20	57	20	57	20	57	20	57	20	57	20	57	20	57	20	456	160
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			191	67	191	67	191	67	191	67	191	67	191	67	191	67	191	67	1528	536
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	225	315

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	225	477
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	248	372	248	372	248	372	248	372	248	372	248	372	248	372	248	372	248	372	2232	3348
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	25	9	25	9	25	9	25	9	25	9	25	9	25	9	25	9	25	9	225	81
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	38	14																	38	14
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	25	38	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15					85	128
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	9980	898									9980	898							19960	1796
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	2	140	2	140	2	140													6	420
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	2875	1006	3083	1079															5958	2085
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	10	35	10	35	10	35	10	35	10	35	10	35	10	35	10	35	10	35	90	315
24	Training on EMIE by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	5	12	5	12	5	12	5	12	5	13	5	13	5	13	5	13	5	13	45	113
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	3000	630	1500	315															4500	945
	Total		22690	8351	13056	8747	10238	8791	10384	8548	10684	8750	20146	8994	9807	7745	10052	7958	10313	8186	117370	76070

150

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	5751	2876	6434	3217	7260	3630	7912	3956	8596	4298	8839	4420	9087	4544	9340	4670	9598	4799	72817	36410
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1427	713	2467	1233	2987	1493	3507	1753	3943	1971	3943	1971	3943	1971	3943	1971	3943	1971	30103	15047
3	Free text book to SC/ST children & Girls (PS)	0.150 per	310886	46633	322462	48369	334419	50162	307076	46161	314445	47107	321303	48204	328433	49206	335000	50348	343034	51455	2918387	437755
	(UPS)	Child per year	138179	20726	144267	21640	151505	22725	158990	23848	166734	25010	174739	26210	183018	27453	187044	28056	191137	28674	1495613	224342
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1812	906	1812	906	1835	917	1855	927	1875	937	1875	937	1875	937	1875	937	1875	937	16689	8341
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	304	304	304	304	564	564	694	694	824	824	933	933	933	933	933	933	933	933	6422	6422
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000			1	1000			1	1000									3	3000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10													3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each									1	400							1	400	2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each									1	400							1	400	2	800
12	School Awards	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		458364	73513	477750	76024	498575	80846	480637	77674	496422	82352	511695	83020	527292	85448	538807	87261	550525	89914	4540068	736052
	Subtotal (C)		481054	81864	490806	84771	508813	89637	491021	86222	507107	91102	531841	92014	537099	93193	548859	95219	560838	98100	4657438	812122

151

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C1	DIET																					
	Civil Work	5000			1	5000															1	5000
1	Furniture	100			1	100															1	100
2	Equipments (including audio visual)	300			1	300															1	300
3	Computers Work Station	600	1	600																	1	600
4	Vehicle (where appkicable)	350																			0	0
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
8	Research/Action Research	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
	Seminars	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30	1	30											4	120
10	Exposure Visits	50	1	50			1	50			1	50			1	50			1	50	5	250
	Publications	400			1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	8	3200
11	Library	25	1	25	1	25							1	25	1	25					4	100
	Contingency	100	1	50	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	850
12	Salary of computer operator	7	1	42	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	9	714
13	Salary of Driver (where applicable)	4	1	24	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	9	408
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Total		13	1086	15	6552	12	1177	11	1127	11	1147	11	1122	12	1172	10	1097	11	1147	106	15627
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Asstt. Coordinator	5.5	19	627	19	1254	19	1254	19	1254	19	1254	19	1254	19	1254	19	1254	19	1254	171	10659
4	Chowkidar	3																			0	0

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
5	Equipment/Furniture	100																			0	0
6	Travelling Allowance	5	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	171	855
7	Maint of Equipment	1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	171	171
8	Maint of building	6	19	114	19	114	19	114	19	114	19	114	19	114	19	114	19	114	19	114	171	1026
9	Books	10	19	190			19	190			19	190			19	190			19	190	95	950
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	2116	635	2116	635	2399	720	2549	765	2599	810	2808	842	2808	842	2808	842	2808	842	23011	6933
11	Consumables	5	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	19	95	171	855
12	Contingency	12	19	228	19	228	19	228	19	228	19	228	19	228	19	228	19	228	19	228	171	2052
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	19	68	19	68	19	68	19	68	19	68	19	68	19	68	19	68	19	68	171	612
	Total		2268	2071	2249	2508	2551	2783	2682	2638	2751	2873	2941	2715	2960	2905	2941	2715	2960	2905	24303	24113
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Equipment/Furniture	10																			0	0
4	Books for Library/Book Bank	5	191	955									191	955							382	1910
5	Contingency	2.5	191	478	191	478	191	478	191	478	191	478	191	478	191	478	191	478	191	478	1719	4302
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	1719	4122
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	2116	423	2116	423	2116	423	2116	423	2116	423	2116	423	2116	423	2116	423	2116	423	19044	3807
8	Maintenance of Building		191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	191	458	1719	4122
	Total		2880	2772	2689	1817	2689	1817	2689	1817	2689	1817	2880	2772	2689	1817	2689	1817	2689	1817	24583	18263

153

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4	District Project Office																					
	Staffing Coordinators4																					
	Consultants2																					
	AAO																					
	Driver1																					
	(if vehicle is purchases)	852	1	426	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	9	7242
	Equipment	50	1	50	1	50															2	100
	Furniture & Fixtures	50	1	50																	1	50
	Books	10	1	10			1	10			1	10			1	10			1	10	5	50
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350																			0	0
	Motorcycle	50	23	1150																	23	1150
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	19	1368	19	1368	19	1368	19	1368											76	5472
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	2116	334	2116	334	2399	379	2549	403	2699	426	2808	444	2808	444	2808	444	2808	444	23111	3652
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	2116	635	2116	635	2399	720	2549	765	2699	810	2808	842	2808	842	2808	842	2808	842	23111	6933
	Total		4265	4173	4260	3389	4826	3479	5125	3538	5407	2248	5624	2288	5625	2298	5624	2288	5625	2298	46401	25999

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
GORAKHPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4 1	MIS																					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50																	1	50
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. *12	3	126	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	27	2142
	Salary of MIS Officer	10x12	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
3	MIS Equipmants (where applicable)	460	1	460																	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		9	761	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	65	4257
	Sub Total (D)		9455	10863	9220	14703	10085	9693	10514	9557	10865	8522	11463	9334	11293	8629	11271	8354	11292	8604	95458	88259
	Grand Total		515858	299299	538443	471524	563949	544686	533527	586340	545569	576467	567972	535600	565320	540561	575971	551682	581741	566127	4988350	4672286

Note : Salary of Teachers in the 1st Year provided for Six Months.

155

SUMMARY OF PROJECT COST - I

GORAKHPUR

(Rs. in Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	40369.00	4934.00	253996.00	**299299.00**
2002-2003				
Amount	171400.00	3826.00	296298.00	**471524.00**
2003-2004				
Amount	106797.00	3916.00	433973.00	**544686.00**
2004-2005				
Amount	96189.00	3975.00	486176.00	**586340.00**
2005-2006				
Amount	84881.00	2685.00	488901.00	**576467.00**
2006-2007				
Amount	1069.00	2725.00	531806.00	**535600.00**
2007-2008				
Amount	1069.00	2735.00	536757.00	**540561.00**
2008-2009				
Amount	1069.00	2725.00	547888.00	**551682.00**
2009-2010				
Amount	1069.00	2735.00	562323.00	**566127.00**
TOTAL	**503912**	**30256**	**4138118**	**4672286**
As % of Total Cost	**10.79**	**0.65**	**88.57**	**100.00**

SUMMARY OF PROJECT COST - II
GORAKHPUR

(Rs. in Lacs)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	162004.00	44568.00	81864.00	10863.00	299299.00
As % of Total Project Cost	54.13	14.89	27.35	3.63	100.00
2002-2003					
Amount	261067.00	110983.00	84771.00	14703.00	471524.00
As % of Total Project Cost	55.37	23.54	17.98	3.12	100.00
2003-2004					
Amount	307610.00	137746.00	89637.00	9693.00	544686.00
As % of Total Project Cost	56.47	25.29	16.46	1.78	100.00
2004-2005					
Amount	333026.00	157535.00	86222.00	9557.00	586340.00
As % of Total Project Cost	56.80	26.87	14.71	1.63	100.00
2005-2006					
Amount	287409.00	189434.00	91102.00	8522.00	576467.00
As % of Total Project Cost	49.86	32.86	15.80	1.48	100.00
2006-2007					
Amount	281184.00	153068.00	92014.00	9334.00	535600.00
As % of Total Project Cost	52.50	28.58	17.18	1.74	100.00
2007-2008					
Amount	275159.00	163580.00	93193.00	8629.00	540561.00
As % of Total Project Cost	50.90	30.26	17.24	1.60	100.00
2008-2009					
Amount	275359.00	172750.00	95219.00	8354.00	551682.00
As % of Total Project Cost	49.91	31.31	17.26	1.51	100.00
2009-2010					
Amount	275159.00	184264.00	98100.00	8604.00	566127.00
As % of Total Project Cost	48.60	32.55	17.33	1.52	100.00
GRAND TOTAL	2457977.00	1313928.00	812122.00	88259.00	4672286.00
As % of Total Cost	52.61	28.12	17.38	1.89	100.00

अनुलग्नक -12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	23	5957	23	5957
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	260	87880	260	87880
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2	23	1270	23	1270
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	1040	43680	1040	43680
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	260	11700	260	11700
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
6	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Total		**1607**	**150687**	**1607**	**150687**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10				
	Cohart Study	200				
	Total					
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	10500	7402	5250	3701
	Upper Primary	1.0 per child	2500	2500	1250	1250
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	25
	Total		**13001**	**9952**	**6501**	**4976**

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
A4	Back to school campaign	1.5 per child	760	1140	380	570
	Innovation in EGS	50				
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	150	225	75	113
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	SubTotal (A)		**15518**	**162004**	**8563**	**156346**
(R)	**RETENTION**					
	Additional Classrooms	70	400	28000	400	28000
	Additional Teachers Primary School	7.7×12				
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5				
R1	Toilets (PS + UPS)	10	100	1000	100	1000
	Rec. of Old PS	191				
	Rec of Old UPS	270				
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	100	1800	100	1800
	Repairs					
	Minor	20				
	Major	70				
R3	Repair and Maintenance of School	5PA per schools	100	500	100	500
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	200	8000	200	8000
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school				
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school				
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				
	Promoting Girls Education					

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Summer Camps	10 per camp	38	380	38	380
R6	MCDA including	75 per cluster				
	Gender Sensitization					
R7	SUPW for girls	25 per school	10	250	10	250
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre				
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70				
5	TLM	5 per centre	50	250	50	250
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	50	225	50	225
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre				
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3	50	150	50	150
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA training	0.007	6040	42	6040	42
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	10	80	5	40
3	Development of Awareness Material	5 per block	19	95	10	48
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	191	955	96	478
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10	1	5
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10	1	5

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district				
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	19	133	19	133
R12c	Award for Best Teacher	5 Per Block	19	95	19	95
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child				
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	300	360	150	180
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)				
R16	Computer Education for UPS composite school	100	10	1000	5	500
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	2116	1058	1058	529
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school				
	Sub Total (B)		**9831**	**44568**	**8507**	**42784**
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day				
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day				
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day				
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	5751	4026	2876	2013
6	In Service Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
7	In Service Training of EGS/AIE Worker (30 Days)	0.07 per person per day	433	909	217	455
8	Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day				
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	57	40	29	20
11	NPRC Coordinator's training (10 days)	0.07 per person per day	191	134	96	67
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day				
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	25	35	13	18
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	13	27
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	248	372	124	186
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	25	9	13	5
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	38	14	19	7

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	25	38	13	19
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	9980	898	4990	449
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	2	140	1	70
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	2875	1006	1438	503
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	10	35	5	18
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	5	12	3	6
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	3000	630	1500	315
	Total		**22690**	**8351**	**11345**	**4176**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	5751	2876	5751	2876
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1427	713	1427	713
3	Free text book to SC/ST children & Girls (PS)	0.150 per	310886	46633	310886	46633
	(UPS)	Child per year	138179	20726	138179	20726
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1812	906	906	453
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	304	304	152	152
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	500
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	80

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	80
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	5
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each				
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each				
12	School Awards	25	1	25	1	13
	Total		458364	73513	457304	72231
	Subtotal (C)		481054	81864	468649	76406
C1	**DIET**					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (including audio visual)	300				
3	Computers Work Station	600	1	600	1	300
4	Vehicle (where appkicable)	350				
5	Hiring	5	1	5	1	3
6	POL	30	1	30	1	15
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	10
8	Research/Action Research	200	1	100	1	50
	Seminars	200	1	100	1	50
9	Faculty Development	30	1	30	1	15
10	Exposure Visits	50	1	50	1	25
	Publications	400				
11	Library	25	1	25	1	13
	Contingency	100	1	50	1	25
12	Salary of computer operator	7	1	42	1	42
13	Salary of Driver (where applicable)	4	1	24	1	24

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10
	Total		**13**	**1086**	**8**	**581**
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator	5.5	19	627	19	627
4	Chowkidar	3				
5	Equipment/Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5	19	95	10	48
7	Maint of Equipment	1	19	19	10	10
8	Maint of building	6	19	114	10	57
9	Books	10	19	190	10	95
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	2116	635	1058	318
11	Consumables	5	19	95	10	48
12	Contingency	12	19	228	10	114
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	19	68	10	34
	Total		**2268**	**2071**	**1144**	**1349**
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Equipment/Furniture	10				
4	Books for Library/Book Bank	5	191	955	96	478
5	Contingency	2.5	191	478	96	239

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	191	458	96	229
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	2116	423	1058	212
8	Maintenance of Building		191	458	96	229
	Total		**2880**	**2772**	**1440**	**1386**
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	AAO					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	852	1	426	1	426
	Equipment	50	1	50	1	50
	Furniture & Fixtures	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350				
	Motorcycle	50	23	1150	23	1150
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
	Consumables	25	1	25	1	25
	Telephone/fax	30	1	30	1	30
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	19	1368	19	1368
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	2116	334	2116	334
	Contingency	10	1	10	1	10
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	2116	635	2116	635

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

GORAKHPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Total		**4285**	**4173**	**4285**	**4173**
C4 1	MIS					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50	1	50
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. ×12	3	126	2	84
	Salary of MIS Officer	10x12	1	60	1	60
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25
	Total		**9**	**761**	**8**	**719**
	Sub Total (D)		**9455**	**10863**	**6885**	**8208**
	Grand Total		**515858**	**299299**	**492603**	**283744**

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11496
DOC, No.....
Date 09-07-2002

परिशिष्ट

रजिस्ट्रेशन संख्या—177

रजि० नं० एस०एस०/एन०पी० 91

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1 (क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 जो, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ब) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर पर्यवेक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निदेश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(च) खण्ड (छ-2) निकाल दिया जायगा।

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,— **धारा 5 का संशोधन**

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिनिर्दिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— **नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना**

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,— **बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण**

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के समस्त भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहाँ ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या आस्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :— **धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन**

"10—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन **जिला पंचायत के कृत्य**

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना ;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।" अध्यारोही प्रभाव

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(left margin: ...र प्रदेश ...आदेश ...या 4 , 2000 ...र प्रदेश ...यादेश ...या 13 1999 ...र प्रदेश ...देश ...या 16 1999)

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-29-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*c*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*d*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be *substituted*;

(d) In clause (*f*) the words "and in particular, to ac[illegible] any [illegible] equipment of any [illegible] such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

Amendment of section 5

5. In section 5 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

Insertion of new section 9-A

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Control of teacher and properties of basic schools

9-A (1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school, is situated;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 13-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. For section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshetra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 12-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 13-A

"13-A. Over riding effect — Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*; Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*. Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed. Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 255 राजपत्र (हि०)—(463)—2000—597 (मैक०) ।

संख्या: 2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1-जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

....2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रूपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रूपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तदनुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ०प्र०।
4- निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ०प्र०शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ०प्र०लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र०
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
9- शिक्षा निदेशक (मा०, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ०प्र०लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन।
12- शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक -छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है । यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी ।

शिक्षा मित्र संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र " होगा।

2- ।।। शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

।।।।ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है ।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- ।।। शिक्षा मित्र (पुरूष /महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

।।।। उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला /पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष को चिन्हित किया जायेगा।

.....2.....

।।।।। किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी0एस0पी0/डी0पी0ई0पी0 योजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बे0) द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति (महिला/पुरुष) का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आँकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तदनुसार 181 छात्र संख्या पर 5 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आँकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलाएं होंगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रूपया 1450/- प्रतिमाह निश्चत मानदेय पर रखा जायेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरूद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत कर, निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रूपया 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

(I) प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0 400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(II) पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण

12- (I) शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण मुख्यतः इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरनाम स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उसकी समस्याओं का समाधान

...5..

किया जायेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जायेगा।

।।।। शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक /प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगें।

।।।।। ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

।IV। विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी॥ यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

अनुदान की व्यवस्था

13- ।।। इस योजना के अधीन " शिक्षा मित्र " के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बेसिक । द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति से उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक किश्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किश्त पूर्व स्वीकृत किश्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान किश्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

......

14- प्रस्तर -10 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश मे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रशस्त करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(वे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(वे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(वे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. <u>शिक्षा मित्र की अर्हतायें</u>:

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. <u>शिक्षा मित्र का कार्यकाल</u>:

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. <u>शिक्षा मित्र का मानदेय</u>:

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. <u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण</u>:

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 400/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हतों, आयु एवं जाति सम्बन्धी स्वयं-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

<u>प्रारूप-एक</u>

<u>शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।</u>

सेवा में,

अध्यक्ष,

ग्राम शिक्षा समिति,

ग्राम पंचायत -.....

जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -

(क) हाई स्कूल - श्रेणी प्राप्तांक

(ख) इण्टरमीडिएट श्रेणी प्राप्तांक

(ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0 श्रेणी प्राप्तांक

5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होगी।

दिनांक- भवदीय,

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(जी0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रारूप-दो

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पत्नि.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद में मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जाये तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक : रा0प0नि0/ 539 /2001–2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य–सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

(17)	निदेशक, महिला समाख्या	सदस्य
(18)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो।	सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

* शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
* इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
* यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी- "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
* इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
* योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
* राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
* स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
* समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।
* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
* इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.....4/-

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002
लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2
संख्या-2000/60-2-2000-2/13(9)/93
लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

बाह्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" (डी०पी०ई०पी०) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजुकेशन (ई०सी०सी०ई०) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई०सी०डी०एस०	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(6)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले, ई०सी०सी०ई० केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई०सी०सी०ई० केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई०सी०सी०ई० केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रु0250/-
2- " " [illegible] रु0125/-
3- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां भी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी। उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी। प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रू०5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रू01500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रू05000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय झूले के निर्माण में व्यय की जा सकती है। शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी। आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी। अतः रू0 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान की ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से करें तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का नाम से लेखा-जोखा रखा जाए।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे नींबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। इन पेड़ों की पौध क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा। प्रत्येक का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केन्द्र [illegible] के आधार पर [illegible] इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से बच्चों को प्राकृतिक रूप में प्रचुर पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा।

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करे और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्याभवन, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी।
4- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	संख्या	
1	2	3	4	5
1-	देवरिया	बरहज	35	तलहरी, टीला, मंझिल, मइका भाग, बैता, रामपुर बसन्त, नयावार, करजहाँ, लालचन्दा, कारदार, हरकोठा, कोटवा, परसिया, सलेमपुर, बलिहई, मुसापरास, करजाह डायारवाल, तबलपुरी गंगा, हरकहीं, मंगावर, करायलहुसैन, हबेसर, जयनगर, दरिहिया, दुबह, सिसईपुर, बहुवाछपरा, होरी, महेन, मालिया I I I, पटोहा, देवपार, कोहरा, हानिया गुर्द, डमरामोहरा, सिसईपुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर तपकली ।
		रुद्रपुर	18	महुला, पकड़िया, मतिहरपुर, सहुआनगर, रामपुर, कहोली, केवटलिया, गरौलिया, कुकरिहा, गोठिया तिवारी, बनकटा, लगपतपारा, बसिया टोरी, सरपडुई, रमईपुर, शीतलमाझा, तारापारा, बहरहा ।
		सलेमपुर	10	बेरा I I I, जयनगर, मेहीपुर, देवरियातर्फ रामपुर, हरपुरकोर, जातरोली, नकरा गोयाई, बांसपातिया, दिव डासमाली, गलकोली ।
		बैतालपुर	12	मुकुन्दपुर, जगदीशपुर, पैलडरिया, गोविन्दपुर, पाण्डेयचक, करमेल बजरही, बहादुरपुर, परतरी I परपार I, ओमहाडार, बेहई, अमवा, नहरागंज, ईटवा ।
2-	पडरौना	खोरावर	67	लकटारी, परसौना, करमोला, पुरवा, मधवा, बोगई, जमुवा, देवगढ़, मांझाटडा, गिधराल, हडेउर, पिसरेफी -I, छितौली, पड़रौना, मठकहा, सुरेज, अहरौरा, भोरिठार, मझौली, पिपरवार, खोरावर, सिसुकनी -I, कहोडी -I, कौली, केवली-, हिरहाई, दवरदेवा, धोबिनी, रामपोडर, दुरफही, सिसहा, दुरहार -I, सिहोरो, जगरबाना, फुलवरिया, कुसहरी, सिसौ, केवटा, महुआ, पाण्डेय, कुसोसिक, सिखौली, ओदार, बरहोला, पिडरिया, गीतगहार, कोकरिया, बैदा -I, जुडवारिया -I, पाण्डेयटोला, कुआ, परसा [illegible] [illegible] [illegible]

	दुधी	44	मीडर, रनकुट, दुम्हाल, महुवरवा, कुलमा झरिया, धजौरा, झारोकला, कटौंधी, झारोखुर्द, पिपराडी, मझौली, रजडी, मन्देवा, चपाड, चकरी, टेढ़ा, दीघुल, कमवां, अमवार, निमियाडीह, पिपरडीह, नागदुर, हरपुरा, महुली, खरिहा, गडीतेगर, घनैयाडीह, टरती, डोलदा, मुखेलवा, कोरिवडपा, अमामुडा, केवाल रज रनकुट-II, दुम्हाल-II, हलमाडी, करमा धजौर, जबलपा, कटौली, धारा, महुआरिया, डुमरडीहा, अंदर, दीघुल, डुमरडीहा।
3- ललितपुर	मड़ावरा	16	रनगांव, गुरयाजा, पैरपारा, मड़ावरा, अर्जुनखिरिया, गोला, गोजा, रजपारा, इकोजा, अलंदर, पहाड़ीकला, सोलदा, वीरीसागर, ममराला, उत्तमजाखुर्द, डोंगरा बालाबेहट, कुम्हारा, पटनेमरा, चौरी।
	पिरथा	04	
	पुरा	25	पारोल, टोडी, केलगवा, अरावली, मोगाल, बार, बार, देवराल, पिंगलोआ, नाकपुर, डमरावा, कारीटोरन, केलोनीतोल, गैदोरा, कलवारा, ल्हारा, खहाररारा, भारोली, बमारा, हीरापुर, पिरला, करवई, खिरोरा, कैलपारा, भावती।
	बलोरा	03	चितरा, सिवनीखुर्द, वमराैआ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, कैमारा।
	तालबेहट	24	करेगा, वजगवंकला, सिजरोठा, बोलाई, मदांव, मऊ कोटरा, उदगुदा, विजयपुरा, पुराकला, गुरायली, पूरेरा, कडेसरकला, सेरयाखकला, सिवरोठा, सिहारीपुरा, राजीपरा, भादौं, बड़ेवरा, मुटोरा, कड़ुरी, समरा, झगौरी, खांता, रजायत।
4- बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, कोतिया, मनोई-गोठा, कनिला-नगमपुर, सिसइया, पेपल, परौल, नागी, हरनापुर, हुसैनपुर, सिकन्दरगंज, रकोड़िया, उरैला, हरनाटपुर, वीरमपुर, कृतुआ, नीरपुर, विकरौरी, नाहरपुर, कोर, इब्राहीमपुर, वेरवारी, इसरा, नसिरयोटिया, सिहरा, पतौरा, महरमपार।

	[illegible]	25	मुडहरनाम, कुंजमली, सिकोली, ढेपुर, अल्हेपुर, मेहर-[illegible], [illegible], डकरपुर, [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पुरन, [illegible], अरेहा, रमनापुर, [illegible], [illegible], धमरपुरा, बाजीपुर, छोहरपुर नहरौली, सिरसपुरा, उदमपुर, करिमाबाई, अमालीपरी ।
5- महराजगंज	पनियरा	11	डोमरा, पनियरा-2, मुजुरिया, सिरोरा, सड़िहा, बोल्ही, मोहहा, देवीपर, मधुबना, बरहा, सोहरौना तिवारी, हमौरी ।
	महराजगंज	15	रमपुरवा, तुलसिरिया, बरवा महीन, कुरमिचरा, सपहा, मधुबना, बांसपार, बेलौली, मटिहनिया सान्ती, सिकरापहा, सिसवा खलीन, बेलपिपरा, झुडिहा तिवारी, ससगौरिया, कुटहा, बंगालपरबंगरी ।
	निचलौल	10	पिपरपुरा, महुआरवा, लक्ना, हेकानी, धमौली, पिपरा काजी, मेवालिया, बुड़ैला, गाड़ी, हरपुलिया
	फरेन्दा	40	श्रीगढ़, तेनार-महदेवा, बनारठीह, गासुर, ठाकुर निरनारमझगर, मधुरानगर, बेलुई, महदेवाबुजुर्ग, तोहरसतिया गणेशपुर, कुर्द, महुअवामहुई, फरेन्दाखुर्द, जंगलसोनिया नारी, गोपालपुर पिपरा चिरवंधरपुर, कम्हौरिया कुर्द, देवसिया बंजरिया, बेमरा महराज, खड़ावारखुर्द, सिसवनिया, बोरज लिलडा, मचिकौरा, बारही, छितहीबुजुर्ग, रतनपुरकुर्द, परसावेली, मड़हरा कजहई, रामनगर, परसिया, उसिनपुर, बजरही, मथुरापुर, महदेवा बड़हरा देवीपाटन, करमहवाबुजुर्ग, खखवारबुजुर्ग । पंचरुखी, हरपुर, फरेन्दाबुजुर्ग, रामनगर, दरसियाहुर्द ।
6- शाहजहाँपुर	पुवायाँ	21	बाछिल, खोरिया, हरदयालपुरा, जेवा, [illegible] चण्डेपुर, अजीतपुर, बेहटा, जखेवा, रतनपुरकण्डा, कड़िया, [illegible], सुंदरपुर, मझौ छितौना, [illegible], [illegible], सिलहरापुर, कुंडा, गुलीमपुर, [illegible], [illegible], बारह, भीकमपुर, सोलिया, फतेपुर [illegible] ।
	भावलखेड़ा	21	अमुका, हरतवा, कटिया, कमलू, [illegible], कुतबापुर, अमुही, देवरसा, हथौड़ा, सिजरा, बलंग, [illegible], दरऊ, रोजरकोठी, ढोहरा, भावलखेड़ा, इंटौरिया, अरू [illegible], [illegible], [illegible], बकसिजरा, [illegible] ।

. . . . 4

7-	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद	49	दखिनारा, रसूली, नगला, सिरसा, नहकापुर, अरांव, इटौली, जैसपुर, मोहम्मदाबाद, डाहिनी, कुंवरी, परीछतपुर, हरनपुर, अलापुर, दैवतपुर–कुर्रा, हरियापुर, मुबारकपुर, नगला–बालका, सरजनपुर, बदारा, भाऊ खिलौली, इटुमई, मोहली, नगला, नेपुर, भीकपुर, भौरा, भदीयाताल, पिलखतौ, उरपुरा सिराव, सुल्तानमई, भूड़ा परसारा, अमहना, मानपुर, सवरौली, भेवड़ा, कराईं, वनपुर–कर्रा, हरपुरा जट, फतेपुर, बीरा–गोरियाबाद, कहरी, गांगनी, नसीरपुर, नगपुर, जतीपुर, मुबारकपुर, करपुरा, करसराय, कतपुर।
		टूण्डला	41	मोहम्मदपुर, टूण्डलाजात, टूण्डलाग्राम, नाई, मोहम्मदाबाद, मुबारकपुर, टूण्डली, बछरौली, बछरौली, खाई, हरसुखा, गोरपुरा, सोरपुरा, पारीखार, ठारहौरा, अहमदपुर, मंडावली, नाई, महीगोपाल, उसलापुर, पालिवाली, नारीकर्ण, कोटकी, देवखेड़ा, पमारारी, गुर्जराहरा, तीवर, महीबुचपाल, मुहम्मदपुर, हमारापुर, मासिम, श्रीनगर, महीजोरी, चांदेरा, हिम्मतपुर, पठूरा, चठूरा, मही, सिर्सा, रामसिंहपुर, नटौला, छिपारा।
8-	लखीमपुरखीरी	निघासन	26	सुरपतहा, मिरजापुरवा, मोहनलिया दोहर, नौरी, देवीपुरा, देवीपुरा-2, खैरपरसोला, मोतीपुर, मोतीपुर, सिंगाहीभागा, सिंगाही अमरीता, परसोला, गुटना परसोला, हुसैनपरसोला, नरैनापुर, रमजन, गौराबरवा, सिंगाहीकलां, सिंगाही, सिंगाही, सिमरा, कुम्भरपुरवा, मछली पुरवा, रघुनाथपुर, सिंगाहीखुर्द।
		मितौली	25	गोड़ा, छितौनी, तौकहा, रामनगर, अम्बारा, देवतपुर, रङ्गिरिया, देवरिया, अलीगंज, रङ्गा, देवरिया, अदुरपुरवा, मेहंदी, कुसरिया, नौरे–1, करियापुर, हिमादेवासि, अगुआ, मोराईया,

				[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पुरी, फोलिया, ब्रह्मडिहा । अमेठी ।
9-	मुरादाबाद	मुरादाबाद	15	मनोहरपुर, [illegible], पाकबाड़ा, [illegible], [illegible], सोनीपुर, रामपुर, [illegible], देवापुर, [illegible], मैथानीपुर, [illegible], रसूलपुर, [illegible], दौलतपुर, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], रामपुर, [illegible], [illegible] ।
		बिलारी	09	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रानी, रामा का नगलापुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		कुन्दरकी	15	बिलपुर, रामनगला, बिजिया खेर, हाजीपुर सिंधु, [illegible], [illegible], [illegible], हरिया ताल, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
10-	गोण्डा	पण्डरीकृपाल	25	पण्डरी कृपाल, [illegible], [illegible], सिंघोरिया [illegible], रसूलपुर [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
11-	हरदोई	सण्डीला	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।।, [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।, [illegible], [illegible] [illegible] ।
		[illegible]	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-।।, [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

12- बरेली	बरेली शहर	124	इन्दिरा नगर, बाकरगंज, संजयनगर, सिविल लाइन्स, राजेन्द्रनगर, [illegible], प्रेमनगर, [illegible], फूलबाग, फतेहपुर, [illegible], [illegible], प्रेमनगर, प्रतापनगर, [illegible], [illegible], [illegible], नगर, रबड़ी टोला, [illegible], [illegible], [illegible], नेहरू [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] नगर, [illegible] की छावनी, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, शिवपुरी-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, अतरछेड़ी-III, [illegible]-III, शिवपुरी-III, [illegible]-III, [illegible]-II, [illegible], [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, शिवपुरी-4, शिवपुरी-5, शिवपुरी-6, शिवपुरी-7, [illegible]-4, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-4, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-4 ।
13- पीलीभीत	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

		बीसलपुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मोहम्मदपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर [illegible], [illegible], दुरैया, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], लहुरी पुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ।
14-	[illegible]	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
15-	[illegible]	[illegible]	22	[illegible], [illegible] ।

......

संख्या-3274/5-11-2000-ई-42/9

प्रेषक,

डा. जी.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे.)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.का.अ. एवं मूल्यांकन
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2000

विषय:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण।

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को [illegible] सी.ओ.आई. यू.एन. के अन्तर्गत लिया गया है, चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों को चिन्हित करना व उन्हें [illegible] देना तथा कृमिनाशक (डी-वार्मिंग)

[illegible]

अभियान चलाया जाना है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके ।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन वर्षों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तद्नुसार सूचित करायेंगे ।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड भरवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी । स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन मापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों ।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके ।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, डी0पी0 सी0 के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1.	लाल संदर्भ कार्ड	गम्भीर रोगों के लिये
2.	पीला संदर्भ कार्ड	कम गम्भीर रोगों के लिए
3.	हरा संदर्भ कार्ड	साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्ड व संदर्भ कार्ड में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग करेंगी ।

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/धर्मार्थी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ब्लाक में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत के विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तदनुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह संलग्न प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विद्या भवन, लखनऊ को तथा इसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को अवगत करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० पी.डी. माहेश्वरी)
सचिव।

........4

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव मुख्य महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कमलिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना [बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद]

1. वाराणसी
2. भदोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14 औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [डी0पी0ई0पी0 जनपद]

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुरखीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहांपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी०पी०ई०पी० [illegible] जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव
2.	रायबरेली
3.	कानपुर देहात
4.	फर्रुखाबाद
5.	कन्नौज
6.	मैनपुरी
7.	एटा
8.	आगरा
9.	मथुरा
10.	मेरठ
11.	बागपत
12.	बुलन्दशहर
13.	गाजियाबाद
14.	गौतमबुद्ध नगर
15.	कुशीनगर
16.	झांसी
16.	जालौन
18.	फैजाबाद
19.	अम्बेडकर नगर
20.	सुल्तानपुर
21.	आजमगढ़
22.	बलिया
23.	मऊ
24.	जौनपुर
25.	गाजीपुर
26.	मिर्जापुर
27.	प्रतापगढ़
28.	फतेहपुर
29.	हमीरपुर
30.	महोबा
31.	मुजफ्फरनगर
32.	हरिद्वार
33.	बिजनौर
34.	बागेश्वर
35.	पिथौरागढ़
36.	चम्पावत
37.	उत्तरकाशी
38.	टिहरी
39.	रामपुर
40.	बाराबंकी
41.	बहराइच
42.	श्रावस्ती
43.	लखनऊ

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम:............ रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सा0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रव्य दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	• वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	• क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? • क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था/ हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक/कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक/अभिभावक शिक्षक बैठक/कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों/टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास/ गतिविधियाँ करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण/अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – **29**

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात/भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं क्रियाविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद/पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक	:	50
श्रेणीकरण	:	

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA											
BSA											
DIET											
Others											
Total											

NIEPA DC
D11486